ISSN-0971-8397

योजना

मार्च 2019 विकास को समर्पित मासिक ₹ 22

विकास

भारत में समावेशी वित्तीय विकास
जे डी अग्रवाल

सबके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता
चंद्रकांत लाहरिया

युवाओं का सतत और समावेशी विकास
जतिन्द्र सिंह

विशेष आलेख

सामाजिक-समावेशन से समानता की सुनिश्चितता
मुनिराजु एस बी

फोकस

अंतरिम बजट : एक सिंहावलोकन
शिशिर सिन्हा

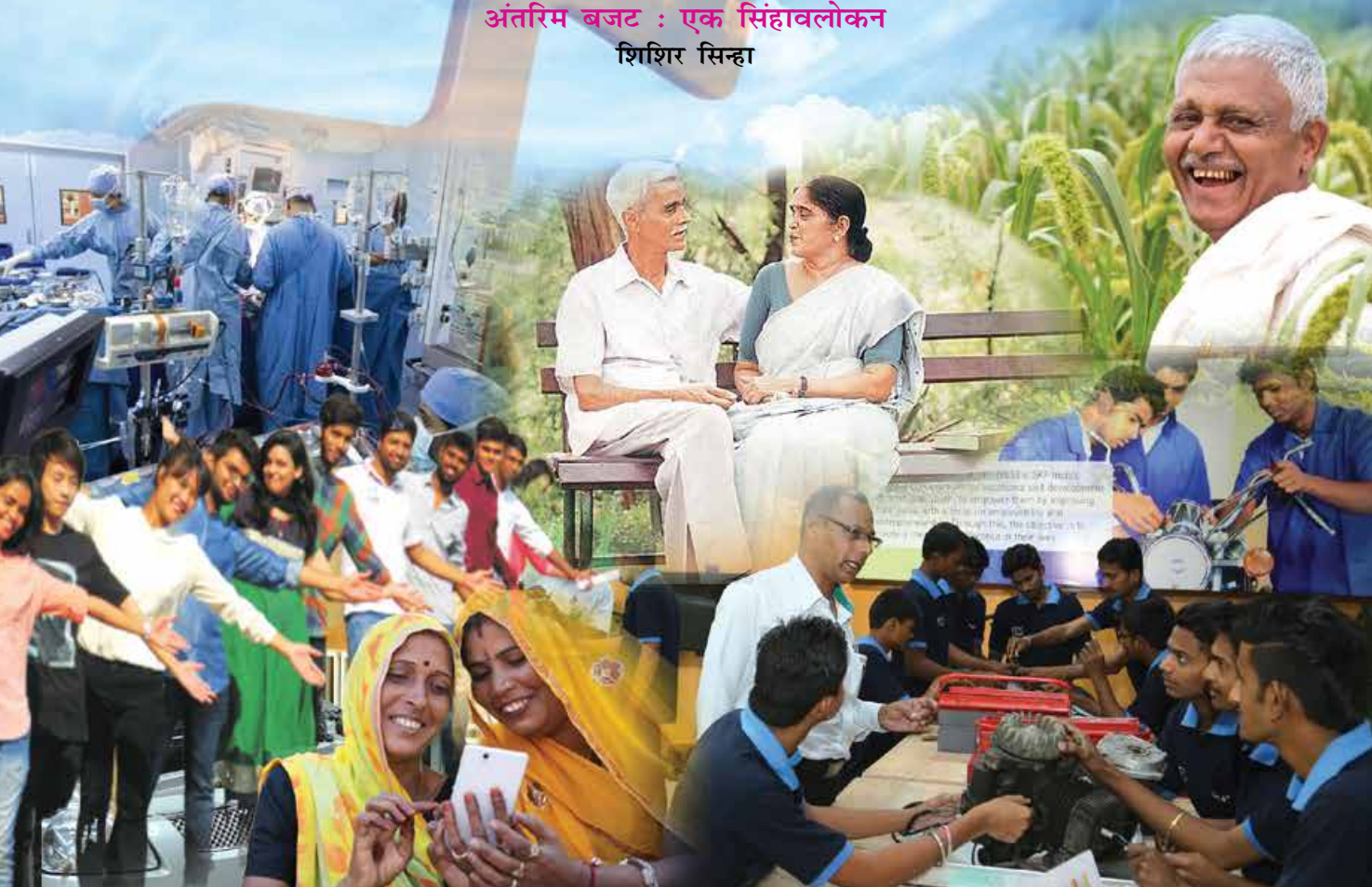

अंतरिम बजट 2019-20

रुपया आता है

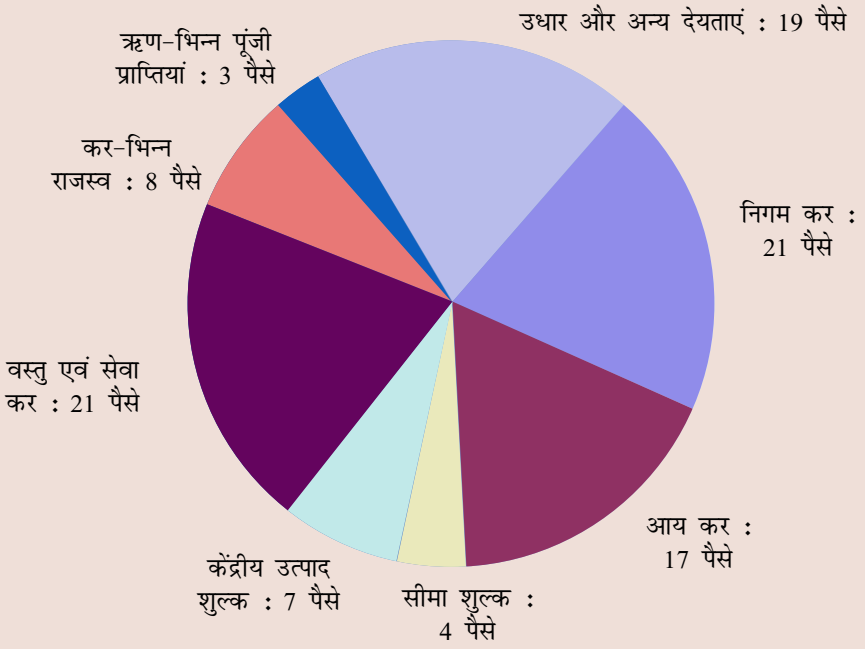

नोट : 1. कुल प्राप्तियों में राज्यों के लिए करों व शुल्कों का हिस्सा सम्मिलित है।
2. सभी अंकों को पूर्णांक में कर दिया गया है।

रुपया जाता है

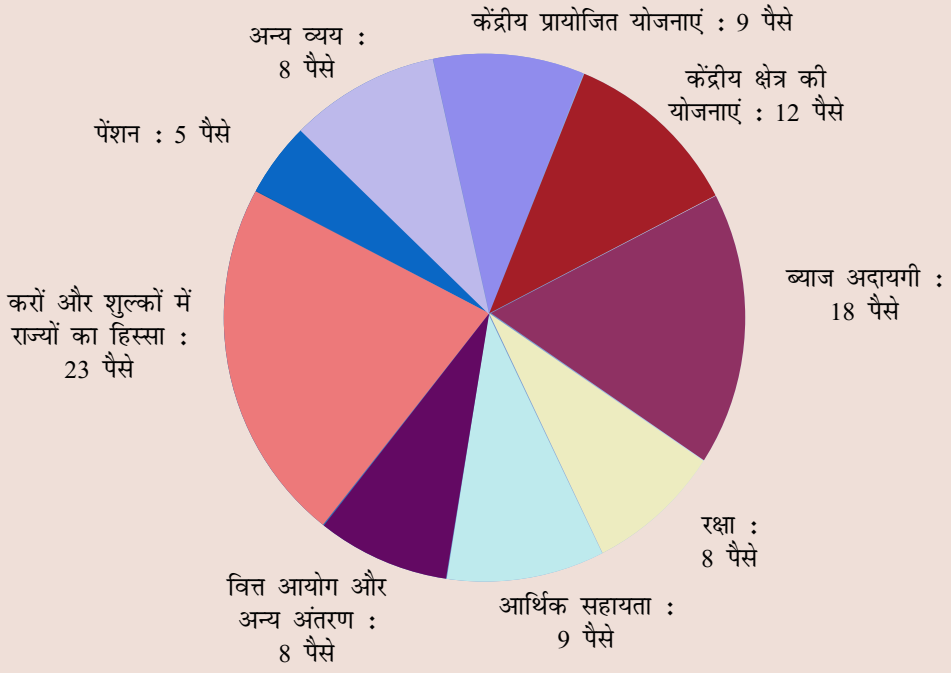

नोट : कुल व्यय में राज्यों के लिए करों व शुल्कों का हिस्सा सम्मिलित है।

योजना

वर्ष : 63
अंक : 03

मार्च 2019
फाल्गुन-चैत्र, शक संवत् 1940-41

मूल्य : ₹ 22
पृष्ठ : 72

वेबसाइट www.yojana.gov.in

प्रधान संपादक : शमीमा सिद्दीकी
वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ. ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा
आवरण: गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना मंगवाने की दरें
एक वर्ष: ₹ 230, दो वर्ष: ₹ 430, तीन वर्ष: ₹ 610

पत्रिका न मिलने की शिकायत के लिए pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें, योजना की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ईमेल पर लिखें या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें–

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

इस अंक में

फोकस

अंतरिम बजट : एक सिंहावलोकन
शिशिर सिन्हा 7

करारोपण प्रस्ताव
टी एन अशोक 12

भारत में समावेशी वित्तीय विकास
जे डी अग्रवाल 16

सुशासन के जरिए समावेशी विकास
योगेश सूरी, देश गौरव सेखड़ी 20

सबके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता
चंद्रकांत लहारिया 25

युवाओं का सतत और समावेशी विकास
जतिन्द्र सिंह 30

क्या आप जानते हैं? 34

अंतरिम बजट-2019-20 : मुख्य बातें 36

विशेष आलेख

सामाजिक-समावेशन से समानता की सुनिश्चितता
मुनिराजु एस बी 39

अंतरिम बजट- कृषि और किसानों के कल्याण के लिए आवंटन 46

सशक्त महिला सशक्त समाज
शाहीन रज़ी 50

विश्व में तेज़ी से उभरता 'ज्ञानयोगी भारत'
जगदीश उपासने 57

बच्चों का समग्र और समान विकास
किरण अग्रवाल 62

भारत को बुजुर्गों के जीवन के लिए सबसे अनुकूल बनाना
शीलू श्रीनिवासन 65

पुस्तक चर्चा 70

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	द्वितीय तल, अलखनंदा हॉल, भद्रा, मदर टेरेसा रोड	380052	079-26588669

www.publicationsdivision.nic.in
@DPD_India

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

आपकी राय

बुनियादी ढांचे पर खड़ी खूबसूरत इमारत

'बुनियादी ढांचा' एक ऐसा विषय है जिसके बिना विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कल्पना करना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि एक खूबसूरत इमारत की बुनियाद जितनी मजबूत होगी वो इमारत उतनी ही बड़ी हो सकती है। भारत में बिजली के सपने को साकार करने के लिए 'सौभाग्य योजना', शहरों की कायापलट के लिए 'स्मार्ट सिटीज मिशन', अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए 'समन्वित जल परिवहन नेटवर्क' आदि तमाम परियोजनाएं विकास के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के रूप में प्रतिबिंबित हुई हैं।

उत्तर-पूर्व के क्षेत्र को जिस तरह से बुनियादी ढांचे से जोड़ने की कवायद चल रही है वो काबिले तारीफ है। स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा और स्वच्छता के क्षेत्र में योगदानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि बिना बुनियादी ढांचे के मजबूती के इन परियोजनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर लागू होना मुश्किल था। बुनियादी ढांचे को मजबूती देकर हम विकास की एक ऐसी इमारत खड़ी कर रहे हैं जिससे संपूर्ण देश लाभान्वित हो रहा है।

– संजीत कुमार मौर्य
बस्ती, उत्तर प्रदेश

नई जानकारियों से भरपूर अंक

योजना का फरवरी 2019 का अंक, जो 'बुनियादी ढांचा' पर आधारित है, स्वयं में अद्वितीय और बुनियादी तौर पर बेमिसाल अंक है। बदलते हुए भारत पर संपादकीय, श्री आर. के. सिंह का सबको बिजली का सपना साकार कराता लेख, समन्वित जल परिवहन पर श्री प्रवीर पांडे की खास पेशकश, बहुआयामी पद्धति द्वारा शहरों की कायापलटने वाला श्री दुर्गाशंकर मिश्र का लेख, हवाई संपर्क को नया आयाम : उड़ान में श्रीमती उषा पाढ़ी ने उच्च कोटि की नीतिगत जानकारी उपलब्ध करायी है, भारतमाला परियोजना ने श्री डी. दास और श्री दीपक राजदान का लेख भारतीय रेलवे-परिवर्तन की ओर पूरे भारत, विशेषकर उत्तर पूर्व राज्यों की सैर कराता नई जानकारियां प्रस्तुत करता है। सभी के लिए आवास में श्री रंजीत मेहता और श्रीमती नमिता तिवारी ने विकास के रास्ते पर उत्तर पूर्वी भारत के नये-नये आयामों का रहस्योद्घाटित करते उत्कृष्ट लेख है। खेल सुविधाओं में बढ़ता भारत श्री राजेश राय का लेख और स्वास्थ्य सुविधाओं पर आधारित श्री संजीव कुमार का लेख यथार्थ बयां करता है। भारत के गांवों की विकास की छवि श्री निखिल प्रधान के लेख ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा में बखूबी परिलक्षित होती है।

अंत में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव-2019, विश्व पुस्तक मेला-2019, 2500 ईयर्स ऑफ बुद्धिज़्म पर सामग्री पत्रिका को और भी बेहतरीन बनाती है। योजना की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद और रंगारंग होली के पर्व की अनंत शुभकामनाएं। ऐसे ही उत्कृष्ट अंकों की प्रतीक्षा रहेगी।

– अमित कुमार वर्मा
ग्राम व पोस्ट : परेली, हैदराबाद (गोला),
जिला-लखीमपुर खीरी (उ.प्र.)

सीखने की क्षमता का विकास जरूरी

योजना का नवाचार पर आधारित जनवरी, 2019 का पढ़ा। अंक प्रेरणादायी, सारगर्भित, ज्ञानोपयोगी व तकनीक के विभिन्न आयामों से परिचय कराने वाला रहा। सभी विद्वान लेखकों ने अपने-अपने आलेख में नवाचार को विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। किसी भी देश का विकास नवाचार पर आधारित होता है। इससे देश के विकास को एक नई दिशा मिलती है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नवाचार अधिक होता है। इससे मानवीय जीवन को सुगम बनाया जाता है। वर्तमान समय सूचना-प्रौद्योगिकी का समय है।

आज दुनिया के किसी भी क्षेत्र से संपर्क स्थापित करना आसान हो गया है। पलक झपकते ही सूचनाएं प्रसारित हो जाती है। इसके कारण अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में क्रांति हुई हैं जिससे आर्थिक विकास को बल मिला है। भारत सरकार द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नवाचार सेल, नवाचार संस्थानों की अटल रैंकिंग, अटल नवाचार मिशन सहित अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। परिवहन के क्षेत्र में नवाचार के कारण लंबी दूरियां घटकर छोटी हो गई है। मेट्रो रेल और वंदे भारत ट्रेन इसका अभिनव उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नवाचार ने लोगों की बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक दूर किया है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह बेरोजगारी दूर करने में महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है।

आज गांव-गांव में पैसा स्थानांतरण, मोबाइल रिचार्ज, साइबर कैफे सहित अन्य रोजगार के केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही कौशल विकास मिशन के अंतर्गत स्थापित केंद्रों पर युवाओं को उनके रुचि के क्षेत्रों में रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा रहा है जिससे वे रोजगारयोग्य बन रहे हैं। उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए नाममात्र ब्याज की दर से 'मुद्रा योजना' के तहत उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि नवाचार ने मानवीय जीवन को आकर्षक व सुगम बनाया है। साथ ही हो रहे नित्य नए आविष्कार ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। हमें प्रारम्भ से ही 'रटने की क्षमता' के विकास के स्थान पर 'सीखने की क्षमता' का विकास करना होगा।

- अमित कुमार 'विश्वास'
रामपुर नौसहन, हाजीपुर, वैशाली, बिहार
ईमेल- kramitkumar2@gmail.com

विकास का परिदृश्य

विकास – इस शब्द के अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग मायने होते हैं। इसका मतलब किसी व्यक्ति का विकास हो सकता है- शारीरिक या मानसिक, किसी शोधकर्ता के लिए किसी अवधारणा या सिद्धांत का विकास या किसी नृत्य निर्देशक के लिए थीम विकसित करना भी इसका अर्थ हो सकता है।

एक राष्ट्र के संदर्भ में विकास का दृष्टिकोण व्यापक है। इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले मुद्दे का समाधान, बाल विकास, लैंगिक न्याय आदि है। इसके लिए समावेशी विकास आवश्यक है। किसी देश के वित्तीय विकास में वित्तीय समावेशन प्रमुख है। जब तक ग्रामीण इलाकों में निरक्षर शख्स भी वित्तीय मामलों में देश की मुख्यधारा से नहीं जुड़ता है, तब तक वित्तीय विकास आर्थिक सर्वेक्षणों और बजट दस्तावेजों का महज जुमला ही बना रहेगा। पिछले कुछ साल में आम आदमी का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं और उन्हें देश के वित्तीय विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है।

सुशासन राष्ट्रीय विकास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाना सुनिश्चित होता है। शिक्षा में अहम सुधार, स्वास्थ्य, बाल विकास, क्षेत्रीय विकास, कानूनी, पुलिस और न्यायिक सुधार ये सभी सुशासन का हिस्सा हैं। स्वास्थ्य सेवा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो देश के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाना और सबसे दूर-दराज इलाकों व सबसे गरीब आदमी तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना सरकारी योजनाओं का लक्ष्य रहा है। कमजोर तबकों के सामाजिक समावेशन के लिए हस्तक्षेप भी देश के विकास का एक और महत्वपूर्ण पैमाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों, घुमंतू समुदाय, सफाई कर्मचारियों, धार्मिक अल्पसंख्यक आदि समाज के तबकों को संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के जरिये भी शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार आदि क्षेत्रों में उनके विकास में मदद मिली है।

युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं और उनका सशक्तीकरण देश के विकास के लिए जरूरी है। भारत के पास आज जनांकिक लाभांश का फायदा भी है और इस ताकत का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि देश आगे बढ़ सके। युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने वाली नीतियां और कार्यक्रम मौजूदा वक्त की जरूरत है। लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना और प्राथमिकता के स्तर पर महिलाओं का सशक्तीकरण भी देश के विकास में एक अहम पहलू है। दरअसल, महिलाओं के विकास की बजाय अब बारी महिलाओं के नेतृत्व में विकास की है। नवजात देखभाल, गर्भावस्था, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी देखभाल आदि क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया गया है। महिलाओं की मौजूदगी अब लगभग हर क्षेत्र में हैं- सेना, चिकित्सा, वित्त और यहां तक कि ऑटो रिक्शा, बस चलाने और पायलट जैसे पुरुषों के दबदबे वाले काम में भी महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। शिक्षा, बाल विकास और बुजुर्गों के लिए रहन-सहन में सुगमता देश के विकास के लिए अन्य महत्वपूर्ण मानक हैं।

राष्ट्रपिता ने कहा था, ''तुमने जिस सबसे गरीब और कमजोर आदमी को देखा है, उसका चेहरा याद करो, और अपने आप से पूछो कि क्या जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, वह किसी तरह से उनके लिए मददगार है।'' ये शब्द विकास के संपूर्ण मायने के बारे में बताते हैं और इन्हें विकास को लेकर सभी नीतियों का आधार माना जाना चाहिए। ❑

CENGAGE

Maximize Your Chances in UPSC
Read EXAM CRACK Series®

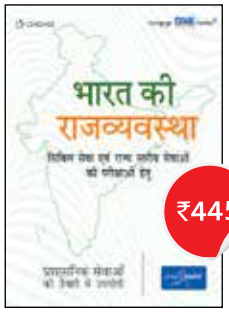

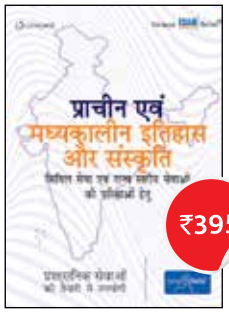

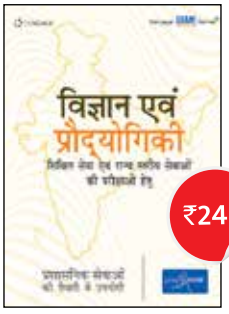

To receive daily updates on WhatsApp about Civil Services Examinations, message your name, city, and email on 7597840000

*Above-mentioned prices are tentative

इस श्रृंखला और डिजिटल समर्थन की मुख्य विशेषताएं

- मुश्किल विषयों पर विस्तारपूर्वक वीडियो
- स्मार्ट उपकरणों द्वारा प्रदर्शन विश्लेषण के साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए दैनिक प्रश्नोत्तरी
- लेखक से प्रतिक्रिया के साथ, उत्तर लेखन अभ्यास
- पुश (Push) अधिसूचना के माध्यम से विषय पर अद्यतन
- मासिक सारांश
- साक्षात्कार तैयारी में सहायता
- पिछली प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का अध्यायवार विस्तृत समाधान
- मुख्य परीक्षा उत्तर लिखने के लिए एक पूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण
- लेखकों द्वारा यूपीएससी प्रमुख परीक्षा के उत्तर

Cengage Learning India Private Limited,
Fusion Square, Plot No. 5A & 5B, 7th Floor, Sector-126, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201303
For more information, please contact 9015946334 / 9582854545 (Delhi); 7607857421 (UP); 9386730079 (Bihar & Jharkhand);
Email: asia.infoindia@cengage.com, **Website:** www.cengage.co.in

YH-962/3/2018

अंतरिम बजट : एक सिंहावलोकन

शिशिर सिन्हा

पहली फरवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश किया गया था। इस अगले वित्त वर्ष यानी 2019-20 के शुरुआती चार महीने (अप्रैल से जुलाई) के लिए सरकार की धन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लेखानुदान का भी प्रस्ताव किया गया।

कृषि क्षेत्र

कृषि क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) नामक योजना शुरू की गई है।

इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार, वर्ष 2018-19 और 2019-20 में इससे केन्द्र सरकार के खजाने पर सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 0.11 प्रतिशत और 0.36 प्रतिशत लागत होगी। इस कार्यक्रम के तहत, अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि वाले कमजोर किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की दर से सीधे तौर पर आय सहायता दी जाएगी। यह आय सहायता सीधे-सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी, जो प्रत्येक 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में होगी। इससे लगभग 12.6 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है, जो 86 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में खेती करते हैं। यह कार्यक्रम पहली दिसंबर, 2018 से प्रभावी होगा और 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए पहली किस्त का भुगतान इसी वर्ष के दौरान कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम पर मौजूदा वित्त वर्ष में 20,000 करोड़ रुपये और अगले वित्त वर्ष के दौरान 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय होगा।

इस अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई अन्य उपायों के भी प्रस्ताव किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं-

- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण-प्राप्त करने वाले ऐसे किसानों को ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा, जो खेती के साथ-साथ पशुपालन और मछलीपालन की गतिविधियों में शामिल हैं। इसके अलावा, समय पर ऋण की वापसी करने पर उन्हें ब्याज में अतिरिक्त 3 प्रतिशत छूट मिलेगी।
- गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित सभी किसानों को ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट और उनके ऋण के लिए पुनर्निर्धारित सम्पूर्ण अवधि के लिए 3 प्रतिशत शीघ्र वापसी प्रोत्साहन लाभ प्राप्त होगा, जहां राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से सहायता दी जाती है।
- गौवंश के यथासंभव आनुवंशिक उन्नयन के लिए तथा दूध का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए **राष्ट्रीय कामधेनु आयोग** की स्थापना की जाएगी।

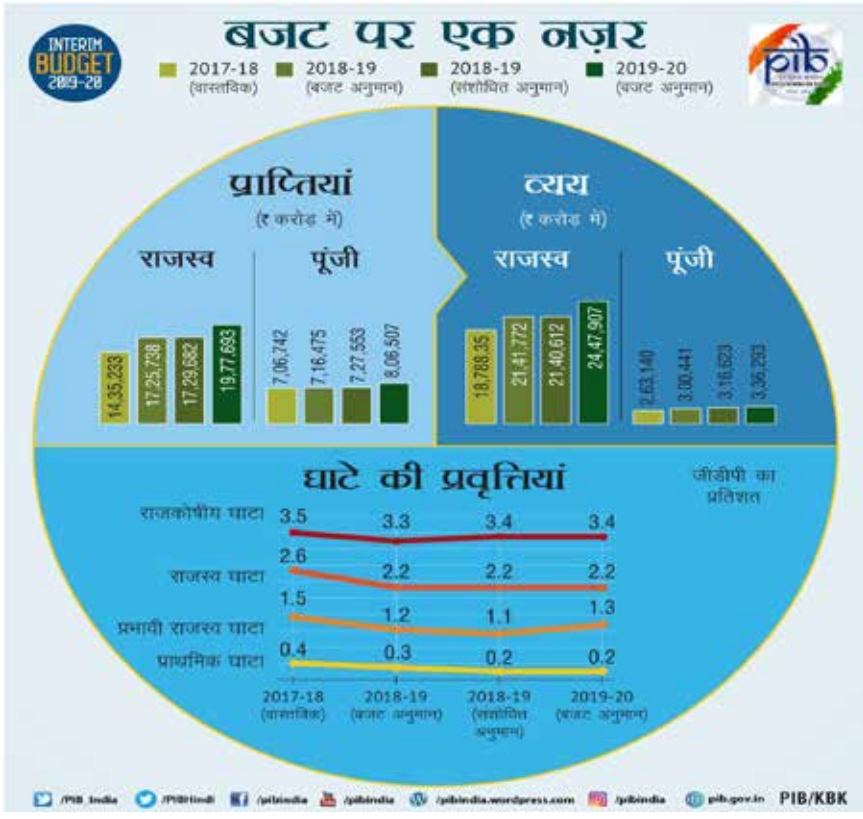

बजट में प्रतिमाह अधिकतम 15,000 रुपये की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 'प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन' नामक एक वृहद् पेंशन योजना शुरू की गई है। इस पेंशन योजना से अपनी कार्यशील आयु के दौरान एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान करने से उन्हें 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलेगी।

कामगारों के लिए

इस बजट में प्रतिमाह अधिकतम 15,000 रुपये की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 'प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन' नामक एक वृहद् पेंशन योजना शुरू

लेखक द हिन्दू बिजनेस लाईन में वरिष्ठ डिप्टी एडिटर हैं। ईमेलः hblshishir@gmail.com

कर स्लैब अथवा दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बावजूद, अधिकतम 5 लाख रुपये की कर-योग्य आय वाले लोगों को कर में पूरी छूट मिलेगी। यदि कुल कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक न हो तो किसी प्रकार कर का भुगतान करना जरूरी नहीं होगा। यदि 5 लाख रुपये से अधिक आय हो तो मौजूदा कर संरचना के अनुसार करों की गणना की जाएगी। इससे स्व-नियोजित, छोटे कारोबारी, छोटे व्यापारी, वेतनभोगी, पेंशनभोगी और अन्य वरिष्ठ नागरिकों जैसे लगभग 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को राहत मिलेगी।

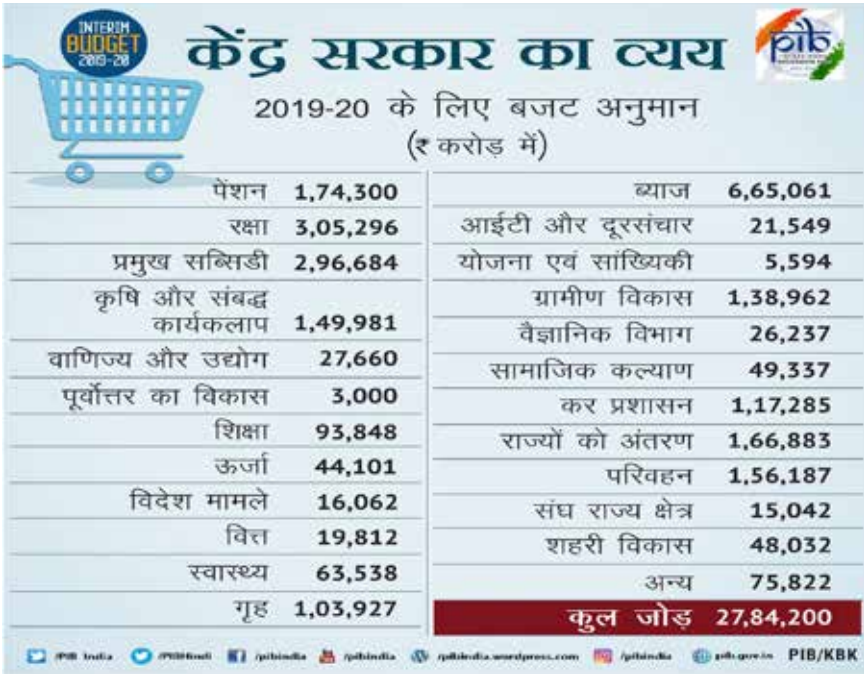

की गई है।

इस पेंशन योजना से अपनी कार्यशील आयु के दौरान एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान करने से उन्हें 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलेगी। 29 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार को केवल 100 रुपये प्रतिमाह का अंशदान 60 वर्ष की आयु तक करना होगा। 18 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना में शामिल होने वाले कामगार को मात्र 55 रुपये प्रतिमाह का अंशदान करना होगा। सरकार प्रत्येक माह कामगार के पेंशन खाते में बराबर की राशि जमा करेगी। आशा है कि अगले पांच वर्षों के भीतर असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिक और कामगार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेंगे।

इस स्कीम के पहले साल के लिए 500 रुपये करोड़ की राशि आवंटित की जा रही है। यह स्कीम 15 फरवरी तक शुरू की जाएगी। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इस योजना का प्रबंधन करेगा। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना और क्रमिक ब्यूरो से प्राप्त आंकड़े के आधार पर लाभान्वित की पहचान की जाएगी।

जिन विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदायों को अब तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है, उनकी पहचान का कार्य पूरा करने के लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदायों के लिए कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु विशेष रूप से

सारणी-1 : 10 आयाम वाला विज़न

1. 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना का निर्माण।
2. एक ऐसे डिजिटल भारत का निर्माण करना जिसकी पहुंच अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के साथ-साथ देश के सभी हिस्से एक हो तथा सभी भारतवासी के जीवन को प्रभावित करे।
3. भारत को प्रदूषण-मुक्त राष्ट्र बनाना।
4. ग्रामीण औद्योगीकरण का विस्तार करना।
5. स्वच्छ नदियां।
6. भारत के विकास को सशक्त बनाने में देश के तटीय और समुद्री मार्गों का इस्तेमाल करना।
7. भारत को विश्व के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए 'लांच पैड' के दर्जे को कायम रखना।
8. भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना।
9. स्वस्थ भारत।
10. सकारात्मक और उत्तरदायी अधिकारी।

सारणी-2 : प्रमुख योजनाओं पर क्रय (करोड़ रुपये)

योजनाएं	वास्तविक 2017-18	बजट अनुमान 2018-19	संशोधित अनुमान 2018-19	बजट अनुमान 2019-20
सबसे प्रमुख योजनाएं				
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	8694	9975	8900	9200
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	55166	55000	61084	60000
अनुसूचित जाति विकास अम्ब्रेला योजना	5061	5183	7609	5395
अनुसूचित जनजाति विकास अम्ब्रेला योजना	3573	3806	3778	3810
अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रेला योजना	3948	1440	1440	1551
अन्य कमजोर समूह विकास अम्ब्रेला योजना	1574	2287	1550	1227
प्रमुख योजनाएं				
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	6613	9429	8251	9516
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	16862	1900	15500	19600
प्रधानमंत्री आवास योजना	31164	27505	26405	25853
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	7038	7000	5500	8201
स्वच्छ भारत अभियान	19427	17843	16978	12750
राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान	32000	30634	31187	32251
राष्ट्रीय शिक्षा अभियान	29455	32613	32334	38572
स्कूलों में राष्ट्रीय दोपहर भोजन कार्यक्रम	9092	10500	9949	11000
अम्ब्रेला आईसीडीएस	19234	23088	23357	27584
केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं				
फसल बीमा योजना	9419	13000	12976	14000
किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी	13046	15000	14987	18000
आय सहायता योजना	–	–	20000	75000
यूरिया सब्सिडी	44223	45000	44995	50164
पोषाहार आधारित सब्सिडी	22244	25090	25090	24832
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्य सब्सिडी	61982	138123	140098	151000
एनएफएसए के तहत खाद्यान्न की विकेन्द्रित खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी	38000	31000	31000	33000

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक कल्याण विकास बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा।

मध्य वर्ग/वेतनभोगी वर्ग के लिए

कर स्लैब अथवा दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बावजूद, अधिकतम 5 लाख रुपये की कर-योग्य आय वाले लोगों को कर में पूरी छूट मिलेगी। यदि कुल कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक न हो तो किसी प्रकार कर का भुगतान करना जरूरी नहीं होगा। यदि 5 लाख रुपये से अधिक आय हो तो मौजूदा कर संरचना के अनुसार करों की गणना की जाएगी। इससे स्व-नियोजित, छोटे कारोबारी, छोटे व्यापारी, वेतनभोगी, पेंशनभोगी और अन्य वरिष्ठ नागरिकों जैसे लगभग 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को राहत मिलेगी। आयकर अधिनियम की धारा 80ए में संशोधन से यह संभव होगा। इस धारा के तहत छूट की अधिकतम राशि को 2500 रुपये से बढ़ाकर 12500 रुपये की गई है। यह लाभ वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लागू होगा यानी आकलन वर्ष 2020-21 के लिए तथा अगले आंकलन वर्षों के लिए प्रभावी होगा। इससे कुल राजस्व में लगभग 18,500 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इससे आयकर संरचना के आधार पर वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रतिव्यक्ति एक वर्ष में अधिकतम 3000 रुपये (अधिशेष को छोड़कर) का लाभ होगा। इसके परिणामस्वरूप लगभग 3.85 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को कर राहत प्रदान करते हुए लगभग 4700 करोड़ रुपये की राजकोषीय लागत होगी।

कर संबंधी अन्य प्रस्ताव

- बजट में बैंकों/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती की 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार, मार्च 2018 तक, प्रति खाता 2.75 लाख रुपये की औसत जमाराशि के साथ बैंकों में 239 मिलियन सावधि जमा खाते थे। लगभग 7.5 प्रतिशत ब्याज दर

की कल्पना की जाए तो औसतन प्रत्येक सावधि जमा खाताधारक को 20,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, जिसमें से उसे 10,000 रुपये पर स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) का भुगतान करना होगा। अब अधिकतम 40,000 रुपये के अर्जित ब्याज पर इससे छूट मिलेगी और सभी छोटे जमाकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इससे लोग प्रतिकूल जोखिम वाली जमा योजनाओं की तुलना में बैंकों में धनराशि जमा करके अधिक लाभ अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ऐसा अनुमान किया जाता है कि वर्ष के दौरान डाकघरों और बैंकों में लगभग 3-5 लाख करोड़ जमा राशि बढ़ेगी।

- इसके अलावा, छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए मकान किराये पर स्रोत कर की कटौती की सीमा को 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। किराये की आय पर निर्भर लोगों को इससे आसानी होगी।
- अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक पूंजीगत प्राप्ति कर वाले करदाताओं के लिए 2 आवासीय घरों तक पूंजीगत प्राप्ति कर के रूप में संशोधित किया गया है। यह लाभ जीवनकाल में एक बार ही मिलेगा।
- स्वयं रहनेवाले दूसरे मकान के कल्पित किराये पर आयकर में छूट दी जा रही है। इससे अपनी नौकरी, बच्चों की शिक्षा, माता-पिता की देखभाल जैसी जिम्मेदारियों के कारण दो स्थानों पर परिवारों के भरण-पोषण के लिए मध्यवर्गीय लोगों को मदद मिलेगी।
- आय कर रिटर्नों को बिना सामने आए निपटाये जाने का भी प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। इसका अर्थ यह है कि अगले दो वर्षों में निपटारे के लिए चयनित सभी रिटर्नों का सत्यापन और आकलन का कार्य इलेक्ट्रॉनिक विधि से किया जाएगा तथा इसके दौरान करदाता और कर अधिकारी व्यक्तिगत रूप से एक-दूसरे के सामने नहीं आएंगे।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण

बजट में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गया, जबकि इसका प्रारंभिक अनुमान क्रमशः 3.3 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत था। ❑

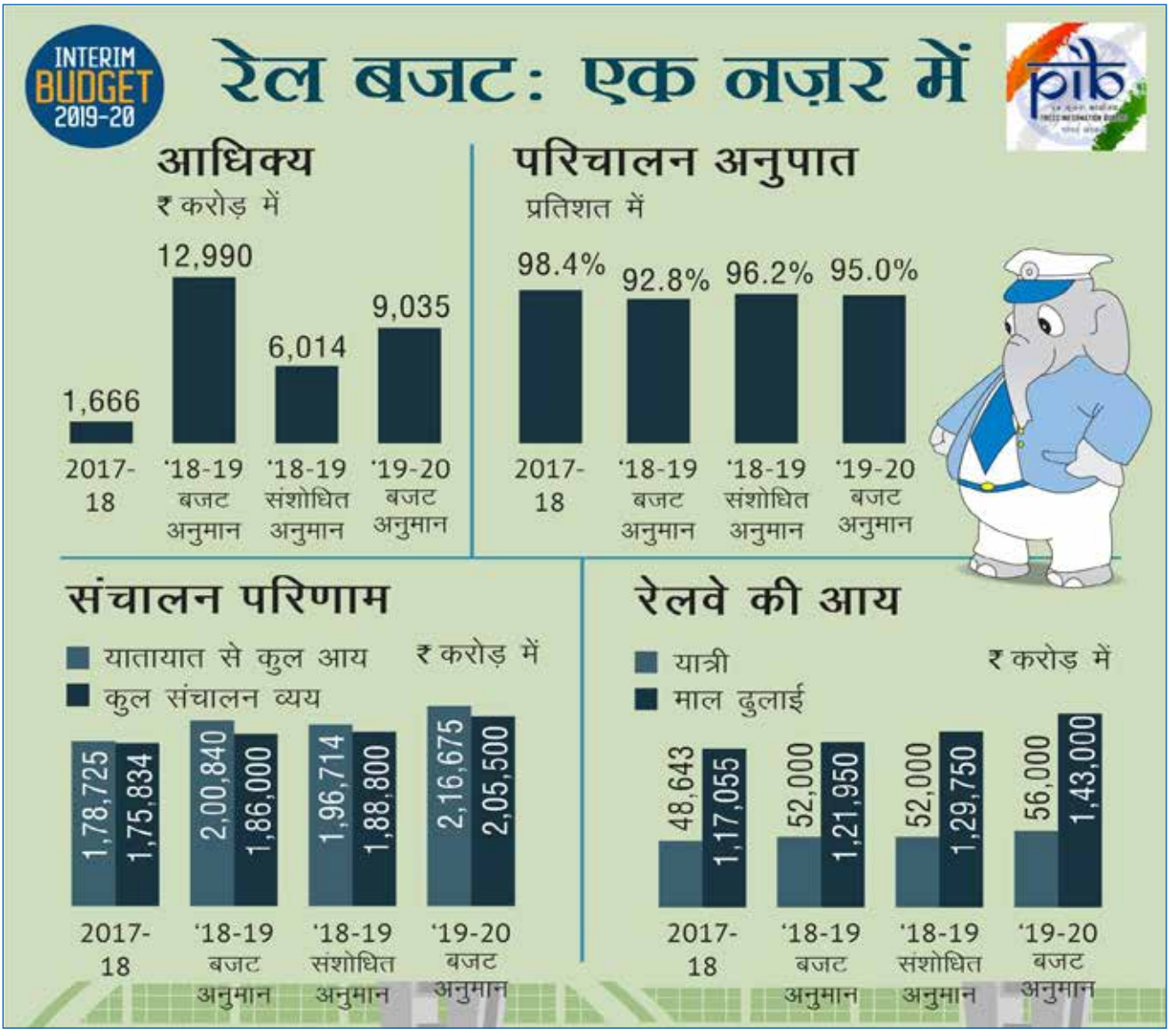

IAS

दीक्षांत
Education Centre

PCS

सामान्य अध्ययन

Free Coaching & SCHOLARSHIP PROGRAMME for All

भारत सरकार एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वित्तपोषित

यदि आप मेधावी, किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर हैं और IAS/PCS बनना चाहते हैं....
तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर....
दिल्ली में दीक्षांत IAS द्वारा एक

Free Coaching & Scholarship Programme

शुरू किया गया है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है....

जल्दी करें..... दीक्षांत चलें.....

भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से

नये फाउंडेशन बैच हेतु

by रामेश्वर सर

निःशुल्क कार्यशाला

के साथ कक्षा प्रारंभ

02 April
3 pm

समाजशास्त्र

वैकल्पिक विषय

नये फाउंडेशन बैच हेतु निःशुल्क कार्यशाला के साथ कक्षा प्रारंभ

26 March
9 am

Address:

289, Dhaka Johar, Near Dushahara Ground, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

✆ 011-27608204, 9312511015, 8851301204

YH-1032/2018

करारोपण प्रस्ताव

टी एन अशोक

वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पहली फरवरी को संसद में पेश किया गया। बजट में वेतनभोगियों और अन्य वर्गों के लिए आयकर में छूट की सीमा को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक बढ़ाने, मानक कटौती बढ़ाने, कल्पित किराये की आय पर राहत देने, दीर्घकालिक पूंजीगत प्राप्ति कर पर छूट देने और ब्याज की आय पर टीडीएस के लिए सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव किए गए, जिससे करदाताओं को काफी राहत मिली है।

इस बजट भाषण में महंगाई, 'राजकोषीय घाटे को लक्षित सीमा में नियंत्रित रखने, चालू खाता घाटे में नियंत्रण को रोकने और किसानों की समस्याओं जैसी ज्वलंत आर्थिक समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल की गई है। बजट में उन आधारभूत समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो और लोगों को आर्थिक रूप से राहत मिले।

हम सीमित करारोपण के प्रस्ताव, उनके लक्ष्य और लोगों को मिलने वाले लाभ की विवेचना करें।

करारोपण प्रस्ताव

वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है। इससे 3,588 रुपये की कर में बचत हो सकती है, यदि 35.88 प्रतिशत की अधिकतम सीमांत दर लागू हो।

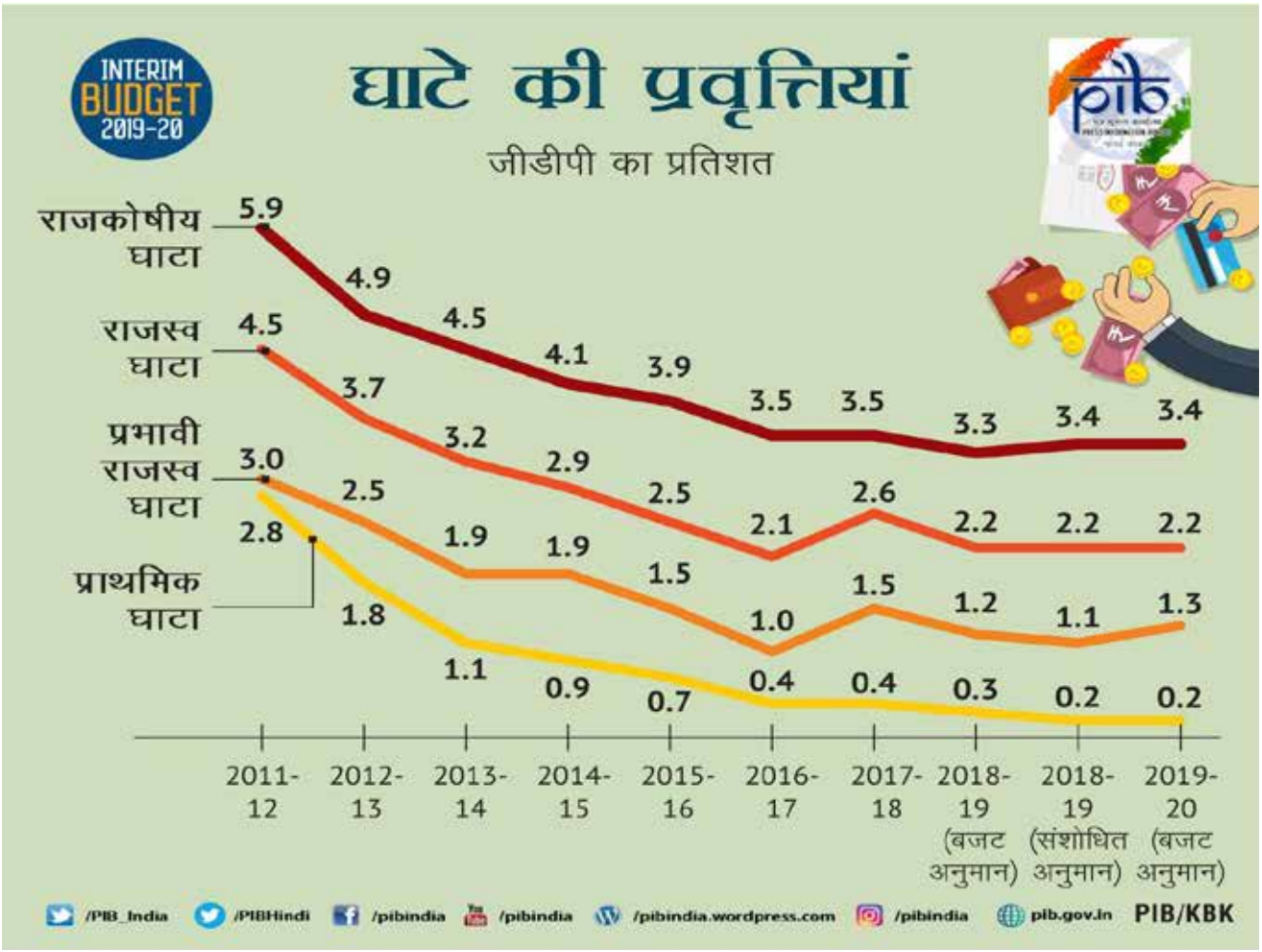

लेखक कार्पोरेट टाइकून के कार्यकारी संपादक, फ्लैग पोस्ट के रेजिडेंट एडिटर हैं तथा बिजनेस लाइन, द स्टेट्समैन, पार्लियामेंटरियन, पॉवर पॉलिटिक्स, नेट इंडियन डॉट इन के लिए लिखते रहते हैं। ईमेल: ashoktnex@gmail.com

यदि कोई अधिकतम 5 लाख रुपये तक कर योग्य आय (सभी प्रकार की कटौतियों के बाद) अर्जित करने वाले करदाता हैं, तो उसे कर में पूरी छूट मिलेगी। इससे पूर्व, स्वास्थ्य एवं शिक्षा अधिशेष सहित अधिकतम 13,000 रुपये का भुगतान कर के रूप में करना होता था। यदि आपकी कुल आय अधिकतम 6.5 लाख रुपये तक है तो आपको किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते आप भविष्य निधि, विशेष बचतों, बीमा आदि में निवेश करते हैं, जो धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र हैं।

ध्यान रहे, यदि आप भविष्य निधि, विशेष बचतों और बीमा आदि में निवेश करते हैं, तो अंतरिम बजट 2019-20 में गृह ऋण पर ब्याज के रूप में अधिकतम 2 लाख रुपये, शिक्षा ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान, स्वास्थ्य बीमा और वरिष्ठ नागरिकों पर चिकित्सा व्यय आदि जैसे व्ययों पर अतिरिक्त छूट का भी प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार, स्व-नियोजित, छोटे कारोबारी, छोटे व्यापारी, वेतनभोगी, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक समूह के लगभग 3 करोड़ मध्यवर्गीय तथा छोटे करदाताओं के लाभ के लिए 18,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप 3 करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 4,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर लाभ मिलेगा।

स्वयं रहनेवाले दूसरे मकान के कल्पित किराये को करयोग्य आय में नहीं जोड़ा जाएगा। इससे आपको अधिकतम दो घर रखने की अनुमति होगी और दूसरे घर के कल्पित किराये को कर योग्य आय में नहीं जोड़ा जायेगा।

मकान के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजीगत प्राप्ति पर भारत में स्थित दो मकानों में निवेश के लिए कर में छूट उपलब्ध रहेगी। यह विकल्प पूरे जीवनकाल में किसी व्यक्ति के लिए अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार के लिए केवल एक बार उपलब्ध होगा, जहां मकान की बिक्री से अधिक दो करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्ति हुई

है। इससे किसी व्यक्ति अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार को एक मकान बेचकर किसी पूंजी प्राप्ति कर का भुगतान किए बिना दो मकानों में निवेश करने की अनुमति होगी।

टीडीएस

बैंकों और डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर (स्रोत पर कर कटौती) टीडीएस की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़कर 40,000 रुपये किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये रहेगी। कुछ मामले में, मियादी जमा से 10,000 रुपये से अधिक ब्याज अर्जित करने वाले लोगों को टीडीएस के लिए टैक्स रिफंड क्लेम करने को लेकर आयकर रिटर्न भरना पड़ता था, जबकि उनकी कर योग्य कुल आय छूट की सीमा (2.5 लाख रुपये) से कम होती थी। अब ऐसे लोगों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी, यदि उन्हें ऐसी जमा राशि से मिलने वाले ब्याज की राशि 40,000 रुपये से अधिक न हो।

स्व-नियोजित, छोटे कारोबारी, छोटे व्यापारी, वेतनभोगी, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक समूह के लगभग 3 करोड़ मध्यवर्गीय तथा छोटे करदाताओं के लाभ के लिए 18,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

किसी व्यक्ति द्वारा किसी निवासी के लिए किराये के भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की सीमा 1.8 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपये प्रतिवर्ष की गई है। इससे छोटे करदाताओं को प्रशासनिक तौर पर राहत मिलेगी, यदि उन्होंने कंपनियों को अपना फ्लैट किराये पर दिया हो। हालांकि, यदि कोई किरायेदार छोटा व्यक्तिगत करदाता हो, ऐसे में टीडीएस तभी लागू होगी, जब प्रतिमाह 50,000 रुपये से अधिक धनराशि किराये के रूप में भुगतान की गई हो।

करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनेगा आयकर विभाग

आयकर विभाग को करदाताओं के लिए और भी अधिक अनुकूल बनाया जा रहा है। यह विभाग 24 घंटे के भीतर आयकर रिटर्न की प्रक्रिया पूरी करके इतने ही समय में धनवापसी की योजना तैयार करने में जुटा है। यह ऐसे करदाताओं के लिए काफी राहत की बात है, जो अब तक किसी वित्त वर्ष में अपना रिटर्न दाखिल करने के बाद अपना कर रिफंड पाने के लिए कई महीने तक प्रतीक्षा करते हैं।

एक अत्यंत लाभकारी बात यह भी है कि रिटर्नों का सभी सत्यापन और निपटारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से किया जाएगा। यह कार्य किसी अघोषित बैक ऑफिस द्वारा किया जाएगा, जहां पर विशेषज्ञ और अधिकारी तैनात रहेंगे तथा करदाता और कर्मचारी आमने-सामने नहीं होंगे।

'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)' के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को प्रत्यक्ष आय सहायता के तौर पर प्रतिवर्ष 6000 रुपये की घोषणा की गई है। पूरे वर्ष के लिए 6000 रुपये की धनराशि को 2,000 रुपये के प्रत्येक तीन किस्त में उनके बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। यह कार्यक्रम पहली दिसंबर, 2018 से प्रभावी होगा और 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए पहली किस्त का भुगतान इसी वर्ष के दौरान कर दिया जाएगा।

संक्षेप में कहें तो इस अंतरिम बजट की प्रमुख विशेषताएं हैं-

प्रत्यक्ष आय सहायता के साथ लगभग 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक नई योजना, असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों के लिए पेंशन से जुड़ी पहल, अधिकतम 5 लाख रुपये की आय पर आयकर से छूट देना, स्टाम्प ड्यूटी में सुधार करना, रक्षा क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के अब तक का सर्वाधिक बजटीय आबंटन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 58,166 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व धनराशि का प्रावधान, हरियाणा के लिए एक नया एम्स संस्थान, भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए विदेश की तर्ज पर एक ही स्थान पर निपटारा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अधिक धनराशि का प्रस्ताव करना, 1.5 करोड़ मछुआर के कल्याण के लिए एक अलग मत्स्य विभाग स्थापित करना इनमें प्रमुख है।

'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)' के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को प्रत्यक्ष आय सहायता के तौर पर प्रतिवर्ष 6000 रुपये की घोषणा की गई है। पूरे वर्ष के लिए 6000 रुपये की धनराशि को 2,000 रुपये के प्रत्येक तीन किस्त में उनके बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। यह कार्यक्रम पहली दिसंबर, 2018 से प्रभावी होगा और 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए पहली किस्त का भुगतान इसी वर्ष के दौरान कर दिया जाएगा।

राजकोषीय घाटा

वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में बजट घाटे को 3.4 प्रतिशत तक नीचे लाया गया है, जो सात वर्ष पहले लगभग 6 प्रतिशत था। इस वर्ष चालू खाता घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के केवल 2.5 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो छह वर्ष पहले 5.6 प्रतिशत था।

कुल मिलाकर, इस बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने के लिए ज्वलंत समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया है और लोगों को करों में लाभ प्रदान करते हुए, लोगों की जेब में अधिक धन रखा गया है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक 'उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था' में यदि उपभोक्ता के पास धन हो तो वह सामान खदीरता है, इससे बाजार में मांग पैदा होती है तथा उत्पादक उसका उत्पादन बढ़ाते हैं और अंतत: विकास को मजबूती मिलती है। ❑

फार्म-4

योजना (हिन्दी) मासिक पत्रिका के स्वामित्व तथा अन्य विवरण:

1.	प्रकाशन का स्थान	नयी दिल्ली
2.	प्रकाशन की अवधि	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	डॉ. साधना राउत
	नागरिकता	भारतीय
	पता	सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
4.	प्रकाशक का नाम	डॉ. साधना राउत
	नागरिकता	भारतीय
	पता	सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
5.	संपादक का नाम	कुलश्रेष्ठ कमल
	नागरिकता	भारतीय
	पता	648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
6.	उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामी/हिस्सेदार हों	सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली-110001

मैं, डॉ. साधना राउत, एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक : 15-2-2019

(डॉ. साधना राउत)

प्रकाशक

011-43045306
8929430710
8929630710

Y.D. Misra's IAS

011-43045306
8929430710
8929630710

PRELIM नहीं तो **MAIN** नहीं।

PRELIM परीक्षा–2019 में यदि सफल होना है तो

Y.D. Misra's IAS द्वारा आयोजित

30 DAYS

CRASH COURSE
with
30 PRELIM TESTS and Explanation

Y.D. Misra द्वारा बैच प्रारंभ

24 MAR 2019
TIME : 05-30PM to 08:30 PM

PRELIM CRASH COURSE
में भाग लेने के लिए इच्छुक परीक्षार्थी पंजीकरण करें।

ENQUIRY OFFICE

625, First Floor, Main Road, Near Aggarwal Sweet , Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

011-43045306
8929430710
8929630710

Y.D. Misra's IAS

011-43045306
8929430710
8929630710

ADMISSION OPEN

IAS PRELIM-CUM-MAIN 2020-21

GENERAL STUDIES

GS Prelim Exam + CSAT + Main Exam (Papers-I, II, III, IV) + ESSAY

+ OPTIONAL SUBJECTs

(HISTORY, GEOGRAPHY, PUBLIC ADMIN)

HINDI & ENGLISH MEDIUM

YD MISRA
& EMINENT FACULTY

द्वारा बैच प्रारंभ

APRIL 19 11:30am

ENQUIRY OFFICE

625, First Floor, Main Road, Near Aggarwal Sweet ,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

YH-1039/2018

भारत में समावेशी वित्तीय विकास

जे डी अग्रवाल

वित्तीय विकास का संबंध वित्तीय गहराई, पहुंच व उपलब्धता, दक्षता और स्थायित्व से है। इसमें वित्तीय संस्थानों, वित्तीय उत्पाद और उपयुक्त वित्तीय बाजारों की उपलब्धता की अहम भूमिका होती है। वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदम वित्तीय समावेशन के जरिये वित्तीय विकास को प्रभावित करते हैं। इसके जरिये देश में विकास को बढ़ावा देने, गरीबी कम करने और टिकाऊ विकास हासिल करने का मकसद होता है। इस मकसद को हासिल करने के लिए वैसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है जो वंचित और गरीब हैं, जिनके पास वित्तीय प्रणाली की उपलब्धता नहीं है और जो अर्थव्यवस्था में वित्तीय विकास के फायदे हासिल नहीं कर पाए हैं।

जैसा कि हम जानते हैं, कमजोर तबके और कम आय समूह वाले लोगों को किफायती दर पर वित्तीय सेवाएं और समय पर पर्याप्त कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि लोगों और उद्यमों तक किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच है, जो (उत्पाद व सेवाएं) जिम्मेदार और स्थायी रूप से उनकी लेनदेन, भुगतान, बचत, उधार, पेंशन और बीमा संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं।

वित्तीय समावेशन का काम यह भी सुनिश्चित करना है कि जीडीपी के मुकाबले जमा अनुपात में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों और बैंकों, प्रति हजार खातों की संख्या, प्रति एक लाख वयस्क आबादी पर बैंक शाखाओं

वित्तीय साक्षरता अभियानों को ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत है और इसे स्कूल के स्तर पर से भी चलाया जाना चाहिए, जहां छात्र-छात्राएं समझ विकसित करते हैं और खातों के जरिय लेनदेन करते हैं और यह सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है। अगर लोग वित्तीय उत्पादों व सेवाओं और रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों की भूमिका को बेहतर तरीके से समझते हैं तो यह काफी अच्छा होगा

लेखक भारतीय वित्त संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस), ग्रेटर नोएडा के वित्त विभाग और चेयरमैन के प्रोफेसर हैं। ईमेल: jda@iif.edu

की बढ़ती संख्या, पर्याप्त बाजार पूंजीकरण के मामले में वित्तीय मजबूती रहे।

यह बैंक खातों वाले लोगों के प्रतिशत में बढ़ोतरी, कर्ज की सहूलियत वाली छोटी कंपनियों के प्रतिशत में वृद्धि और बेहतर शुद्ध ब्याज मार्जिन की दिशा में सुविधाएं मुहैया कराता है। वित्तीय समावेशन कुल संपत्तियों की कुल लागत, लाभ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखते हुए वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाता है। साथ ही, वित्तीय समावेश अस्थिरता और वित्तीय कमजोरी को दूर करने और संपत्ति गुणवत्ता अनुपात, तरलता और मूल्य आय अनुपात आदि भी सुनिश्चित करता है।

वित्तीय समावेशन वित्तीय प्रणाली की उपलब्धता को सुगम बनाता है और इसके जरिये लोगों को वित्तीय और भौतिक संपत्तियों के निर्माण व शिक्षा, स्वास्थ्य और कारोबार के लिए कर्ज जुटाने में मदद मिलती है। साथ ही, बुढ़ापा और आपातकालीन जरूरतों के लिए भी बचत करने के लिए भी गुंजाइश बनती है। यह गरीबी और असमानता कम करने में भी मदद करता है। यह कई तरह की वित्तीय सेवाओं की पेशकश करता है, जो परिवार में कमाऊ शख्स की असमय मौत या दुर्घटना की हालत में सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही, बुढ़ापे की अवस्था में भी यह सुरक्षा मुहैया कराता है। वित्तीय समावेशन का मतलब व्यापक पारदर्शिता, नकदी लेनदेन को खाता लेनदेन में बदलने, बैंकिंग प्रणाली और साख निर्माण प्रक्रिया को मजबूत करने, भ्रष्टाचार और काला धन कम करने और देश के संसाधनों पर आम आदमी को बराबरी संबंधी अधिकारों को फायदा मुहैया कराने से है।

यह बैंक जमा में निवेश, बीमा उत्पादों में योगदान, शेयर बाजार और अन्य वित्तीय उत्पादों में भागीदारी, वित्तीय प्रणाली, उत्पादों और वित्तीय संपत्तियों आदि की स्थिरता और दक्षता की दिशा में सहूलियतें उपलब्ध कराता है।

भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। मसलन नो फ्रिल खाते, बचत खातों में ओवरड्राफ्ट, बीसी/बीएफ मॉडल, केसीसी/जीसीसी दिशा-निर्देश, उदारीकृत शाखा विस्तार, तकनीकी उत्पाद और सेवाओं की पेशकश, प्रीपेड कार्ड, मोबाइल बैंकिंग आदि। इसके अलावा, आरआरबी/सहकारी बैंकों को बीमा और वित्तीय उत्पाद बेचने की इजाजत, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और आधार संबंधी भुगतान प्रणाली (एआईपीएस) आदि शामिल हैं।

जीरो बैलेंस के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तौर पर जाना जाने वाला वित्तीय समावेशन कार्यक्रम लोगों को आर्थिक विकास के मुख्य धारा का हिस्सा बनने में मदद कर रहा है। 23 जनवरी 2019 तक इसके कुल 34.03 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके थे और इन खातों के जरिये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। इनमें से 20.14 लोग ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बैंक बचत खाता, जरूरत आधारित कर्ज की उपलब्धता, रकम भेजने संबंधी सुविधा, बीमा और पेंशन की उपलब्धता मुहैया कराता है। यह जमा राशि पर ब्याज, 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपये का जीवन बीमा, 6 महीने के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा, पेंशन की उपलब्धता, बीमा उत्पाद, रूपे डेबिट कार्ड और प्रति परिवार एक खाताधारक के लिए 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मुहैया कराता है। साथ ही, इस खाते में न्यूनतम राशि रखने की भी शर्त लागू नहीं होती है।

वित्तीय समावेशन के तहत मुद्रा योजना का मकसद रोजगार पैदा करना और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के मकसद के तहत गरीब और छोटे उद्यमियों को 10 लाख तक के कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की

उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अटल पेंशन योजना; प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना; प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना समेत कई योजनाओं की शुरुआत की गई है।

नोटबंदी, जीएसटी और डिजिटलीकरण, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग द्वारा देश के कोने-कोने में फैले 1.5 लाख डाकघरों को पेमेंट बैंक में बदलने और 11 पेमेंट बैंकों को संचालन संबंधी मंजूरी दिए जाने से वित्तीय विकास को समावेशी बनाने की प्रक्रिया में मदद मिल रही है।

केंद्रीय अंतरिम बजट 2019 में वित्तीय समावेशन से जुड़े उपायों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को सीधा उनके खाते में 6,000 रुपये सालाना आय हस्तांतरित करने का फैसला, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत 10 करोड़ श्रमिकों के लिए पेंशन योजना, पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ब्याज सब्सिडी, वंचितों और गरीबों को कर्ज की सुविधा के लिए निजी क्षेत्र के संस्थानों की सुविधा आदि शामिल हैं। इसके अलावा, कृषि और इससे संबंधित अन्य गतिविधियों, सूक्ष्य, लघु और मध्यम उद्यमों, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए, छात्र-छात्राओं को शिक्षा के लिए, कमजोर और कम आय वाले अन्य समूहों के लिए छोटे कर्ज और छात्रवृत्ति आदि सीधा बैंक खातों में ट्रांसफर करने के बारे में भी ऐलान किए गए हैं। साथ ही, 5 लाख तक की आय को आयकर से मुक्त कर दिया गया है। बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयकर मोर्चे पर इस मद में और 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट प्रदान की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक कर्ज देने में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को वरीयता देकर वित्तीय समावेशन को सहारा देता रहा है। इसके तहत बैंकों को समाज के गरीब और वंचित तबके को प्राथमिकता के आधार पर कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है, जो साधनों के अभाव और कर्ज संबंधी जटिल शर्तों को नहीं पूरा करने के कारण इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खेती और इससे संबंधित गतिविधियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा की खातिर और कम आय समूह वालों के लिए छोटे मूल्य के कर्ज शामिल हैं। कर्ज के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सामाजिक अवसंरचना और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र भी शामिल हैं। सरकारी बैंक अपने कुल कर्ज का 39.9 फीसदी हिस्सा यानी 20,723 अरब रुपये प्राथमिकता वाले क्षेत्र को देते हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में निजी बैंकों के कुल कर्ज में प्राथमिकता वाले क्षेत्र की हिस्सेदारी 40.8 फीसदी या 8,046 अरब रुपये थी, जबकि विदेशी बैंकों का यह आंकड़ा 38.3 फीसदी यानी 1,402 अरब रुपये था। बैंकों को वित्तीय समावेशन योजना तैयार करने के बारे में सलाह दी गई है। साथ ही, बैंकों से रिजर्व बैंक को बीसी-आईसीटी माध्यम के जरिये बैंक शाखाओं और बैंक मित्र, बुनियादी बचत बैंक खातों, इन खातों में उपलब्ध ओवरड्राफ्ट सुविधाओं, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जेसीसी) के सौदों की संख्या के बारे में बताने को कहा गया है।

केंद्रीय अंतरिम बजट 2019 में वित्तीय समावेशन से जुड़े उपायों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को सीधा उनके खाते में 6,000 रुपये सालाना आय हस्तांतरित करने का फैसला, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत 10 करोड़ श्रमिकों के लिए पेंशन योजना, पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ब्याज सब्सिडी, वंचितों और गरीबों को कर्ज की सुविधा के लिए निजी क्षेत्र के संस्थानों की सुविधा आदि शामिल हैं।

समावेशी वित्तीय विकास मौजूदा वक्त की जरूरत है। वित्तीय समावेशन को और प्रभावी बनाने के लिए छोटे शहरों और ग्रामीण भारत में डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल साक्षरता की जरूरत है। कर्ज देने के लिए उचित मंचों व माध्यमों, कर्ज की पहुंच और इसके लिहाज से समावेशी समाज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वित्तीय तकनीक को भी बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। इसके तहत सॉफ्टवेयर और आधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। मसलन मोबाइल बैंकिंग, निवेश संबंधी सेवाओं और क्रिप्टो मुद्रा (रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली) के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल और आम लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं को ज्यादा सुगम बनाने के लिए ब्लॉक चेन का उपयोग। वित्तीय साक्षरता अभियानों को ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत है और इसे स्कूल के स्तर पर से भी चलाया जाना चाहिए, जहां छात्र-छात्राएं समझ विकसित करते हैं और खातों के जरिय लेनदेन करते हैं और यह सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है। अगर लोग वित्तीय उत्पादों व सेवाओं और रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों की भूमिका को बेहतर तरीके से समझते हैं तो यह काफी अच्छा होगा। ❑

I A S

Join No. 1

पतंजलि

विश्वसनीय संस्थान, प्रामाणिक टीम, बेहतरीन रिजल्ट्स

P C S

Athar Aamir | Kiran Kaushal | A. Amrutesh Kalidas | Vipul Ujjval | Kanta Jangir | Nikita Khattar | Mukesh K. Lunayat | Yognik Bhagel | Garima Aggarwal

लाइव बैच द्वारा धर्मेन्द्र सर

दर्शनशास्त्र

- UPSC के साथ-साथ UPPCS के लिए भी बेहतरीन विषय
- छोटा सिलेबस
- लाखों तथ्यों को रटने से छुटकारा
- रिवीजन में आसान
- GS और निबंध में उपयोगी
- अंकदायी एवं सफलतादायी विषय

निःशुल्क कार्यशाला 22 फरवरी से प्रारंभ

दिल्ली केन्द्र

CSAT-2019

Under the Guidance of Dharmendra Sir

निःशुल्क कार्यशाला 24 फरवरी से प्रारंभ

JAIPUR CENTRE

विश्वसनीय संस्थान, प्रामाणिक टीम, बेहतरीन रिजल्ट्स

धर्मेन्द्र सर के निर्देशन में पढ़िये उनसे जिनकी प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता निर्विवाद है तथा जिनसे IAS/RAS टॉपरों ने भी पढ़ा है।

RAS Foundation 2019 Pre.+ Mains

निःशुल्क कार्यशाला 24 फरवरी | प्रथम बैच प्रातः 8 बजे | द्वितीय बैच 2 बजे

IAS निःशुल्क कार्यशाला 24 फरवरी

राजस्थान के विद्यार्थियों को अब IAS की तैयारी हेतु दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पतंजलि संस्थान में धर्मेन्द्र सर के मार्गदर्शन में दिल्ली एवं जयपुर की प्रामाणिक विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन

RAS (Mains) Test Series

Hindi/English Medium

24 फरवरी से प्रारंभ

DELHI CENTRE
202, 3rd Floor, Bhandari House
(Above Post Office) Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Helpline No.: 9810172345, 9811583851

JAIPUR CENTRE
31, Satya Vihar, Lal Kothi,
Near New Vidhan Sabha, Jaipur
Helpline No.: 72406-72406, 9571456789

http://iaspatanjali.com | 8750187505 | https://www.facebook.com/patanjaliiasclasses/

YouTube Patanjali IAS
▶ Ethics क्या है? ▶ दर्शनशास्त्र : एक परिचय ▶ Jitendra Kumar Soni IAS ▶ Govind Jaiswal IAS ▶ Athar Aamir Khan IAS
for more videos, subscribe our YouTube Channel

YH-969/2018

सुशासन के जरिए समावेशी विकास

योगेश सूरी
देश गौरव सेखड़ी

विश्व और भारत का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि सुशासन से किस तरह लोगों के जीवन में सुधार हुआ और प्रशासन में खामियों से किस तरह नस्ल और राष्ट्र नष्ट हो गए। भारतीय पौराणिक गाथाओं में भी सुशासन और सतत विकास पर जोर दिया गया है। श्रीमद्भगवत गीता 50 सदी पुरानी कृति है, जो हमें अच्छे प्रशासन, नेतृत्व, कर्तव्यपरायणता और आत्ममंथन के असंख्य उदाहरण देती है, जो आधुनिक समय में भी लगातार प्रासंगिक बने हुए हैं। यहां तक कि कौटिल्य (दूसरी और तीसरी सदी ईसा पूर्व) अर्थशास्त्र में भी जनहित को राजा की भूमिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी सु-राज पर बल दिया, जिसका अर्थ है, सुशासन। हाल के संदर्भ में सुशासन का महत्व भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से अंकित है, जिसका आधार है - एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, जो जनता के कल्याण और कानून सम्मत शासन के लिए प्रतिबद्ध हो।

सुशासन की सटीक परिभाषा तलाशने के बीच दसवीं पंचवर्षीय योजना परिपत्र में त्रुटिपूर्ण प्रशासन के कुछ परिणामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें अर्थव्यवस्था के लचर प्रबंधन, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना, जान-माल की सुरक्षा को खतरा, समाज के कुछ वर्गों का वंचित रहना, प्रशासन तंत्र में संवेदनशीलता की कमी, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, न्याय मिलने में देरी और गरीबों को शासन में भागीदारी का अवसर न मिलना तथा कुल मिला कर स्थिति में गिरावट शामिल है।

सुशासन के स्तंभ

संयुक्त राष्ट्र में सुशासन के आठ स्तंभ बताए हैं। ये हैं सहमति आधारित, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, समान और समावेशी, प्रशावशाली और कुशल, कानून सम्मत शासन और समुचित भागीदारी। सतत विकास लक्ष्यों में भी लक्ष्य-16 सीधे इससे जुड़ा माना जा सकता है क्योंकि यह प्रशासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकारों और सुरक्षा में सुधार के लिए समर्पित है।

सुशासन सरकार की सभी पहलों की बुनियादी शर्त होना चाहिए। एक बार पूरी निष्ठा से इसे लागू किए जाने पर न केवल 2022 तक नए भारत के निर्माण का लक्ष्य बल्कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं

आजादी के 75 वर्ष की कार्य योजना

नीति आयोग ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करते हुए व्यापक परिपत्र सामने रखा है- ''स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया@75''। इस व्यापक दस्तावेज में 41 अध्याय हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, मौजूदा स्थिति और अवरोध तथा न केवल 2022 तक भारत को 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने बल्कि अगले तीन दशक के लिए स्वच्छ, समावेशी और सतत वृद्धि का ठोस आधार भी प्रस्तुत किया गया है। इन 41 अध्यायों में से 7 प्रशासन पर केंद्रित हैं। इनमें संतुलित क्षेत्रीय विकास, कानूनी, न्यायिक और पुलिस सुधार, आकांक्षी जिलों का विकास, लोक सेवा सुधार, नगर प्रशासन, भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग और आंकड़ा आधारित प्रशासन जैसे विषय शामिल हैं। बाकी के अध्यायों में भी, विशेषकर जो सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, सुशासन, बेहतर सेवा उपलब्ध कराने और

श्री योगेश सूरी नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार और श्री देश गौरव सेखड़ी विशेषज्ञ, शासन और अनुसंधान हैं। ईमेल: yogesh.suri@gov.in, dg.sekhri@nic.in

अधिक प्रभावी परिणामों की कुंजी माना गया है।

उदाहरण के तौर पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार के प्रमुख सुझावों में समुचित निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रशासन को दुरुस्त किए जाने का परामर्श दिया गया है। इसीलिए राज्यों को शिक्षकों की योग्यता, उनकी अनुपस्थिति और प्रदर्शन के परिणामों पर समुचित नियमन के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार और विकसित करना होगा। इसके अलावा शिक्षण और प्रदर्शन परिणामों का नियमित आकलन मंत्रालयों से अलग स्वतंत्र निकायों द्वारा किया जाना चाहिए। एक अन्य सुझाव विशेष पहचान संख्या के साथ प्रत्येक बच्चे के अध्ययन परिणामों और अंतिम परीक्षा की जानकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय शैक्षिक रजिस्ट्री तैयार करना है। इससे न केवल प्राथमिक शिक्षा के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की सूची तैयार करने में मदद मिलेगी, बल्कि समाज के वंचित वर्गों तथा शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की जरूरतों पर भी ध्यान देना संभव हो सकेगा।

इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में परिपत्र चिकित्सा, नर्सिंग, दंत चिकित्सा और औषधि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रशासन में सुधार का परामर्श देता है। यह आयुष, नर्सिंग, दंत चिकित्सा और फार्मेसी परिषद के प्रस्तावित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017 के अनुरूप पुनर्गठन का भी सुझाव देता है। शिक्षा का मानकीकरण सुनिश्चित करने तथा शिक्षण संस्थानों, अध्यापन विधियों, चिकित्सा प्रोटोकोल और कार्यबल प्रबंधन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र बनाने के वास्ते सहयोगी स्वास्थ्य पेशेवर परिषद स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

देश के कम विकसित क्षेत्रों में लोगों के जीवन में समयबद्ध तरीके से बदलाव लाने के लिए यह कार्यक्रम जनवरी 2018 में आरंभ किया गया। भारत में परिवर्तन सुनिश्चित करने के संस्थान – नीति आयोग द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का उद्देश्य 115 सर्वाधिक पिछड़े जिलों का कायाकल्प करना है। इन जिलों में विशेष रूप से स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षण, कृषि और जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रयासों से प्रशासन संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। इन प्रयासों में दूरदर्शिता और जिला योजना, पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था, सभी पक्षों के प्रयासों में तालमेल और विभिन्न जिलों के बीच रैंकिंग आधारित प्रतियोगिता के माध्यम से उनमें विकास की इच्छा और तत्परता जागृत करना है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (सरकार से लाभान्वित तक) योजना का उद्देश्य ऐसा प्रशासन तंत्र विकसित करना है, जिसमें लोगों को सरल और अनुकूल प्रशासन मिल सके तथा पात्र व्यक्ति और परिवारों तक स्वतंत्र, पारदर्शी, कुशल और विश्वसनीय तरीके से लाभों का सीधे हस्तांतरण हो सके। यह योजना विभिन्न लाभों को प्राप्त करने में सहायक है। सबसे पहले तो यह लाभ हस्तांतरण के विभिन्न स्तरों को समाप्त करती है। दूसरा यह भुगतान में विलंब रोकती है और तीसरी बात यह कि इससे सीधे सही लाभान्वित तक पहुंचने में मदद मिलती है और हस्तांतरण में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (सरकार से लाभान्वित तक) योजना का उद्देश्य ऐसा प्रशासन तंत्र विकसित करना है, जिसमें लोगों को सरल और अनुकूल प्रशासन मिल सके तथा पात्र व्यक्ति और परिवारों तक स्वतंत्र, पारदर्शी, कुशल और विश्वसनीय तरीके से लाभों का सीधे हस्तांतरण हो सके।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था से हस्तांतरित की गई कुल राशि का योग 6 लाख करोड़ से भी अधिक हो चुका है।

न्यायिक सुधार

दिसंबर 2018 तक इससे अनुमानित बचत 1.1 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। इसमें सबसे बड़ी बचत रसोई गैस योजना के तहत (56,391 करोड़ रुपये), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (30,303 करोड़ रुपये) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत (19,765 करोड़ रुपये) हुई है। आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं के लक्षित हस्तांतरण के लिए) अधिनियम 2016 लागू हो जाने के बाद इस पहल को काफी बढ़ावा मिला है।

लोक सेवा, कानून, न्यायिक और पुलिस सुधार

प्रशासन में सुधार की अवधारणा मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी/न्यायिक प्रणाली तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सुधारों से जुड़ी है। देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में बदलाव, सेवाओं की आपूर्ति के नए तंत्रों के विकास और विभिन्न अदालतों में 2 करोड़ 70 लाख से अधिक लंबित मामलों को देखते हुए प्रशासनिक सुधारों पर तत्काल विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। नीति आयोग ने नए भारत के संदर्भ में अपने परिपत्र में लोक सेवा, कानूनी/न्यायिक और पुलिस सुधारों के बारे में अनेक सुझाव दिए हैं। ये इस प्रकार हैं :

लोक सेवा सुधार

- आमूल चूल परिवर्तन और अधिकारी आधारित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना।
- सेवाओं की तर्क संगतता और समुचित तालमेल से केंद्रीय और राज्य स्तरीय अलग-अलग लोक सेवाओं की मौजूदा 60 से अधिक संख्या में कमी लाना।
- विशेषकर उच्च स्तरों पर विशेषज्ञों को लाकर पार्श्व प्रवेश को प्रोत्साहित करना।
- लोक सेवाओं में प्रवेश की उम्र कम करना।
- संभावित क्षेत्रों में म्युनिसिपल काडर और आउट सोर्स सेवा आपूर्ति मजबूत बनाना।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाकर सेवाओं की आपूर्ति, शिकायत निपटान और सूचनाओं तक लोगों की पहुंच के लिए समावेशी जनकेंद्रित ढांचा विकसित करना।
- भ्रष्टाचार का पता लगाने और रोकथाम तथा साथ ही निष्ठावान लोकसेवकों की रक्षा के लिए संस्थागत तंत्रों को मजबूत कर प्रशासन में ईमानदारी सुनिश्चित करना।

प्रशासन में सुधार की अवधारणा मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी/न्यायिक प्रणाली तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सुधारों से जुड़ी है। देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में बदलाव, सेवाओं की आपूर्ति के नए तंत्रों के विकास और विभिन्न अदालतों में 2 करोड़ 70 लाख से अधिक लंबित मामलों को देखते हुए प्रशासनिक सुधारों पर तत्काल विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

न्यायिक सुधार

- केंद्र और राज्य के सभी मौजूदा कानूनों, नियमों और विनियमों का संग्रह तैयार करना।
- अनावश्यक कानूनों को रद्द करना और मौजूदा कानूनों की निषेधात्मक धाराओं

को हटाना।

- पूर्व मध्यस्थता पर विशेष ध्यान देते हुए आपराधिक न्याय और प्रक्रियागत कानूनों में सुधार लाना।
- उल्लंघनों का आपराधिक लाभ उठाना रोकना और छोटे अपराधों (माइनर अफेंस) का एकीकरण।
- अदालती प्रक्रिया की स्वायत्तता को प्राथमिकता देना तथा इलेक्ट्रॉनिक अदालतें और मामलों के प्रबंधन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- न्यायिक प्रणाली में एक प्रशासनिक काडर शामिल करना।

पुलिस सुधार

- पुलिस बल का आधुनिकीकरण और मॉडल पुलिस अधिनियम 2015 लागू करना।
- राज्य पुलिस बल में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।
- पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम लागू करना और शिक्षा जारी रखना।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दायर करने की मौजूदा व्यवस्था में सुधार। छोटे अपराधों (माइनर अफेंस) के लिए ई-एफआईआर दायर करने सहित।
- नागरिकों की सुरक्षा संबंधी आपात आवश्यकताओं के लिए एक साझा राष्ट्रव्यापी आपात संपर्क संख्या की शुरुआत करना।
- साइबर अपराधों/साइबर खतरों और धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक अलग काडर बनाना।

ई-प्रशासन

2022 तक नए भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। इनमें लोगों तक कागज रहित, नकदी रहित व्यापक सेवाओं की उपलब्धता सुलभ बनाना, सबको संपर्क और डिजिटल पहचान संख्या उपलब्ध कराना, आधार संख्या के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और ई-प्लेटफार्म उपलब्ध कराना शामिल हैं। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को योजनाओं, इसके क्रियान्वयन, निगरानी और केवल खर्च पर नहीं, बल्कि परिणामों पर जोर देते हुए आकलन पर बारीकी से नजर रखनी होगी। जहां तक संभव हो, सूचना संचार प्रौद्योगिकी और बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा को भी बेहतर परिणामों के लिए अपनाया जा सकता है। आने वाले कल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी प्रकार समग्र विकास में समाज, उद्योग जगत, बाजारों और नागरिकों को भी बड़े पैमाने पर शामिल किए जाने की जरूरत है। केंद्रीकृत शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम, नए युग के प्रशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन (उमंग) और माईजीओवी जैसे पोर्टल को सूचनाओं के आदान प्रदान, फीडबैक हासिल करने और शिकायतों के निपटान के लिए और प्रभावी बनाए जाने की जरूरत है)।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि सुशासन सरकार की सभी पहलों की बुनियादी शर्त होना चाहिए। एक बार पूरी निष्ठा से इसे लागू किए जाने पर न केवल 2022 तक नए भारत के निर्माण का लक्ष्य बल्कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। ❑

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के नि:शुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल की पुस्तक

'आप IAS कैसे बनेंगे'

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

YH-920/6/2018

MD.: Niraj Singh

Divyasen Singh (Co-ordinator)

IAS GS World PCS

Committed To Excellence

"बड़े सपनों की बड़ी शुरूआत..."

सामान्य अध्ययन

Foundation Batch Starts...

दिल्ली केन्द्र	लखनऊ केन्द्र	प्रयागराज केन्द्र
26 Mar. | 6:30 pm	8 Mar. | 8:30 am / 6:00 pm	12 Mar. | 8:00 am (हिन्दी माध्यम)

CURRENT 360° TEST SERIES

Revise Your Current Through Test and Text.

Start On. 17 March

Medium:- हिन्दी / English

IAS MAINS TEST-SERIES-2019 (दिल्ली केन्द्र)

Total Test - 30

17 March

Medium:- हिन्दी / English

ऐसे छात्र जो किसी कारणवश UP PCS Mains Crash Course कक्षा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते उनके लिए घर बैठे विशेष दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (DLP)

for more details 8726027579

GS World IAS Institute | gsworldias@gmail.com | t.me/GSWorldIAS

DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 7042772062/63, 9868365322

ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894

YH-1033/2018

सबके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता

चंद्रकांत लहारिया

हाल के वर्षों में स्वास्थ्य और आर्थिक वृद्धि का पारस्परिक संबंध सबके लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने की दिशा में देशों के लिए मिलकर आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण तर्क और आधार बन गया है। इसके लिए सेवाओं की व्यवस्था में सुधार और वित्तीय संरक्षण तंत्र विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 (एनएचपी-2017) के तहत सबके लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने का संकल्प रखा है।

स्वास्थ्य सेवाओं की, सरकारी व्यवस्था में सुधार करना

पिछले 15 वर्षों में केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों ने स्वास्थ्य परिणामों के सुधार के लिए प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और उसके बाद राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन ने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाएं मजबूत करने की नींव रखी है।

भारत में राज्यों ने भी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए हैं। फरवरी, 2017 में तमिलनाडु ने सबके लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के तहत प्रायोगिक तौर पर तीन जिलों के तीन ब्लॉकों में 67 उप-केन्द्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार करके, वहां अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों, दवाओं तथा नैदानिक सुविधाओं की आपूर्ति की। इसके एक साल बाद फरवरी, 2018 में एक स्वतंत्र आकलन में कहा गया कि इस प्रयास से इलाज के लिए इन केन्द्रों में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है और स्वास्थ्य पर मरीजों का अतिरिक्त खर्च कम हुआ है। यही तरीका अब तमिलनाडु के अन्य जिलों में भी अपनाया जा रहा है। राज्य, स्वास्थ्य व आरोग्य केन्द्र तेज गति से स्थापित करने की दिशा में भी सबसे

लोगों का बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक वृद्धि और देश के समग्र विकास से मूलभूत रूप से जुड़ा हुआ है और उसमें योगदान देता है। स्वास्थ्य व लोगों और सरकार के बीच सामाजिक अनुबंध है। सबके लिए स्वास्थ्य सुलभता बढ़ाने के बारे में वैश्विक लोक-विमर्श ने सभी स्तरों पर सरकारों के लिए स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाने, समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने, जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रावधान करने और वित्तीय संरक्षण प्रदान करने के लिए तंत्र विकसित करने का अवसर दिया है।

लेखक नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। ईमेल: lahariyac@who.int

आगे बढ़ रहा है। अन्य राज्यों के साथ-साथ केरल, परिवार स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार ला रहा है और राजस्थान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में सुधार के लिए कार्य कर रहा है। दिल्ली में 'मोहल्ला या सामुदायिक क्लीनिक' और तेलंगाना में 'बस्ती दवाखाना' शहरों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की दिशा में नए मॉडल के रूप में उभर रहे हैं।

स्वास्थ्य से जुड़े खर्च के लिए वित्तीय संरक्षण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने राज्यों को और अधिक जनसंख्या तक भी स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करने मंच प्रदान किया है। जिसमें उत्तराखंड ने 'अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना', हिमाचल प्रदेश 'हिमकेयर' के तहत और अधिक जनसंख्या को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तरह ही प्रीमियम के पूर्व भुगतान करने पर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। मेघालय, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और पंजाब के साथ-साथ कुछ अन्य राज्यों ने भी अतिरिक्त जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है।

स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापकता

स्वास्थ्य सेवाओं के परिणामों में सुधार के लिए जरूरी है कि सभी नागरिकों को व्यापक (प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक, नैदानिक, पुनर्वासात्मक) की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। भारत में मिश्रित स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था है, जिसमें अधिकतर स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र (75 प्रतिशत बहिरंग रोगियों और इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल 65 प्रतिशत मरीजों) उपलब्ध कराता है, (एनएसएसओ, 2014)। निजी क्षेत्र के वर्चस्व वाली मिश्रित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की एक चुनौती यह है कि निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन, जनसंख्या की स्वास्थ्य जरूरतों से बिल्कुल अलग है। निजी क्षेत्र मुख्य रूप से बीमारों की सेवा और उपचारात्मक तथा नैदानिक सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसलिए प्रोत्साहक, निवारक और अन्य जन स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार पर आ जाता है। ये देखते हुए कि अधिकांश स्थानों पर केवल सरकार ही ये सेवाएं उपलब्ध कराती है, भारत में जन स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में तेजी से बढ़ोतरी की जरूरत है, जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भी कहा गया

है। इसके अतिरिक्त भारत के सभी राज्यों द्वारा जनस्वास्थ्य प्रबंधन कैडर स्थापित करने की भी आवश्यकता है।

स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय बढ़ाना

वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य पर औसत सरकारी व्यय जीडीपी के अनुपात में करीब पांच प्रतिशत है और सरकारी बजट के अनुपात में 10 प्रतिशत है। भारत में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय का स्तर जीडीपी का करीब 1.15 प्रतिशत और सरकारी बजट का लगभग 4 प्रतिशत है। सरल शब्दों में कहा जाए तो भारत में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च (2014-15 में) 1,108 रुपये था जबकि (परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, 2016) में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च कुल 3,826 रुपये है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रस्ताव है (क) 2025 तक सरकारी खर्च सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) के 2-5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए और (ख) और राज्यों को 2020 तक स्वास्थ्य पर अपने बजट का 8 प्रतिशत खर्च करना चाहिए। अभी राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च भिन्न-भिन्न है और अधिकांश राज्य स्वास्थ्य पर अपने बजट का पांच प्रतिशत खर्च करते हैं। यह देखते हुए कि स्वास्थ्य खर्च में केन्द्र और राज्य सरकारों का अनुपात लगभग 1:2 है, इसके लिए भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य हासिल करने के लिए केन्द्र और राज्य, दोनों को अपने बजट आवंटन में बढ़ोतरी करने की जरूरत है।

अंतरिम बजट प्रस्ताव

भारत का अंतरिम केन्द्रीय बजट 2019-20 पहली फरवरी 2019 को संसद में पेश किया गया। बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 63,371 करोड़ रुपये का कुल आवंटन किया गया। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के लिए कुल आवंटन 8,000 करोड़ रुपये किया गया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 31,745 करोड़ रुपये दिए गए (तालिका-1)। इसके अतिरिक्त हरियाणा में नया एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे भारत में एम्स की कुल संख्या 22 हो जाएगी। 'भारत के लिए 2030 तक के विजन के दस आयामों में से एक स्वस्थ भारत' है।

केन्द्रीय बजट 2019-20 में 2018-19 के संशोधित अनुमान के मुकाबले लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य के लिए सरकारी बजट में बढ़ोतरी को अक्सर वार्षिक आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और मुद्रास्फीति दर के जरिए संतुलित किया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य हासिल करने के लिए केन्द्र और राज्यों दोनों को स्वास्थ्य आवंटन अगले पांच से छह वर्षों में लगभग 20 से 25 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाना होगा। भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, इसलिए ये काफी हद तक व्यावहारिक और वांछनीय है।

आगे का रास्ता

- **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता:** सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी होती हैं, लागत कम होती है और उपचारक तथा प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में मदद मिलती है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली 80 प्रतिशत स्वास्थ्य ज़रूरतों का निपटान कर सकती है और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत घटा सकती है। 2001 में,

तालिका 1 : भारत के केंद्रीय अंतरिम बजट 2019-20 में आवंटन

मंत्रालय/विभाग/कार्यक्रम	2017-18 (वास्तविक)	2018-19 (बीई)	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)	% बदलाव'
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**53,114**	**54,600**	**55,995**	**63,371**	**16.0**
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	51,382	52,800	54,302	61,398	16.3
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कुल	31,521	30,129	30,683	31,745	05.4
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य और मिशन	664	875	675	700	-20.1
आयुष्मान भारत कार्यक्रम (एबीपी)	-	-	3,600	8,000	150.0
स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र- ग्रामीण	-	-	1,000	1,350	35.0
स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र- शहरी	-	-	200	250	25.0
स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र- कुल	-	-	1,200	1,600	एनए
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	-	-	2,400	6,400	एनए
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1,732	1,800	1,743	1,973	09.6
आयुष मंत्रालय	**1,531**	**1,626**	**1,693**	**1,739**	**06.9**
राष्ट्रीय आयुष मिशन	479	505	505	506	00.0
महिला और बाल विकास मंत्रालय	**20,396**	**24,700**	**24,759**	**29,165**	**18.0**
कुल आईसीडीएस	19,234	23088	23357	27584	19.5
आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्ववर्ती कोर आईसीडीएस)	15,155	16,335	17,890	19,834	21.4
राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनआईपी सहित)	893	3,000	3,061	3,400	13.3
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	2,048	2,400	1,200	2,500	04.4
फार्मास्यूटिकल, रसायन और उर्वरक विभाग	252	261	213	236	**-09.6**
जन औषधि योजना	48	84	42	47	-44.0
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	**2,626**	**2,675**	**2,675**	**3,175**	**18.7**
जलवायु परिवर्तन कार्य योजना	27	40	40	40	00.0
प्रदूषण नियंत्रण	-	-	05	460	एनए
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**33,192**	**31,100**	**32,465**	**42,901**	**-38.0**
गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन	2,252	3,200	3,200	2,724	-14.9
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	**23,939**	**22,356**	**19,993**	**18,216**	**-18.5**
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण	16,888	15,343	14,478	10,000	-34.8
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	**40,061**	**41,765**	**42,965**	**48,031**	**15.0**
स्वच्छ भारत मिशन : शहरी	2,539	2,500	2,500	2,750	10.0
स्वच्छ भारत मिशन- कुल (ग्रामीण-शहरी)	**19,427**	**17,843**	**16,978**	**12,750**	**-28.5**

टिप्पणी: सभी राशि भारतीय रुपये करोड़ में, बीई: बजट अनुमान, आरई: संशोधित अनुमान
आईसीडीएस: समेकित बाल विकास सेवाएं
आईएसएसएनआईपी: आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार कार्यक्रम
बदलाव बीई 2018-19 और बीई 2019-20 (अंतरिम बजट) के बीच तुलना है
एनए: मान्य नहीं, जहां बीई उपलब्ध नहीं हैं

सबके लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ की योजना शुरू होने से 30 साल पहले थाइलैंड ने 1971 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मज़बूत करना आरंभ कर दिया था। भारतीय राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का व्यापक तंत्र है। भारत में लगभग 192,000 प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का मौजूदा तंत्र कुल बहिरंग सेवाओं में से केवल 10 प्रतिशत सेवाएं (मां और शिशु स्वास्थ्य सेवा को छोड़कर) दे पाता है जबकि इसकी क्षमता इससे काफी अधिक है। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बल देने और तेज़ी से मज़बूत करने की आवश्यकता है।

- **केवल 'अनुमानित सुलभता' पर ज्यादा ध्यान न देकर वित्तीय संरक्षण पर अधिक जोर:** 2015-16 में लगभग 22-25 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या को

किसी न किसी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को राज्य विशेष योजना का सहयोग मिलने से स्वास्थ्य सुलभता करीब 55 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या तक हो सकती है। नीति आयोग के 5 वर्ष की रणनीतिक योजना में नए भारत के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुलभता 2022 तक 75 प्रतिशत जनसंख्या तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। भारत को अन्य देशों के अनुभवों से सीखना चाहिए और ऐसे डिज़ाइन और तंत्र लागू करने चाहिए जिससे स्वास्थ्य सेवा योजनाओं की सुलभता से आपदा खर्च और अतिरिक्त खर्च दोनों कम हों तथा स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हो।

बॉक्स 1 : भारत में चल रहीं स्वास्थ्य पहल को मज़बूत करने के लिए राज्य नेतृत्व की ज़रूरत (सांकेतिक सूची)

1. उप-जिला स्तर स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करें जहां स्वास्थ्य सेवाएं संगठित करने के लिए योजना इकाई ब्लॉक/तहसील स्तर पर हो। यह बहुत ही उपयुक्त होगा क्योंकि भारतीय ब्लॉक/तहसीलों में जनसंख्या बहुत हद तक अन्य देशों के जिलों के समान है (लगभग 100,000 से 200,000 जनसंख्या)। प्रभावी योजना इतनी ही जनसंख्या पर की जा सकती है और इन प्रत्येक उप-जिला स्तर इकाइयों को स्वास्थ्य सेवा में स्वास्थ्य-योग्य बनाना चाहिए। कुछ भारतीय राज्य इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और यह दृष्टिकोण अपना सकते हैं।
2. सेवाएं बढ़ाने के लिए नए और पूरक कदम उठाएं: जनसंख्या स्वास्थ्य सेवाएं मज़बूत करने के लिए अलग जनस्वास्थ्य कैडर स्थापित करें। स्वास्थ्य सेवा के सभी स्तरों पर सभी जनसंख्या को मुफ्त दवाएं और नैदानिक सुविधाएं बढ़ाएं। इसका विस्तार निजी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में आने वाले लोगों तक भी किया जा सकता है। समग्र सुधार ताकि डॉक्टर, नर्स और पेरामेडिकल स्टाफ 1:3:6 के अनुपात में स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
3. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली शहरी क्षेत्रों में कमज़ोर है। यह समझते हुए कि अधिकांश भारतीय राज्यों में शहरी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर केंद्रित, निर्देशित पहलों और प्रयासों की ज़रूरत है।
4. मौजूदा माध्यमिक और तृतीयक स्तर की सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को बहिरंग रोगी परामर्श और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से जोड़ना। इस संबंध से जनस्वास्थ्य और उपचारक तथा प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़नी चाहिए।
5. सेकेंड्री और टर्शरी स्तर की अस्पताल में भर्ती रोगियों की चिकित्सा सेवाओं के लिए समयबद्ध ढंग से संभावित स्वास्थ्य बीमा/आश्वास्तीय कार्यक्रम का प्रारूप विकसित करें जिसमें 80 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या तक के लिए कोई वित्तीय सीमा न हो। जो गरीब नहीं हैं उनसे अनिवार्य अंशदान करने को कहा जा सकता है। अनुमानित सुलभता के बजाए वित्तीय संरक्षण पर ध्यान होना चाहिए।

- **राज्यों को नेतृत्व और नवाचार करना होगा:** भारतीय संविधान के अनुसार स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुभव से यह सामने आया है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में की गई पहल मात्र मार्गदर्शक और उत्प्रेरक हो सकती हैं। केंद्र सरकार की अगुवाई में की गईं पहल का असर राज्य सरकारों की नेतृत्व क्षमता और उनके अतिरिक्त उपायों पर निर्भर करता है। भारत में स्वास्थ्य परिणामों के कायाकल्प के लिए राज्य स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व द्वारा मज़बूत प्रतिज्ञा और स्वामित्व की ज़रूरत है। राज्य सरकारों द्वारा संभावित पहलों की सांकेतिक सूची बॉक्स 1 में है।

निष्कर्ष

लोगों का बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक वृद्धि और देश के समग्र विकास से मूलभूत रूप से जुड़ा हुआ है और उसमें योगदान देता है। स्वास्थ्य व लोगों और सरकार के बीच सामाजिक अनुबंध है। सबके लिए स्वास्थ्य सुलभता बढ़ाने के बारे में वैश्विक लोक-विमर्श ने सभी स्तरों पर सरकारों के लिए स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाने, समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने, जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रावधान करने और वित्तीय संरक्षण प्रदान करने के लिए तंत्र विकसित करने का अवसर दिया है। भारत जैसे संघीय ढांचे में राज्यों को अधिक जिम्मेदारी संभालनी होगी और मौजूदा/चालू प्रयासों को बल देना होगा। भारत में हाल में स्वास्थ्य परिणामों और वित्तीय संरक्षण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के साथ-साथ सतत तीव्र आर्थिक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने का एक और अवसर मिला है। ❑

संदर्भ

- भारत सरकार (2018)। नीति आयोग 5 वर्ष रणनीतिक योजना, नीति आयोग 2018-22। नई दिल्ली
- भारत सरकार (2017)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
- भारत सरकार (2016)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा: भारत 2014-15 के लिए अनुमान। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
- लहारिया सी (2018)। भारत में आयुष्मान भारत कार्यक्रम और सार्वभौम भारत कार्यक्रम। भारतीय बाल चिकित्सा, 55, 495-506.

हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

निर्माण IAS

सफलता का पर्याय कमल देव (K.D.)

गुणवत्ता, विश्वसनीयता व सफलता हेतु प्रतिबद्ध

Interview Programme
Mock Interview
is going on...

एवं अन्य...

सामान्य अध्ययन

(फाउण्डेशन बैच)

6 MARCH 3:00 PM

वैकल्पिक विषय

- इतिहास
- भूगोल
- समाजशास्त्र
- हिन्दी साहित्य

प्रत्येक रविवार

समसामयिकी विश्लेषित कक्षाएं

The Hindu, Indian Express, PIB, BBC व अन्य महत्वपूर्ण स्रोत

समसामयिकी मासिक पत्रिका उपलब्ध

TEST SERIES

UPSC/UPPSC/BPSC/MPPSC/RAS

सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा)

वैकल्पिक विषय
(इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं हिन्दी साहित्य)

पत्राचार अध्ययन सामग्री की सुविधा उपलब्ध (सम्पर्क सूत्र: 011-47058219)

ENQUIRY OFFICE 631 Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-09

HEAD OFFICE/CLASS ROOM 996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh) Delhi-09

PH.: 011-47058219, 9540676789, 9717767797

ALLAHABAD	GWALIOR	JAIPUR
10/14, Elgin Road, Civil Line, Allahabad (U.P.):- 211001, Ph:- 09984474888	2/3 Aziz Complex, New Khera Pati Colony Phool Bagh Gwalior (MP), Ph. : 09753002277	Hindaun Heights 57, Riddhi Siddhi Gopalpura Bypass, Jaipur Ph. : 7580856503

You can also visit our digital platform

Website : www.nirmanias.com E-mail : nirmanias07@gmail.com

YH-1036/2018

भारतीय युवा सामाजिक, आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकीय नवाचार के लिये महत्वपूर्ण माध्यम है। उनकी सामूहिक ऊर्जा और दृष्टिकोण हमारे राष्ट्र के विकास का इंजन है। यह निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और नागरिक समाज की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि वे युवाओं के सभी वर्गों को, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े युवाओं, दिव्यांगों, ग्रामीण युवाओं और आदिवासियों के लिये शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के एकसमान अवसर पहुंचाने के लिये पर्याप्त अवसर और कार्यक्रम प्रदान करें।

युवाओं का सतत और समावेशी विकास

जतिन्द्र सिंह

युवा किसी राष्ट्र की जनसंख्या का सर्वाधिक गतिशील हिस्सा होता है। इस हिस्से के विकास और सशक्तीकरण से किसी देश के लिये विकास के अवसरों का सृजन होता है। उनके लिये उचित शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के अवसर किसी देश के लिये समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकते हैं। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। युवाओं का अपनी पूर्ण क्षमता का सदुपयोग ही भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनायेगा। हमारे देश में, इस युवा आबादी में-भौगोलिकीय, जनसांख्यिकीय और सामाजिक रूप से व्यापक विविधता है जो उनके समावेशी विकास के लिये चुनौतियां हैं। जानकार युवा, अवसरों को हासिल करने में सक्षम होते हैं और वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं जबकि आदिवासी, दिव्यांग और ग्रामीण क्षेत्रों जैसे सीमांत क्षेत्रों के युवा समय पर सूचना और अवसरों की जानकारी के अभाव में इससे वंचित रह सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेरोज़गारी और कम रोज़गार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

केंद्र/राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता में सुधार से वंचित समुदायों से बड़ी संख्या में युवाओं को शिक्षा और रोज़गार की सुविधा प्राप्त हुई है। इंटरनेट, मीडिया और सूचना की पहुंच से वे उन्नत और स्वावलंबी बनते हैं। उद्यमिता की नई लहर युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये अग्रदूत हैं और यदि स्कूल से ही सही दिशा मिल जाये तो वे नौकरी चाहने वालों की तुलना में अधिक नौकरी प्रदाता बन सकते हैं। निगमित सामाजिक दायित्व प्रावधानों के माध्यम से निजी क्षेत्र ने युवाओं, विशेष रूप से दलित समुदायों के युवाओं को शिक्षित और कुशल बनाने के लिये कई परियोजनाएं शुरू की हैं।

डिजिटल समावेशन सामाजिक और आजीविका समावेशन के लिये एक झरने के स्रोत की तरह है। युवाओं के विभिन्न कार्यक्रमों में उभरती सूचना प्रौद्योगिकी और सक्षम सेवाओं को शामिल किये जाने से अनेक युवाओं को मुख्य धारा में शामिल कर लिया गया है, जो अतीत में उपयुक्त और समय पर सूचना प्राप्त नहीं कर पाते थे और इस तरह वे अवसरों से वंचित हो जाते थे।

लेखक पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में निदेशक (शिक्षा, कौशल विकास, सीएसआर, स्टार्टअप्स, इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स) हैं। ईमेल: jatinder@phdcci.in

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), 3डी प्रिंटिंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आदि जैसे उभरती प्रौद्योगिकियां कौशल परिवेश को बदल रही हैं। इन विशेष कौशलों की अत्यधिक मांग है और स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन भारतीय युवाओं को मज़बूती प्रदान कर रहे हैं। भारतीय युवाओं ने व्यापक सोच, नवाचारों और व्यावहारिक प्रौद्योगिकियों की दिशा में कदम बढ़ाया है। भारतीय स्टार्टअप एक नई विश्व व्यवस्था है जो नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिये फाउंटेनहेड है।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में, भारतीय जनसंख्या के 2.21 प्रतिशत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की नि:शक्तता से ग्रसित हैं। यह संख्या लगभग 2.7 करोड़ लोगों की है। दिव्यांग युवा सामाजिक, आर्थिक और नागरिक चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्हें पक्षपातपूर्ण धारणाओं, हानिकारक रूढ़ियों और अतार्किक आशंकाओं से जूझना पड़ता है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) दिव्यांगों के लिये समावेशी कार्यसूची को दिशा प्रदान करते हैं। एसडीजी 4 समावेशी शिक्षण वातावरण के निर्माण और दिव्यांगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिये सुगम और एक समान शिक्षा व्यवस्था के प्रति संकल्पित हैं।

एसडीजी 8 समावेशी आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार को बढ़ावा देता है, जिससे दिव्यांग व्यक्ति बाज़ार में पूरी तरह से पहुंच बना सके। 2030 के सतत विकास एजेंडा में विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है 'दिव्यांग' 11 बार। भारत ने निर्धारित समय अवधि के भीतर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिये कमर कस ली है।

मौजूदा ढांचा उन्हें अपने साथियों के साथ नि:शक्तता के बगैर पूरी तरह से भागीदार बनाने की दिशा में सक्षम बनाता है। समावेशी शिक्षा, वैश्विक डिज़ाइन और उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंटरफेसिस से संबंधित कार्यक्रमों के नतीजे आने शुरू हो गये हैं। अनेक दिव्यांगजन अब अपने समुदायों में मेंटर्स और रोल मॉडल्स के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। सहायक प्रौद्योगिकियों, इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य प्रौद्योगिकीय अन्वेषणों का इस्तेमाल दिव्यांग युवाओं के लिये मुख्यधारा की शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता अवसरों का हिस्से बनने के लिये अवसरों का निर्माण कर रहा है।

2015-पूर्व सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2 विकास एजेंडा में ''भूखमरी हटाने, खाद्य सुरक्षा हासिल करने और पोषण में सुधार करने तथा सतत कृषि को बढ़ावा देने'' का आह्वान किया गया है। लक्ष्य 2क में विकासशील देशों में, विशेष तौर पर कम विकसित देशों में ''कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के वास्ते ग्रामीण अवसंरचना, कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी विकास और पादप तथा पशुधन जीन बैंकों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने सहित निवेश बढ़ाने'' पर विशेष ध्यान दिये जाने की बात कही गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 84 मिलियन अनुसूचित जाति के लोग हैं जो कि देश की जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है।

प्रौद्योगिकी में दुनिया में बदलाव लाने और लोगों का जीवन सुधारने की क्षमता है, इसका युवा नेतृत्व वाले उद्यम और पहलों की अतुल्य भावना के साथ युवाओं के विकास के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और नागरिक समाज को युवाओं को सशक्त बनाने के लिये कार्य करना है। समावेशी विकास और सतत विकास ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो हमारे इस जनसांख्यिकीय हिस्से को सुसज्जित करेंगे।

आदिवासी विकास सरकार का प्रमुख एजेंडा है क्योंकि आदिवासी युवाओं के विकास के लिये और धन स्रोतों को चैनलाइज करने तथा उनकी आजीविका में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

वर्तमान में, आदिवासी विकास सरकार का प्रमुख एजेंडा है क्योंकि आदिवासी युवाओं के विकास के लिये और धन स्रोतों को चैनलाइज करने तथा उनकी आजीविका में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जनजातीय मामले मंत्रालय की ओर से जनजातीय उप योजना में विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जो कि भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में होता है जिसका उपयोग एकीकृत जनजातीय विकास योजना (आईटीडीपी), एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए), संशोधित क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण (एमएडीए), बस्तियों, विशेषकर वंचित जनजातीय समूहों (पीवीटीज) तथा तितर-बितर आदिवासी जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिये किया जाता है।

केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिये एक संस्थागत समर्थन भी है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासियों को उत्पादन, उत्पाद विकास, पारंपरिक विरासत के संरक्षण और आदिवासी लोगों के वन और कृषि उपज दोनों को समर्थन देना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने अनुसूचित जनजातियों के लिये अपनी आय का स्तर बढ़ाने के लिये स्वरोज़गार पैदा करने के लिये महत्वपूर्ण गतिविधियों की पहचान की है। यह आदिवासी युवाओं को संस्थागत और रोज़गार प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कौशल और प्रक्रियाओं को उन्नत करने में भी सहायता करता है। यह अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति भी देता है जो कि 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे होते हैं और यदि उनकी माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है। इसके अलावा, यह 11वीं कक्षा से और इसके ऊपर के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां देता है जो कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं जिसके लिये कक्षा 10 अथवा अधिक की अर्हता है और यदि उनके माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है। एनएसटीएफडीसी अजजा छात्रों को स्नातकोत्तर, पीएच.डी और पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन विदेश में करने के लिये राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है।

कम साक्षरता वाले ज़िलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के मध्य शिक्षा को सुदृढ़ करने की भी योजना है। यह योजना सामान्य साक्षरता वाले ज़िलों में सामान्य महिला आबादी और आदिवासी महिलाओं के बीच व्याप्त साक्षरता के स्तर के अंतर को कम करने के लिये है। जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण विभिन्न प्रकृतियों के रोज़गारों के साथ-साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के वास्ते अजजा युवाओं के कौशल विकास की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है। इन सभी प्रयासों से जनजातीय युवा सशक्त होते हैं और ग़रीबी का चक्र टूटता है।

भारतीय युवा सामाजिक, आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकीय नवाचार के लिये महत्वपूर्ण माध्यम है। उनकी सामूहिक ऊर्जा और दृष्टिकोण हमारे राष्ट्र के विकास का इंजन है। यह निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और नागरिक समाज की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि वे युवाओं के सभी वर्गों को, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े युवाओं, दिव्यांगों, ग्रामीण युवाओं और आदिवासियों के लिये शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के एकसमान अवसर पहुंचाने के लिये पर्याप्त अवसर और कार्यक्रम प्रदान करें।

प्रौद्योगिकी में दुनिया में बदलाव लाने और लोगों का जीवन सुधारने की क्षमता है, इसका युवा नेतृत्व वाले उद्यम और पहलों की अतुल्य भावना के साथ युवाओं के विकास के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और नागरिक समाज को युवाओं को सशक्त बनाने के लिये कार्य करना है। समावेशी विकास और सतत विकास ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो हमारे इस जनसांख्यिकीय हिस्से को सुसज्जित करेंगे। ❑

पिछले 10 वर्षों से IAS टॉपर्स देने की परम्परा को जारी रखते हुए

पिछले पाँच वर्षों में Ethics (GS Paper-IV) में 300 से भी अधिक विद्यार्थी IAS/IPS/IFS इत्यादि सेवाओं में चयनित

Chief Mentor
Amit Kumar Singh

संस्थान की गुणवत्ता का आईना रिजल्ट है जो पिछले कई वर्षों से इग्नाइटेड माइन्ड्स, इसे सिद्ध करता आ रहा है।

Rank - 23rd
Anil Dhamelia

Rank - 27th
Mihir Patel

Rank - 35th
Shishir

Rank - 44th
Himanshu Jain

Rank - 45th
Mamta

Rank - 46th
Gaurav Singh Sogarwal

Rank - 61st
Milind Bapna

Rank - 67th
Parikh Mirant

Rank - 70th
Rajendra Patel

Rank - 81st
Rajarshi Shah

Rank - 82nd
Prateek Jain

Rank - 86th
Prateek

Rank - 99th
Namrata Jain

Rank - 106th
Prathit Charan

Rank - 153th
Sourav

And Many More...

मुख्य मार्गदर्शक अमित कुमार सिंह के निर्देशन में

दिल्ली केन्द्र

ETHICS (GS-IV)

07 मार्च | 6:15 PM

PHILOSOPHY

Video Class Available

निबंध

कक्षाएँ आरम्भ

प्रयागराज केन्द्र

ETHICS (GS-IV)

PCS के बदलते हुए पैटर्न के आधार पर

15 मार्च | 6:30 PM

टेस्ट सीरीज

PCS के लिए उपलब्ध

उत्तर लेखन कार्यक्रम

PCS Mains हेतु

निबंध

PCS प्री रिजल्ट के बाद

एथिक्स हमसे क्यों पढ़ें?

- क्योंकि हम एकमात्र संस्थान है जो एथिक्स की विशेषज्ञता का दावा अपने परिणामों के आधार पर कर रहे हैं, केवल खोखले प्रचार के आधार पर नहीं।
- क्योंकि एकमात्र हमारे शिक्षक को विश्वविद्यालय में एथिक्स पढ़ाने के साथ 24 वर्षों से एथिक्स के पठन-पाठन का अनुभव है।
- क्योंकि हम PCS के पाठ्यक्रम में एथिक्स शामिल होने पर रातों-रात एथिक्स के विशेषज्ञ नहीं बने हैं, बल्कि पिछले 6 वर्षों से लगातार दिल्ली-इलाहाबाद में एथिक्स का स्वतंत्र माड्यूल पढ़ाने वाले एकमात्र संस्थान है।
- क्योंकि हमारी कक्षाओं की गुणवत्ता इतनी बेहतर है कि देश के श्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों से G.S. की कोचिंग लेने के बावजूद अंग्रेजी और हिन्दी दोनों माध्यम के विद्यार्थी हमारी कक्षाओं में एथिक्स पढ़ने आते रहे हैं।

IGNITED MINDS

A Premier Institute for IAS/PCS

DELHI CENTER (HQ)
A-2, 1st Floor, Comm. Comp. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
011-27654704, 9643760414, 8744082373

ALLAHABAD CENTER www.ignitedmindscs.com
H-1, 1st Floor, Ram Mohan Plaza, Madho Kunj, Katra
9389376518, 9793022444, 0532-2642251

YH-840/11/2018

क्या आप जानते हैं?

नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (भारतीय राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय)

भारतीय राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय राष्ट्रीय लाइब्रेरी मिशन (एनएमएल) का हिस्सा है। राष्ट्रीय लाइब्रेरी मिशन संस्कृति मंत्रालय की पहल है, जिसका मकसद देशभर के सार्वजनिक पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण और इसे डिजिटल ढांचे से जोड़ना है। इस मिशन की शुरुआत 2014 में की गई। भारतीय राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय (एनवीएलआई) का मकसद खुले माहौल में सूचनाओं से संबधित भारत के डिजिटल संसाधनों पर आधारित व्यापक डेटाबेस तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करना है।

पीढ़ियों के लिए डिजिटल सामग्री की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।

भारतीय राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय को तैयार करने संबंधी परियोजना की लागत 72.34 करोड़ रुपये है और इसकी जिम्मेदारी आईआईटी बॉम्बे को सौंपी गई है (सी-डेक, पुणे और इग्नू, दिल्ली के सहयोग से)। इस सिलसिले में आईआईटी बॉम्बे को अब तक 71.78 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इस पुस्तकालय के लिए कोर सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और क्लाउड संबंधी अवरसंरचना विकसित किए जा चुके हैं। भारतीय

एनवीएलआई की मुख्य विशेषताएं इस तरह हैं-

(1) बहुभाषी यूजर इंटरफेस के जरिये खोज (सर्च) (2) वर्चुअल दुनिया के जरिये सीखने का माहौल (3) डेटा एनालिटिक्स की सुविधा प्रदान करने वाला ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म (4) सत्तामीमांसा/शब्दकोष आधारित बहुभाषी सर्च और पुनः प्राप्ति (रीट्रिवल)।

दरअसल, इसके पीछे मकसद विशाल ऑनलाइन पुस्तकालय तैयार करना है, जहां सभी स्वरूपों में उपलब्ध तमाम क्षेत्रों के संसाधनों को इकट्ठा कर इसे एक मंच पर उपलब्ध कराया जाए। यह बड़े पैमाने पर शोधकर्ताओं, छात्र-छात्राओं और विषय के जानकारों आदि को फायदा पहुंचाएगा, जिन्हें संदर्भ सामग्री की तलाश करने के लिए पारंपरिक पुस्तकालयों के भवनों में घंटों समय नहीं गुजारना होगा। इसके अलावा, ये सामग्री भविष्य की जरूरतों के लिए भी स्थायी रूप से सुरक्षित रखी जा सकेंगी। भारतीय राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय के लक्षित उपयोगकर्ताओं में न सिर्फ छात्र-छात्राएं, शोधकर्ता, डॉक्टर और पेशेवर होंगे, बल्कि शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक तौर पर अक्षम समूहों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस तरह से यह ज्ञान आधारित समाज तैयार करने के लिए लोगों का सशक्तीकरण करेगा। साथ ही, भविष्य की

राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय को 15 फरवरी 2018 को सीमित तरीके से शुरू (सॉफ्ट लॉन्च) भी किया जा चुका है। 26 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन और आईआईटी बॉम्बे के बीच हुए समझौते के मुताबिक, आईआईटी बॉम्बे द्वारा इस परियोजना को पूरा करने की समयसीमा 3 साल है। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत 35 केंद्रीय पुस्तकालयों, 35 जिला पुस्तकालयों और संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले 6 पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण का काम किया जाएगा। अब तक 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से 41 प्रस्ताव मिले हैं।

एनवीएलआई के पोर्टल में 10 राष्ट्रीय संग्रहालयों, एएसआई से संबंधित जगहों पर मौजूद संग्रहालयों, एएसआई पुस्तकालय, स्मारकों और प्राचीन वस्तुओं से जुड़े राष्ट्रीय मिशन (एनएमएमए), राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्यश्रव्य अभिलेखागार (एनसीएए), एनपीटीईएल, केंद्रीय नामावली, राष्ट्रीय अभिलेखागार की नामसूची, सरकारी वेबसाइट और अखबारों से जुड़ी वेब सूची और कई संगठनों से मिले सैंपल डेटा शामिल हैं। फिलहाल एनवीएलआई में कुल 69,95,669 रिकॉर्ड हैं। ❑

स्रोत- पत्र सूचना कार्यालय और एनवीएलआई पोर्टल

NEXT IAS

BIG LEARNINGS MADE EASY

AN INITIATIVE OF MADE EASY GROUP • UNDER THE GUIDANCE OF Mr. B. SINGH (CMD, MADE EASY GROUP)

GS FOUNDATION COURSE-2020

- Approx. 700 teaching hours by team of experienced faculty with Comprehensive coverage of both Prelims and Mains syllabus.
- 17 GS Books with the Best EVER coverage of entire GS Syllabus of Prelims and Mains.
- Weekly Classroom Tests for both objective and subjective questions
- Weekly Newspaper analysis and Current Affairs classes
- Essay programme classes and workshops
- Online learning portal – Current Affairs channel
- GS Prelims Test Series - 30 tests and CSAT Test Series - 10 tests
- Mains Test Series - 12 tests (8 Sectional and 4 Full Length)
- Interview Guidance Programme
- Additional dedicated sessions for Prelims and Main examination support.

17 Books — COMPLETE MODULES of GENERAL STUDIES (Pre-cum-Main) for Civil Services Examination
available at retail stores as well as major online shopping portals.

POSTAL STUDY COURSE-2020

- 17 GS Books with the best EVER coverage of entire GS Syllabus of Prelims and Mains.
- E-Subscription of 12 issues of Monthly Current Affairs Magazine of NEXT IAS.
- GS Prelims Test Series for CSE 2020 - 30 Tests.
- CSAT Test Series for CSE 2020 – 10 Tests
- 3 Concept Books and 3 Workbooks for CSAT.
- **Fees** 12,000 only (*including* GST)

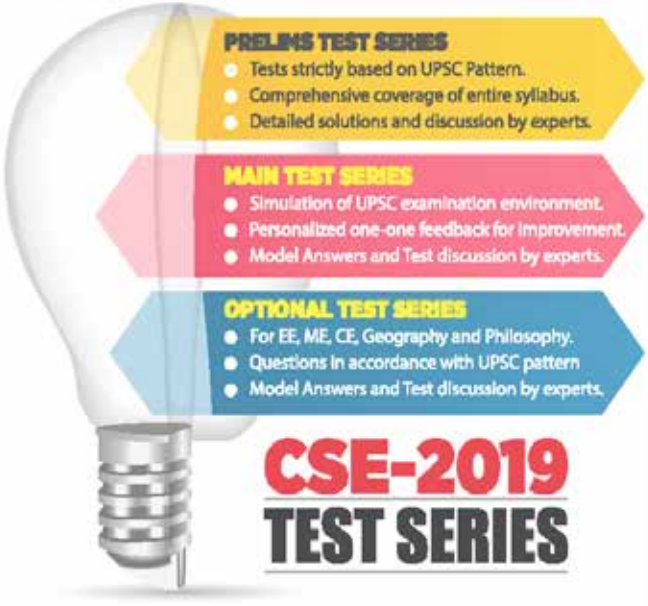

CSE-2019 TEST SERIES

NEXT IAS Centres

Old Rajinder Nagar Centre (Delhi)
Saket Centre (Delhi)

info@nextias.com | 8800338066 | www.nextias.com

/NEXTIASMADEEASY/ @NEXTIASMADEEASY @nextias /c/NEXTIAS /Next-IAS-1

YH-1042/2018

अंतरिम बजट-2019-20 : मुख्य बातें

अंतरिम बजट 2019-20 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

☞ किसान

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी।
- संशोधित अनुमान 2018-19 में अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपये के साथ वित्त वर्ष 2019-20 में 75,000 करोड़ रुपये का व्यय।
  - राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये किया गया। गऊ संसाधनों के आनुवंशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा।
- 1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मत्स्य पालन विभाग।
- पशुपालन और मछली पालन कार्यों में लगे किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ, इसके अतिरिक्त ऋण का समय पर भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी।

☞ श्रम

- प्रधान श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित श्रेत्र के 10 करोड़ कामगारों के लिए निश्चित मासिक पेंशन।
  - केवल 100/55 रुपये का प्रति माह अंशदान देने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह 3000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन।

☞ स्वास्थ्य

- 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जाएगा।

☞ मनरेगा

- मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन।

☞ प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्ताव

- 5 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट।
- मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं के लिए 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर राहत।
- मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।
- बैंक/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की जा रही है।
- आयकर की वर्तमान दरें जारी रहेंगी।
- अपने कब्जे वाले दूसरे घर पर अनुमानित किराये में कर छूट।
- आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा।
- किराये पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 करने का प्रस्ताव।
- पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान तक बढ़ाया जाएगा।
- सस्ते आवास के लिए कर लाभ की अवधि अब आयकर कानून की धारा 80-आईबीए के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई जा रही है।
- बिना बिकी संपत्ति के अनुमानित किराये पर आयकर की छूट एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया।

☞ राजकोषीय कार्यक्रम

- वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत।
- राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य 2020-21 तक हासिल किया जाएगा।
- राजकोषीय घाटे को 2018-19 आरई में घटाकर 3.4 प्रतिशत तक लाया जाएगा, 7 वर्ष पूर्व करीब 6 प्रतिशत था।
- वर्ष 2019-20 में कुल व्यय को 13 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाकर 27,84,200 करोड़ रुपये पर लाया जाएगा।
- वर्ष 2019-20 के लिए पूंजीगत व्यय 3,36,292 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए आवंटन वर्ष 2019-20 में बढ़कर 3,27,679 करोड़ रुपये होगा।

अंतरिम बजट-2019-20 : मुख्य बातें

- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए वर्ष 2019-20 में आवंटन करीब 20 प्रतिशत बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपये।
- एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के लिए आवंटन 18 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 27,584 करोड़ रुपये

☞ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि-

- अनुसूचित जाति के लिए आवंटन में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 76,801 करोड़ रुपये किया गया, जो 2018-19 में 56,619 करोड़ रुपये था। अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन में 28 प्रतिशत की वृद्धि कर 2019-20 में इसे 50,086 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि 2018-19 में यह 39,135 करोड़ रुपये था।
- सरकार को विश्वास है कि वह 80 हजार करोड़ को विनिवेश लक्ष्य को हासिल कर लेगी।
- राजकोषीय घाटा समेकन कार्यक्रम के साथ ऋण समेकन पर विशेष ध्यान।

☞ गरीब और पिछड़ा वर्ग

- देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का: वित्त मंत्री
- गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें।
- शहरों और गांव के बीच की खाई को पाटने और गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित व्यय।
- सभी इच्छित परिवारों को मार्च 2019 तक बिजली के कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे।

☞ पूर्वोत्तर

- 2018-2019 के बजट अनुमानों की तुलना में 2019-20 बजट अनुमानों में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हुए आवंटन को 58,166 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जायेगा।
- अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में वायु मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की।
- मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की।
- ब्रह्मपुत्र नदी की उन्नत नौवहन क्षमता के माध्यम से कंटेनर कार्गो का आवागमन।

☞ वंचित वर्ग

- सभी शेष गैर-अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू जन-जातियों की पहचान के लिए नीति आयोग की नई समिति।
- गैर-अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू जन-जातियों के विकास और कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कल्याण विकास बोर्ड।

☞ रक्षा

- रक्षा बजट में पहली बार 3,00,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया।

☞ रेल

- बजट से 2019-20 (अनुमानों) में 64,587 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव किया गया।
- समग्र पूंजी व्यय कार्यक्रम 1,58,658 करोड़ रुपये किया गया।
- संचालन अनुपात के वर्ष 2017-18 98.4 प्रतिशत से 2018-19 के 96.2 प्रतिशत और 2019-20 (बजट अनुमानों) में 95 प्रतिशत तक सुधार।

☞ मनोरंजन उद्योग

- भारतीय फिल्म निर्माता, फिल्मों की शूटिंग में सहायता के साथ-साथ एकल खिड़की स्वीकृति सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
- स्व-घोषणा पर और अधिक भरोसे के लिए नियामक प्रावधान।
- चोरी पर नियंत्रण करने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में एंटी-कैमकॉर्डिंग प्रावधान की प्रस्तुति।

☞ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं व्यापारी

- जीएसटी पंजीकृत एसएमई उद्यमों के लिए एक करोड़ रुपये के वृद्धिशील ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट।
- सरकारी उपक्रमों में 25 प्रतिशत में से कम से कम 3 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उद्यमों के लिए होगा।
- आंतरिक व्यापार पर अधिक ध्यान देते हुए डीआईपीपी को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग का नाम दिया गया।

☞ डिजिटल ग्राम

- सरकार अगले पांच वर्षों में 1 लाख ग्रामों को डिजिटल ग्रामों में परिवर्तित करेगी।

स्रोत : *प्रेस सूचना ब्यूरो*

टॉपर्स की पसंद

विभिन्न PCS परीक्षाओं की तैयारी के लिए

Code 2420 Rs. 325/-

Code 2421 Rs. 195/-

Code 2422 Rs. 285/-

Code 2423 Rs. 185/-

Code 2431 Rs. 235/-

Code 2365 Rs. 195/-

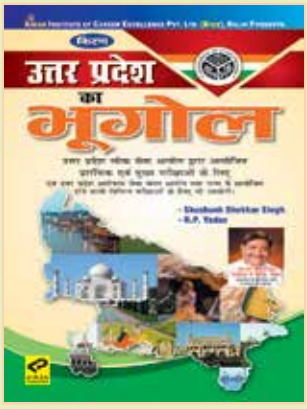

Code 2441 Rs. 185/-

Code 2408 Rs. 425/-

Code 2341 Rs. 335/-

Code 2346 Rs. 195/-

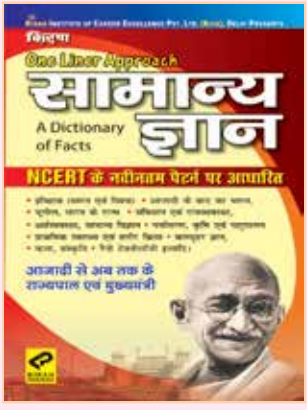

Code 1475 Rs. 239/-

Code 2077 Rs. 275/-

KIRAN PRAKASHAN PVT. LTD.
RU-67, Opp. Power House, Pitampura, Delhi-110034
PH.: 9821874015, 9821643815 **www.kiranprakashan.com**

PRABHAT CHOUBEY
UPSC & PCS Division
Mobile : 9013859915

YH-1035/2018

सामाजिक-समावेशन से समानता की सुनिश्चितता

मुनिराजु एस बी

भारत में आजादी के बाद एक के बाद दूसरी, अनेक सरकारों ने समाज के कुछ ऐसे वर्गों की पहचान की है जिनका सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए मदद की आवश्यकता रहती है। समाज के ऐसे वर्गों को अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.), अनुसूचित जातियों (एस.सी.), अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.), डीनोटीफाइट जनजातियों (डी.एन.टी.), यायावर जनजातियों (एन.टी.), अर्ध-यायावर जनजातियों (एस.एन.टी.), सफाई कर्मचारियों (एस.के.), धार्मिक अल्पसंख्यकों, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (ई.बी.सी.), दिव्यांगों (पी.डब्ल्यू.डी.), वरिष्ठ नागरिकों, बेघरबार लोगों, उभयलिंगियों, महिला और बच्चों के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा है।

भारत के संविधान में सभी नागरिकों को जाति, वंश, लिंग या धर्म का भेदभाव किये बिना उनके बुनियादी अधिकारों की गारंटी की गयी है और उसके साथ ही पिछड़े वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने का भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में भी इन वर्गों के संरक्षण और उनके कल्याण को बढ़ावा देने की बात कही गयी है। कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सरकारों ने ऐसे उपेक्षित लोगों के लिए कई कदम उठाये हैं और उनकी भलाई के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं, जहां कहीं ये कार्यक्रम और नीतियां अपेक्षित परिणाम देने में विफल हुईं, कानून बनाए गये हैं ताकि दुर्बल वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो सकें और उनको लाभ मिल सके।

योजनाएं बनाने के पिछले छह दशकों के अनुभवों से पता चलता है कि विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का फायदा क्रमशः सबको मिला तो है मगर उतना नहीं

मिला जितना समाज में प्रभावशाली समुदायों को मिला है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और बुनियादी सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर आधारित अन्य सभी वर्गों की तुलनात्मक रूपरेखा नीचे तालिका में दी गयी है:

पहल और कदम

भारत एक कल्याणकारी राज्य है जिसमें दुर्बल, उपेक्षित और समाज के नाजुक तबकों का खासतौर पर ध्यान रखते हुए सभी नागरिकों का सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने का संवैधानिक आदेश और लोकतांत्रिक दायित्व

लेखक नीति आयोग, भारत सरकार में उपसलाहकार (सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण) हैं। ईमेल: mraju.sb@gov.in

तालिका 1 : दुर्बल वर्गों की जनसंख्या का अनुपात

सामाजिक समूह	कुल	
	2001	2011
अ.जा.	16.2	16.6
अ.ज.जा.	8.2	8.6
अल्पसंख्यक	18.8	19.32
दिव्यांग	2.1	2.21
बुजुर्ग	7.4	8.6
उभयलिंगी	उपलब्ध नहीं	0.04
महिला	48.26	48.46
बच्चे	15.93	13.1
अन्य पिछड़ा वर्ग	उपलब्ध नहीं	40.94*

स्रोत : 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़े। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों का नमूना सर्वेक्षण

दुर्बल वर्गों की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जिनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला उठाने में लगे लोगों के लिए रियायती ऋण सुविधा योजना शामिल हैं।

सरकार को सौंपा गया है। सामाजिक समावेशन और समावेशी विकास के अंग के रूप में उन्हें बाकी समाज की ही तरह अधिकार संपन्न बनाना जनता के साथ किया गया ऐसा वादा है जिसे पिछली सभी सरकारों ने निभाने का प्रयास किया है। इस दिशा में किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपायों और पहलों को शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नियोजन और सकारात्मक कार्रवाई यानी रोजगार और शिक्षा में आरक्षण तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व आदि के रूप में गिनाया जा सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र के लिए कदम

सरकार ने शिक्षा के महत्व और दुर्बलवर्गों की समस्याओं को महसूस किया है और विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं। मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिक के बाद की कक्षाओं के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (फैलोशिप), विदेश में शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति और योग्यता के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति, बेहतरीन शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गये हैं। छात्रवृत्ति और फैलोशिप्स के इन कार्यक्रमों से शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले बढ़े हैं, विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी आयी है, व्यावसायिक शिक्षा हसिल करने वालों की तादाद बढ़ी है और इन वर्गों के लोगों की नियोजनीयता तथा आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। ये छात्रवृत्तियां अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, दिव्यांगों, बालिकाओं, डीनोटीफाइट जनजातियों, यायावर एवं अर्ध-यायावर समुदायों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं।

जनजातीय विद्यार्थियों के लिए केन्द्र सरकार ने आवासीय विद्यालय खोले गये हैं ताकि पढ़ाई अधूरी छोड़ने की समस्या का समाधान हो और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। कुछ राज्य भी अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों और बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों का संचालन

तालिका-2 : सामाजिक समूहों की साक्षरता की दर

सामाजिक समूह	2001	2011
अनुसूचित जातियां	54.69	66.07
अनुसूचित जनजातियां	47.10	58.96
धार्मिक अल्पसंख्यक		
मुसलमान	59.1	68.5
ईसाई	80.3	84.5
सिक्ख	69.4	75.4
बौद्ध	72.7	81.3
जैन	94.1	94.9
अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूह	47.0	59.9
अन्य सभी	64.84	72.99

स्रोत : 2011 की जनगणना के आंकड़े

तालिका-3 : स्वास्थ्य की स्थिति (अ.जा. और अ.ज.जा. समूहों में शिशु मृत्यु दर)

संकेतक	सामाजिक समूह			
	अजा	अजजा	अन्य	कुल
शिशु मृत्यु दर	66.4	62.1	48.9	57
बाल मृत्यु दर	23.2	35.2	10.8	18.4
5 साल से कम उम्र में मौत	88.1	95.7	59.2	74.3
बच्चों के पोषाहार की स्थिति				
उम्र और कद का अनुपात	53.9	53.9	47.7	48
वजन और कद का अनुपात	21	27.6	16.3	19.8
वजन और उम्र का अनुपात	47.9	54.5	33.7	42.5
अस्पताल में प्रसव	32.9	17.7	51	38.7
टीकाकरण	39.7	31.3	53.8	43.5

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-तृतीय

करते हैं। केन्द्र सरकार दुर्बल वर्गों के छात्रों और छात्राओं के लिए हॉस्टलों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था भी करती है ताकि वे सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगिता कर सकें। इस कार्यक्रम को प्रतिष्ठित संस्थाओं/ कोचिंग केन्द्रों/ केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा लागू किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए उनकी योग्यता और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को एम.फिल. और पी.एच.डी. स्तर की उच्च शिक्षा के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप दी जाती है।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) आदि की ग्रुप-क और ग्रुप-ख पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को भी आर्थिक मदद दी जाती है ताकि सिविल सेवाओं में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़े।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को भी अनुदान सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य दुर्बल वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्षम और विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सहायता प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत सरकार सामान्य/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा, सेवा संबंधी गतिविधियों आदि के लिए अनुदान सहायता देती है ताकि चिकित्सा केन्द्र, और डिस्पेंसरी आदि खोली जा सकें। इसके अलावा आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न वाणिज्यिक व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

आर्थिक विकास में मदद

दुर्बल वर्गों की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जिनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला उठाने में लगे लोगों के लिए रियायती ऋण सुविधा योजना शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम (एनएमडीएफसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के लिए, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) दिव्यांगजनों के लिए, राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) महिलाओं के लिए और राज्य विकास निगम (एसडीसी) चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। इन सबका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उनके द्वारा लक्षित समूह के लोगों का

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफैड) और राज्य जनजातीय विकस सहकारी निगम विपणन और जनसूचित जनजातियों के लोगों की आजीविका के विकास की गतिविधियों में मदद करते हैं। सामाजिक सुरक्षा के उपाय के तौर पर लघु वनोपज संग्रह करने वालों को जंगलों से प्राप्त होने वाली सामग्री के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए उचित आमदनी सुनिश्चित की जाती है।

तालिका-4 : विभिन्न सामाजिक समूहों में गरीबी

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी		
	2004-05	2009-10	2011-12	2004-05	2009-10	2011-12
अ.जा.	53.53	42.26	31.5	40.56	34.11	21.70
अ.ज.जा.	62.28	47.37	45.3	35.52	30.38	24.10
अ.पि.जा.	39.80	31.9	22.60	30.60	24.30	15.40
व्जीमते अन्य	41.79	33.8	15.5	25.68	20.09	8.10

स्रोत : योजना आयोग 2011-12

तालिका-5 : सरकारी नौकरियों में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व

श्रेणियां/वर्ष	1960	1970	1980	1990	2000	2011
अ.जा.	228497	291374	490592	590108	582446	518397
अ.ज.जा.	37704	60325	125004	185245	225917	222442
अ.जा./अ.ज.जा. से इतर	1600528	2147584	2516129	2701700	2819519	3014800

स्रोत : कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट

शहरी और ग्रामीण आजीविका के लिए कौशल विकास की पहल का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के ऐसे लोगों को कौशल उपलब्ध कराना है जिनके पास नौकरी हासिल करने लायक कोई कौशल नहीं है। 'नई मंजिल' का उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक युवाओं के साथ सार्थक संपर्क कायम करना और उन्हें टिकाऊ तथा फायदेमंद रोजगार में लगाना है।

उत्थान हो और उन्हें बाकी समाज की बराबरी पर लाया जा सके। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल निधि, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण गारंटी निधि और इन समूहों के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया तथा मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए केन्द्रीय सहायता की उपयोजना के रूप में विशेष कार्यक्रम हैं। अनुसूचित जातियों के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना (जिसे पहले बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कहा जाता था) और अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम है। अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान सहायता दी जाती है। इन सब कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के लिए विकास कार्यक्रमों पर जोर देना है।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विकास की योजना, डीनोटीफाइड, यायावर, अर्ध-यायावर जनजातियों के विकास का कार्यक्रम और उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए वजीफे का इंतजाम करते हैं। इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण और एनबीसीएफडीसी के माध्यम से ऋण सुविधा भी प्रदान की जाती है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफैड) और राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम विपणन और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आजीविका के विकास की गतिविधियों में मदद करते हैं। सामाजिक सुरक्षा के उपाय के तौर पर लघु वनोपज संग्रह करने वालों को जंगलों से प्राप्त होने वाली सामग्री के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए उचित आमदनी सुनिश्चित की जाती है।

हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना के तहत उन्हें एक बारगी नकद सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है और अपना काम शुरू करने में मदद दी जाती है। खास तौर पर नाजुक जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए अनुदान सहायता दी जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनकी संस्कृति और विरासत बनी रहे।

शहरी और ग्रामीण आजीविका के लिए कौशल विकास की पहल का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के ऐसे लोगों को कौशल उपलब्ध कराना है जिनके पास नौकरी हासिल करने लायक कोई कौशल नहीं है। 'नई मंजिल' का उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक युवाओं के साथ सार्थक संपर्क कायम करना और उन्हें टिकाऊ तथा फायदेमंद रोजगार में लगाना है। विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण (यूसटीटीएडी) का उद्देश्य हमारे देश की पारंपरिक कलाओं/शिल्प का उन्नयन करना और परंपरा से दस्तकारी और हस्तशिल्प का काम करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की क्षमता विकसित करना है।

सामाजिक सशक्तीकरण के लिए कदम

दुर्बल वर्गों का सामाजिक दर्जा दबदबे वाले समुदायों के मुकाबले निम्न होता है। दुर्बल वर्गों के लिए समान सामाजिक दर्जा सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत प्रणालियों की स्थापना और सामाजिक संरक्षण कानूनों जैसे उपाय किये गये हैं ताकि उनके साथ भेदभाव न हो, उनका शोषण न हो, उनपर अत्याचार न हों और दुर्बल वर्गों की खुशहाली को बढ़ावा मिले। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1995) को लागू करने वाले तंत्र और अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) को सुदृढ़ करना। बाल विवाह रोक अधिनियम (2006), दहेज प्रथा पर रोक लगाने के अधिनियम (1961), भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम (1969), मातृत्व लाभ अधिनियम (1861), कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के अधिनियम (2013),

महिलाओं को अभद्र तरीके से प्रदर्शित करने के अधिनियम (1986), राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम (1990) जैसे कानूनों का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसके अलावा बुजुर्गों के कल्याण, हाथ से मैला साफ करने पर रोक लगाने, दिव्यांगों के अधिकारों के संरक्षण आदि के लिए भी कानून बने हैं।

महिलाओं और बच्चों के लिए समन्वित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) का उद्देश्य पूरक पौष्टिक आहार, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराना है। पोषण अभियान के जरिए पौष्टिक आहार की कमी से शारीरिक बढ़वार रुकने, अल्पपोषण, रक्ताल्पता और जन्म के समय कम शिशुओं के कम वजन जैसी समस्याओं का समाधान करना है। इसके अलावा किशोर बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी पोषण संबंधी कार्यक्रम बनाए गये हैं। बाल संरक्षण सेवाओं के माध्यम से ऐसे बच्चों के समग्र विकास के लिए सुरक्षित माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता है या जो कानून और व्यवस्था की दृष्टि से समस्याग्रस्त है अथवा जो किसी अन्य लिहाज से नाजुक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कामकाजी महिलाओं और परिवारों की अन्य पात्र महिलाओं के बच्चों (0-6 साल) तक के बच्चों को दिन के समय देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बालवाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान का उद्देश्य गर्भ में भ्रूण के लिंग का पता लगाकर

बालिका भ्रूण की हत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाना, बच्चियों को बचाना, उनका संरक्षण करना तथा उनकी शिक्षा तथा सहभागिता सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को शिशुओं की परवरिश की वजह से होने वाले मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए नकद प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है। किशोरियों के पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, उनके कौशल के विकास, स्कूली शिक्षा पूरी न कर पाने वाली बालिकाओं को फिर से औपचारिक शिक्षा/कौशल प्रशिक्षण के लिए भेजने के भी कार्यक्रम बनाए गये हैं।

'स्वाधार गृह' का उद्देश्य मुसीबत में पड़ी जरूरतमंद महिलाओं के पुनर्वास के लिए उन्हें संस्थागत सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे सम्मान की जिंदगी जी सकें। प्रशिक्षण और रोजगार सहायता कार्यक्रम के तहत महिलाओं को ऐसे कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे रोजगार हासिल करने में सक्षम बनें या स्वरोजगार/उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना है और इसके तहत देह व्यापार में फंसाई गई महिलाओं को बचाने, उनका पुनर्वास करने, उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और उनके घर-परिवार के साथ फिर से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों की योजना से नौकरीपेशा महिलाओं को अपने घर से दूर सुरक्षित माहौल में रहने का मौका मिलता है। महिला शक्ति केन्द्र ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाते हैं। इसी तरह कॉलेज छात्र स्वयंसेवक योजना के जरिए भी उन्हें समुदाय से जोड़ा जाता है।

उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के वृंदावन में विधवाओं के लिए कृष्णा कुटीर नाम का आश्रय बनाया गया है जिसकी क्षमता 1000 महिलाओं को रखने की है। यहां उन्हें रहने के लिए सुरक्षित और संरक्षित आवास के साथ-साथ पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और कानूनी सहायता व परामर्श सेवा भी उपलब्ध करायी जाती है। बुजुर्गों को ध्यान में रखकर इसमें उनकी सुविधा के लिए रैम्प, लिफ्ट और फीजियोथिरैपी आदि का भी इंतजाम किया गया है। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का भी प्रावधान किया गया है।

जरूरतमंद दिव्यांगों को आधुनिक, वैज्ञानिक तरीके से बनाए गये, मानक उपकरणों व सहायक सामग्री की खरीद और उन्हें लगवाने के लिए सहायता दी जाती है। दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के तहत शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य संबंधित गतिविधियों के जरिए उनका पुनर्वास किया जाता है। दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 को लागू करने की योजना के तहत 'एक्सेसेबल इंडिया' अभियान को आगे बढ़ाने

की गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले ऐसे लोगों को उपकरण और प्रणालियां उपलब्ध करायी जाती हैं जो उम्र से संबंधित विकलांगता/कमजोरी का शिकार हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत बुजुर्गों, विकलांगों और मुसीबत में फंसी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है। बुजुर्गों से संबंधित कार्यक्रम चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता दी जाती है ताकि वे ओल्ड एज होम, डे केयर सेंटर, चलती-फिरती चिकित्सा इकाइयां आदि चला सकें। शराबखोरी और मादक पदार्थों की लत की रोकथाम के लिए भी योजना है और भिखारियों के पुनर्वास के लिए समन्वित कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत उनका डॉक्टरी इलाज कराया जाता है, सलाह और कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है और अपने पांवों में खड़े होने के लिए उनकी मदद की जाती है।

अल्पसंख्यकों की विरासत और संस्कृति के संरक्षण और परिरक्षण के लिए 'हमारी धरोहर' योजना शुरू की गयी है। इसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति की अवधारणा के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का प्रयास किया जाता है। पारसी जैसे बहुत छोटे समुदाय (जिओ पारसी) के लोगों की जनसंख्या में गिरावट के रुझान को रोकने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

जनजातीय उत्सवों के आयोजन के लिए अनुदान सहायता देने के साथ-साथ जनजातियों से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान/मूल्यांकन

परियोजनाओं, सेमिनार/कार्यशालाओं और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। देश में जनजातियों के विकास के बारे में दीर्घावधि और नीतिमूलक अनुसंधान अध्ययन कराने के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों को मान्यता प्रदान की गयी है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नौकरियों में आरक्षण

भारत के संविधान में लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अधिकतर राज्यों ने शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है ताकि पिछड़े वर्गों के हितों और कल्याण का ध्यान रखा जा सके। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुायों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण व्यवस्था की गयी है। इससे समावेशी प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त हुआ है और सामाजिक समावेशन सुश्चित किया जा सका है।

सामाजिक समावेशनन के लिए अन्य संस्थागत उपाय

सामाजिक समावेशन नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक आदेश और राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इसी आदेश के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे संवैधानिक संगठनों की संस्थागत रूप से व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय डीनोटीफाइड, यायावर और अर्ध यायावर जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त कार्यालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है ताकि इन वर्गों के लोगों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो और उनके कल्याण का भी ध्यान रखा जा सके।

नीतिगत पहल के तहत इस कार्य में लगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं: डॉ. बी.आर. आम्बेडकर फाउंडेशन, डॉ. आम्बेडकर राष्ट्रीय

तालिका-6 : 2014-15 से 2017-18 तक सामाजिक समावेशन पर खर्च की गयी धनराशि और 2018-19 तथा 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान व बजट अनुमान (करोड़ रुपये में)

मंत्रालय/विभाग	वास्तविक खर्च	सं.अ.	ब.अ.	पांच वर्ष का कुल योग			
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण विभाग	5330.95	5752.74	6516.09	6747.02	9963.25	7800.00	**42110.05**
दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग	337.84	554.97	772.56	922.47	1070.00	1144.90	**4802.74**
जनजातीय कार्य मंत्रालय	3831.95	3654.86	4816.92	5316.63	6000.00	6526.96	**30147.32**
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3069.01	4479.88	2832.46	4057.18	4700.00	4700.00	**23838.53**
महिला और बाल विकास मंत्रालय	18436.18	17248.72	16873.52	20396.36	24758.62	29164.9	**126878.30**
सामाजिक समावेशन के लिए वर्ष वार कुल धनराशि	**31005.93**	**31691.17**	**31811.55**	**37439.66**	**46491.87**	**49336.76**	**227776.94**

स्मारक, डॉ. बी.आर. आम्बडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान जो बुजुर्गों, बेघरबार लोगों, मादक पदार्थों की लत के शिकार लोगों, उभयलिंगी समुदाय के सदस्यों और अन्य सामाजिक सुरक्षा समूहों के कल्याण को बढ़ावा देने के कार्य में लगी हैं।

जिन राज्यों में पहले से ही ब्रेल लिपि की पुस्तकें छापने वाली प्रेस या अन्य मजबूत संगठन मौजूद हैं वहां इनकी स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता बढ़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। ऑटिज्म यानी स्वकेन्द्रिता के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास बनाया गया है, सेरिब्रल पाल्सी (मस्तिष्क पक्षाघात), मंदबुद्धि आदि विभिन्न विकारों से पीड़ित लोगों के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मेरुदंड की चोट से पीड़ित लोगों के इलाज और पुनर्वास के लिए राज्य और केन्द्रीय स्पाइनल इनज्यूरी सेंटर स्थापित किये गये हैं। श्रवण संबंधी दिव्यांगता वालों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष कालेजों की स्थापना की गयी है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान और दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। दिव्यांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में पेशेवर कर्मियों के प्रशिक्षण में एकसमान मानदंडों के पालन के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद शीर्ष संगठन है।

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र दिव्यांगता क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रमशक्ति के विकास को ध्यान में रखकर व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है और कई अन्य पुनर्वास सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। दिव्यांग खेलकूद केन्द्र दिव्यांग लोगों को खेलकूद के क्षेत्र में प्रोत्साहित करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इनक्लूसिव एंड यूनीवर्सल डिजायन दिव्यांगों के लिए बाधारहित माहौल बनाने के लिए कार्य करता है। यह संस्थान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के साथ मिलकर व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित करता है ताकि इस क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रम शक्ति का विकास हो। यह कई तरह की अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्यूफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलमिको) दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग बनाता है और दिव्यांगों तथा बुजुर्गों को उपकरण तथा सहायता प्रदान करता है।

अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम के तहत भारत और सऊदी अरब में हज का प्रबंधन किया जाता है। कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम और शहरी वक्फ समिति विकास योजना को लागू करके रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है, राज्य वक्फ बोर्डों को मजबूत बनाया जा रहा है और शहरों की खाली पड़ी वक्फ-भूमि को अतिक्रमण से बचाया जा रहा है। वक्फ भूमि को वाणिज्यिक तरीके से विकसित करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं ताकि आमदनी बढ़े और उसी अनुसार कल्याणकारी गतिविधियों में भी तेजी आए। केन्द्रीय वक्फ काउंसिल इस कार्यक्रम को लागू करने वाली एजेंसी है।

मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन (एमएईएफ) स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक और मुनाफे को ध्यान में रखकर कार्य न करने वाला संगठन है जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की भी नियुक्ति की गयी है जिसे उनके हितों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

खाद्य और पोषण बोर्ड व्यापक पोषण शिक्षा और प्रसार सेवाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए पोषण, शिक्षा और जागरूकता के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान (निपसिड) प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करता है। यह जन सहयोग के बारे में सूचना सेवाएं उपलब्ध कराता है और प्रशिक्षण तथा अनुसंधान परामर्श की आवश्यकताओं को पूरा करता है। केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) एक सांविधिक संस्था है जो भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसे अपनी संबद्ध मान्यताप्राप्त दत्तकग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, बेसहारा और लाचार बच्चों को देश में और देश से बाहर गोद लेने के बारे में निगरानी करने और विनियमन का दायित्व भी मिला हुआ है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं।

महिला हेल्पलाइन सार्वजनिक रूप से और निजी दायरे में हिंसा का शिकार हुई सभी महिलाओं को चौबीसों घंटे आपात उत्तर उपलब्ध कराती है। एक ही स्थान पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला केन्द्र हिंसा से पीड़ित महिलाओं को परिवार, समुदाय और कार्यस्थल समेत तमाम निजी और सार्वजनिक स्थानों पर सहायता और मदद उपलब्ध कराता है। इन सेवाओं में चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता/केस मैनेजमेंट और हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श तथा अस्थायी मदद संबंधी सेवाएं शामिल हैं। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्वयंसेवी पुलिस और समाज के बीच संपर्क सूत्र का काम करते हैं और मुसीबत में पड़ी महिलाओं की मदद करते हैं।

सामाजिक समावेशन के लिए बजट संबंधी उपाय

केन्द्र सरकार और राज्यों का यह दायित्व बनता है कि वे महिलाओं के लिए विशेष रूप से बजट आवंटन, बच्चों के लिए बजट आवंटन, अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उपयोजना के जरिए धनराशि का आवंटन करें और उनके कल्याण और विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करें। केन्द्र सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत 76800.89 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इसके अलावा जनजातीय उप-योजना के लिए 50085.52 करोड़ रुपये, बच्चों के कल्याण के लिए 90594.25 करोड़ रुपये और जेंडर बजटिंग के लिए 131699.52 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

पिछले पांच वर्षों में सामाजिक समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे नोडल मंत्रालयों/विभागों को आवंटित राशि इस प्रकार है:

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्यक्ष और मापे जा सकने वाले फायदे लक्षित समूह को दिये जाएं ताकि सामाजिक समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ❑

संदर्भ

1. एन. जयपालन, 'भारतीय प्रशासन', खंड-1, अटलांटिक, नई दिल्ली-2001, पृ. 6.
2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट.
3. जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट
4. महिला और बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट
5. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट
6. केन्द्रीय बजट, 2014-15 से 2019-20.

अंतरिम बजट- कृषि और किसानों के कल्याण के लिए आवंटन

छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' की शुरुआत

'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)' का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आय का निश्चित सहारा प्रदान करना है। इस योजना के जरिये किसानों को खेती की लागत संबंधी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने की बात है, ताकि किसान अपने लिए बेहतर फसल और उचित उपज सुनिश्चित कर सकें।

इस योजना के तहत 2 एकड़ तक जोत योग्य जमीन का स्वामित्व रखने वाले किसान परिवारों को आमदनी में सहयोग के तहत प्रत्यक्ष तौर पर 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। यह रकम सीधा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में जमा की जाएगी। इस योजना के लिए रकम भारत सरकार की तरह से मुहैया कराई जाएगी। इस योजना से तकरीबन 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी किया जाएगा और इसके तहत पहली किस्त का भुगतान इसी साल यानी 31 मार्च 2019 तक किया जाएगा। इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये का सालाना खर्च आएगा।

मौजूदा केंद्रीय बजट में (2019-20) में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बजटीय आवंटन में पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के मुकाबले 2.5 गुना बढ़ोतरी की गई और इस संबंध में 1,41,174.37 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट में इसके लिए 58,358 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अगर पांच साल की अवधि के लिहाज से तुलना की जीए, तो 2009-14 के दौरान इस मद में आवंटित रकम 1,21,082 करोड़ रुपये थी, जबकि मौजूदा सरकार (2014-19) के दौरान इसमें 74.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह आंकड़ा 2,11,694 करोड़ रुपये रहा।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन का इरादा मवेशियों के मामले में भी सहायता प्रदान करना है, ताकि उनके आनुवंशिक संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जा सके और भारतीय मवेशियों की उत्पादकता में लगातार बढ़ोतरी जारी रहे। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए बजट 2018-19 में इस संबंध में आवंटित 250 करोड़ रुपये की रकम को 2019-20 के लिए बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

मत्स्यपालन के लिए अलग विभाग

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। दुनियाभर में मछली के कुल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 6.3 फीसदी है। मत्स्यपालन क्षेत्र का देश की जीडीपी में 1 फीसदी योगदान है और यह प्राथमिक स्तर पर तकरीबन 1.45 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र की औसत सालाना वृद्धि दर 7 फीसदी से भी ज्यादा रही है और 2017-18 के दौरान इसका कुल उत्पादन 1.26 करोड़ टन रहा। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान इसके निर्यात से राजस्व 45,106.89 करोड़ रुपये रहा, जो इस मामले में हाल के वर्षों में औसत 11.31 फीसदी की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार और केंद्रित प्रयास के मकसद से सरकार ने अलग मत्स्यपालन विभाग बनाने का फैसला किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये किसानों को सस्ती दर पर संस्थागत कर्ज मुहैया कराए जाते हैं। इससे न सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ाना मुमकिन होता है। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत किसानों को 4 फीसदी की दर पर 3 लाख रुपये

तक सालाना छोटी अवधि का कर्ज दिया जाता है। पिछले बजट में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (केसीसी) की सुविधा का दायरा बढ़ाकर इसमें पशुपालन और मत्यस्य पालन को भी शामिल किया गया था, ताकि इन कामों से जुड़े किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये कर्ज की सुविधा का लाभ मिल सके। इसके अलावा, कर्ज का समय पर भुगतान करने पर इन किसानों को अतिरिक्त 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी।

फिलहाल, इस तरह के प्रभावित किसानों के लिए फसल संबंधी कर्ज का पुनर्निर्धारण किया गया है और उन्हें सिर्फ पुनर्निधारित कर्ज के पहले साल तक 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी का फायदा मिलता है। अब भारी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी किसानों (जहां राष्ट्रीय आपदा फंड से मदद मुहैया कराई जाती है) को 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी का फायदा मिलेगा और उनके कर्ज की पूरी अवधि के पुनर्निर्धारण की स्थिति में 3 फीसदी का तत्काल भुगतान प्रोत्साहन भी मिलेगा। आसान तरीकों के जरिये और सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराने और सभी किसानों को केसीसी के दायरे में लाने के लिए आसान आवेदन पत्र के

साथ व्यापक अभियान शुरू करने का फैसला किया गया है।

गायों की आनुवंशिक बेहतरी को लगातार जारी रखने और गायों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' की स्थापना की गई है। आयोग गायों से संबंधित कानून और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावकारी तरीके से लागू करने संबंधी मामलों पर भी नजर रखेगा। इसके अलावा, गायों की सुरक्षा में गौशाला और गौसदन को भी सलाह देगा और यह संस्था मवेशी पालने वाले किसानों, सहकारी संगठनों, डेयरी आदि के बीच समन्वय स्थापित करने में भी मदद करेगा। आयोग पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान या कृषि विश्वविद्यालय या गायों के प्रजनन, बायोगैस संबंधी शोध आदि के काम में जुटे केंद्र/राज्य सरकारों के विभागों या संगठनों के साथ मिलकर भी काम करेगा।

इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान के परिवार के दायरे में 'पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों' को शामिल किया जाता है। वैसे किसान परिवार, जिनके पास संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के जमीन रिकॉर्ड के मुताबिक 2 हेक्येटर तक जमीन है। लाभार्थियों की पहचान के लिए मौजूदा जमीन-स्वामित्व प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। ❑

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत

वायु प्रदूषण इन दिनों एक बड़ी वैश्विक पर्यावरण चुनौती है। बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में पूरे देश में समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम - एनसीएपी) लॉन्च किया गया।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत से शहरीकरण के लिए खतरे के रूप में उभरे एक बड़ी चुनौती वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जाएगा

प्रदूषण के सभी स्वरूपों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से सहयोगपूर्ण एवं भागीदारी के नजरिये के साथ सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों को इस कार्यक्रम के मूल बिन्दु से जोड़ा गया है। उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों और राष्ट्रीय अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए 2017 को आधार वर्ष मानकर एनसीएपी के तहत वर्ष 2024 तक हवा में पीएम 2.5 और पीएम10 के स्तर में 20 से 30 फीसदी कमी लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। एनसीएपी का समग्र उद्देश्य देशभर में वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क बनाने और जागरूकता एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही वायु प्रदूषण को रोकने, उस पर नियंत्रण और उसे खत्म करने के लिए समग्र कार्य योजना शुरू करना है।

इस मौके पर मौजूद नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने कहा कि एनसीएपी एक बड़ी पहल है और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि इसके तहत शहरीकरण के लिए खतरे के रूप में उभरे एक बड़ी चुनौती वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जाएगा। श्री कांत ने कहा कि आज तीन फीसदी जमीन पर ही शहर बसे हैं, लेकिन जीडीपी में उनका योगदान 82 प्रतिशत है, ये 78 प्रतिशत कार्बन डाईऑक्साइड छोड़ने के लिए जिम्मेवार भी हैं। उन्होंने कहा कि ये शहर विकास और समानता के वाहक हैं, लेकिन इन्हें बनाये रखना होगा और इसी संदर्भ में समेकित कार्यक्रम के साथ एनसीएपी की विशेष प्रासंगिकता है। ❑

स्रोत : पत्र सूचना ब्यूरो

GUIDANCE IAS

MORE THAN A COACHING

अंग्रेजी माध्यम का प्रसिद्ध
भूगोल (वैकल्पिक) @500+ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम
JUNE 2019 by HIMANSHU SIR

भूगोल (वैकल्पिक) कक्षा कार्यक्रम 2020

भूगोल (वैकल्पिक) टेस्ट सीरीज़ (Offline/Online)

FLEXI* - वर्ष भर उप्लब्ध कार्यक्रम

* अपनी सुविधा अनुसार टेस्ट लिखे तथा टेस्ट की चर्चा का **video online** उप्लब्ध होगा

सामान्य अध्ययन (फाउंडेशन कोर्स) कक्षा कार्यक्रम
प्रांभिक व मुख्य परीक्षा **2020**
सामान्य अध्ययन के सभी **MODULE** की कक्षाये उप्लब्ध हे
सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा **ANSWER WRITING** कार्यक्रम

भूगोल (वैकल्पिक) विषय मुख्य परीक्षा 2017 के शीर्ष चार अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमारे **GUIDANCE IAS** से है

PRATHAM KAUSHIK - 327 Marks
DHRUV MISHRA - 318 Marks
SAI KIRAN D.N. - 316 Marks
DHEERAJ AGARWAL - 315 Marks

And Many Others Scored Above 290+

HIMANSHU SIR के निर्देशन मे सफल विद्यार्थी CSE 2017

B/12 MUKHERJEE NAGAR, Opp. MEERUT Wale Shop, DELHI-09

011-40539024 / 8750778855

YH-1034/2018

दृष्टि The Vision

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा) (19 बुकलेट्स)	**सामान्य अध्ययन** (मुख्य परीक्षा) (26 बुकलेट्स)	**इतिहास** (वैकल्पिक विषय)
सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रारंभिक परीक्षा) (27 बुकलेट्स)	**सामान्य अध्ययन** (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (31 बुकलेट्स)	**दर्शन शास्त्र** (वैकल्पिक विषय)
सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (39 बुकलेट्स)		**हिन्दी साहित्य** (वैकल्पिक विषय)

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (43 बुकलेट्स)

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (33 बुकलेट्स)

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (36 बुकलेट्स)

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 बुकलेट्स)

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (34 बुकलेट्स)

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (36 बुकलेट्स)

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 बुकलेट्स)

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (25 बुकलेट्स)

सामान्य अध्ययन

ओरिएन्टेशन क्लास के साथ बैच प्रारंभ

7 मार्च

प्रातः 11:30 बजे

For UPSC CSE (in English Medium)

- **Prelims** (18 GS + 3 CSAT Booklets)
- **Mains** (18 GS Booklets)
- **Prelims + Mains** (36 GS + 3 CSAT Booklets)

For UPPCS (in English Medium)

- **Mains** (19 GS + 1 Essay + 1 Compulsory Hindi Booklets)

Invitation Offer for UPPCS

Free 6 Months Subscription of Drishti Current Affairs Today Magazine for comprehensive coverage of current affairs

For Exciting offers visit our website "drishtiIAS.com" or call 8448485520

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485519, 8448485520, 87501-87501

YH-841/11/2018

सशक्त महिला सशक्त समाज

शाहीन रज़ी

''लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागृत करना होगा। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है।''

- पंडित जवाहरलाल नेहरू

समावेशी विकास में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि विकास प्रक्रियाओं में सभी अधिकारविहीन और बहिष्कृत समूह हितधारक हों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) का मानना है कि कई समूहों को उनके लिंग, जातीयता, आयु, यौन अभिविन्यास, अक्षमता या गरीबी के कारण विकास के दायरे से बाहर रखा गया है।

इस तरह के बहिष्करण से दुनिया भर में असमानता का स्तर बढ़ा है। विकास तब तक गरीबी को प्रभावी ढंग से कम नहीं कर सकता जब तक सभी समूह अवसरों के सृजन में योगदान नहीं करते, विकास के लाभ साझा नहीं करते और निर्णय लेने में भागीदार नहीं बनते। समावेशी विकास का लक्ष्य मतभेदों को समायोजित करने और विविधता का सम्मान करने में सक्षम समावेशी समाज का निर्माण करना है।

1990 के दशक के बाद से महिलाओं की समानता और सशक्तीकरण की पहल को सबसे आगे रखा गया है ताकि शहरी और ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की पिछड़ेपन, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा को

मिटाकर सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रक्रिया में विकास के क्षेत्र में काम करने वाली नारी अधिकारवादियों ने लैंगिक समानता और सिर्फ विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पसंदीदा रणनीति के रूप में सशक्तीकरण की अवधारणा के वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह स्वीकार करना कि महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाएं भागीदारी, बातचीत, प्रभावित करने और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले संस्थानों को जवाबदेह बनाने में अपनी पसंद और स्वतंत्रता को बढ़ाती हैं, सही दिशा में एक कदम है। हालांकि, महिला सशक्तीकरण तभी हासिल होगा जब महिलाएं अपने सशक्तीकरण को एक सार्थक लक्ष्य मानेंगी। इसके लिए महिलाओं की शक्ति का दोहन करने, उनकी क्षमताओं का उपयोग करने और महिलाओं को उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। ऐसी स्थितियां बनाना भी

देश की लगभग 50 प्रतिशत महिला आबादी के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तीकरण के बिना विकास की यात्रा पूरी नहीं की जा सकती है। महिला विकास के प्रति एक बहुदिशात्मक व्यवस्थित दृष्टिकोण निश्चित रूप से देश को इस मार्ग पर काफी आगे ले जाएगा।

जरूरी है जिनमें इन लक्ष्यों को संभव बनाने के लिए महिलाओं की आवाज को उनके सशक्तीकरण की नीतियों तथा कार्यक्रमों (विश्व बैंक 2014) में प्रमुख शर्त के रूप में शामिल करने के प्रयास किए जाएं। विश्व बैंक (2002) लोगों की पसंद तथा भागीदारी के लिए कार्रवाई में स्वतंत्रता, बातचीत, प्रभाव, नियंत्रण को बढ़ानें और उनके जीवन को प्रभावित करने वाली संस्थाओं को जवाबदेह बनाने को सशक्तीकरण मानता है।

सशक्तीकरण एक बहुआयामी, बहुपक्षीय और बहुस्तरीय अवधारणा है। महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाएं संसाधनों पर अधिक नियंत्रण हासिल करती हैं। ये संसाधन हैं- सामग्री, मानव और बौद्धिकता जैसे ज्ञान, जानकारी, विचार और वित्तीय संसाधन जैसे धन - तथा धन तक पहुंच और परिवार, समुदाय, समाज तथा राष्ट्र में निर्णय लेने और 'सत्ता' हासिल करने के लिए नियंत्रण।

अपने स्वयं के परिवार में महिलाओं की आवाज नहीं होने की गंभीर स्थिति में हाल के दिनों में बड़ा बदलाव आया है। आधुनिक महिलाएं अब घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं हैं। उन्हें अब हर तरह से अपनी योग्यता का एहसास हो रहा है। वे घर और कार्यस्थल दोनों जगह पुरुषों के साथ समानता तथा न्याय की मांग कर रही हैं। उन्होंने लगभग हर क्षेत्र में अपनी पहुंच बना ली है, चाहे वह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, खेल या सशस्त्र बल हों। चाहे शहर हो या गांव वहां लगभग हर पांचवी महिला एक उद्यमी है।

गर्भ में बालिकाओं के संरक्षण से लेकर कार्यस्थल तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मातृत्व की अपनी यात्रा के माध्यम से महिला को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को उनकी गर्भावस्था और स्तनपान की अवधि के दौरान वित्तीय सुरक्षा देती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मातृत्व लाभ अधिनियम का संशोधन है, जिसमें कामकाजी महिलाओं को 26 सप्ताह के भुगतान मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कार्यक्रम बालिकाओं की शिक्षा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में मददगार हैं। केवल एक स्वस्थ महिला ही सशक्त महिला हो सकती है इसीलिए महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन, उज्ज्वला जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।

महिलाओं के सशक्तीकरण के कार्यक्रम

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण महिलाओं पर केंद्रित एक प्रमुख परियोजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से सार्वभौमिक सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त करना है। इसके तहत प्रत्येक चयनित गरीब ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य

लेखिका एमेरिटस यू.जी.सी. फैलो, अर्थशास्त्री और शिक्षाविद हैं। ईमेल: shahin.razi@gmail.com

को समयबद्ध तरीके से स्व सहायता समूह (एसएचजी) के दायरे में लाया जाना है। मिशन के अंतर्गत सभी कमजोर समुदायों तक पहुंचने और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है।

ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में सुधार के लिए प्रासंगिक, इस मिशन के दो अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से अधिक की नौकरी उपलब्ध कराना है। यह इस दिशा में की गई कई पहल में से एक है। इसके तहत लाभार्थियों के पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया गया है, इसके लिए सामाजिक रूप से वंचित लाभार्थी समूहों में एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना एक अन्य घटक है जिसका उद्देश्य कृषि में महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार करना और सशक्तीकरण के अवसरों को बढ़ाना है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का सशक्तीकरण: निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने और उनसे अपेक्षित नेतृत्व भूमिकाओं को संभालने और अधिक समृद्ध भविष्य के लिए अपने गांवों का मार्गदर्शन करने में मदद के उद्देश्य से एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। जमीनी स्तर पर पिछले अनुभवों के आधार पर यह महसूस किया गया है कि शासन प्रक्रियाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी के लिए उन्हें सशक्त और सक्षम बनाने के वास्ते निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का सशक्तीकरण महत्वपूर्ण है। एक सशक्त निर्वाचित महिला प्रतिनिधि सुनिश्चित कर सकती है कि उसके समुदाय की महिलाओं में भी इस प्रकार की समझ पैदा की जा सकती और उनमें बदलाव किया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी, जागरूकता और कानूनी सशक्तीकरण से उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा और उनके सशक्तीकरण में मदद मिलेगी। स्थानीय निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने से वास्तव में स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसे विकास के मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के विषयों की ज्यादातर पुरुष सदस्यों द्वारा अनदेखी की जाती हैं।

राष्ट्रीय महिला कोष : राष्ट्रीय महिला कोष, अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं को आय अर्जन की गतिविधियों के लिए ग्राहक हितैषी और बिना परेशानी के छोटे ऋण उपलब्ध कराता है। इसके तहत मध्यस्थ संगठनों के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों को मजबूत कर और लघु वित्त पोषण, उद्यम विकास, बचत तथा ऋण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। ऋण प्रबंधन की शिक्षा को, स्व प्रबंधन के लिए समूहों के बीच नेतृत्व प्रशिक्षण, व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ क्रेडिट के प्रावधान के साथ एकीकृत किया गया है।

महिला शक्ति केंद्र : ग्रामीण महिलाओं की सहायता और उन्हें अभिसरण सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना 'महिला शक्ति केंद्र' को मंजूरी दी गई है। इस योजना को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के वास्ते मिशन की अम्ब्रैला स्कीम के तहत एक उप योजना के रूप में स्वीकृति दी गई है। इस योजना की परिकल्पना ग्रामीण महिलाओं के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से उनके हक के लिए सरकार से संपर्क करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करने के लिए की गई है। महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने योग्य स्थितियों का निर्माण करने के लिए देश भर में चयनित जिलों / ब्लॉकों में ग्राम पंचायतों के स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता की एकसमान पहुंच के लिए अभिसरण समर्थन का प्रस्ताव किया जा रहा है। यह योजना विशेष रूप से देश के सबसे पिछड़े 115 जिलों में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कॉलेज के विद्यार्थी स्वयंसेवियों के माध्यम से महिला शक्ति केंद्र की ब्लॉक स्तर की पहल के तहत सबसे पिछड़े 115 जिलों में सामुदायिक जुड़ाव की परिकल्पना की गई है। विद्यार्थी स्वयंसेवक विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं / कार्यक्रमों और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ब्लॉक स्तर पर यह योजना विद्यार्थी स्वयंसेवकों को अपने स्वयं के समुदायों में परिवर्तन लाकर विकास प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं और भारत की प्रगति में बराबर की भागीदार हैं।

महिलाओं के लिए सूचना का राष्ट्रीय भंडार (एनएआरआई): महिलाओं के लिए सूचना का राष्ट्रीय भंडार (एनएआरआई) नामक एक पोर्टल तैयार किया गया है, जो महिलाओं के लिए योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तक नागरिकों को आसान पहुंच प्रदान करेगा। महिलाओं के लिए प्रासंगिक विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों की सभी जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाएगी। इसका उपयोग महिला शक्ति केंद्र के कर्मचारियों द्वारा जमीनी स्तर पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा सरकारी योजनाओं की पहुंच और उपयोग में सुधार के लिए किया जाएगा।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ : बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत लड़कों की तुलना में लड़कियों की कम होती संख्या की समस्या के समाधान के लिए की गई थी। बाद में इसका विस्तार किया गया और इसके तहत अन्य सरोकारों जैसे पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम को सख्ती से लागू करना, लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान करना और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों को प्रेरित करने के प्रावधान शामिल किए गए। 2015 में शुरुआत के बाद से, यह स्वतंत्र रूप से स्थानीय डोमेन में भी व्यापक रूप से बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम): कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया है। इसके लिए 9046 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य 0-6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में, परिभाषित लक्ष्य के साथ समयबद्ध तरीके से सुधार करना है। इनमें से कुछ लक्ष्य इस प्रकार हैं–

बच्चों (0-6 वर्ष) में वृद्धि में रुकावट को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की दर से 6 प्रतिशत तक रोकना और कम करना। बच्चों में अल्पपोषण (0-6 वर्ष) को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की दर से 6 प्रतिशत तक, छोटे बच्चों (6-59 महीने) में एनीमिया (खून की कमी) को प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की दर से 9 प्रतिशत तक, 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों औरं महिलाओं में एनीमिया को प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की दर से 9 प्रतिशत तक कम करना, जन्म के समय कम वजन को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की दर से 6 प्रतिशत तक कम करना। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत भी महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। इसके तहत लाभार्थियों को गर्भावस्था के दौरान और अस्पताल में प्रसव के बाद 6000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, 2017-18 के दौरान सभी 36 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को 2016.37 करोड़ रुपये मंजूर किए गए और 1991.72 करोड़ रुपये जारी किए गए।

पूरक, पोषण (आईसीडीसी) नियम, 2017 को प्रत्येक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6 महीने से 6 वर्ष तक एक वर्ष में 300 दिनों के लिए पोषकों से भरपूर आहार के अधिकार को विनियमित करने के लिए अधिसूचित किया गया था।

स्वाधार गृह योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करती है। इसके तहत आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सा और देखभाल की सुविधाएं विशेष रूप से प्रदान की जाती है। उन्हें परिवार/समाज में पुन: समायोजन के लिए सक्षम बनाने के वास्ते कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। उनका भावनात्मक और आर्थिक रूप से पुनर्वास किया जाता है ताकि वे नए सिरे से जीवन शुरू कर सकें। वर्तमान में, देश में 561 स्वाधार गृह हैं और 17,291 महिलाओं को इनसे लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, वृंदावन के सुनरख बांगर में 1000 बेसहारा महिलाओं को शरण देने की क्षमता वाले एक विधवा गृह का निर्माण किया गया है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों ने महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाया है। **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के तहत **स्व सहायता समूह, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया** जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने भी महिलाओं के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला सशक्तीकरण के एजेंडे में सभी स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और पैनिक बटन महिलाओं के सशक्तीकरण की यात्रा में सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी) महिलाओं के लिए स्थानीय पुलिस के एक प्रभावी विकल्प साबित होंगे। महिला पुलिस स्वयंसेवकों को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संकट में फंसी महिलाओं की सुविधा के लिए सार्वजनिक पुलिस इंटरफेस के रूप में शुरू किया गया था। महिला पुलिस स्वयंसेवक, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। ये स्वयंसेवक 5 राज्यों में कार्यरत हैं।

महिला-ई-हाट वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक पहल है। यह महिला उद्यमियों/स्व सहायता समूहों/गैर सरकारी संगठनों के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। इसे 1450 लाख से अधिक लोगों ने देखा। बाईस राज्यों की महिला उद्यमियों/स्व सहायता समूहों/गैर सरकारी संस्थाओं ने लगभग 1800 उत्पादों/सेवाओं का प्रदर्शन किया। तीन लाख लाभार्थियों के साथ इसमें 23000 पंजीकृत

स्व सहायता समूह हैं। छह महीने में, महिला उद्यमियों/स्व सहायता समूहों/गैर सरकारी संस्थाओं ने 20 लाख रुपये से अधिक का कारोबार किया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारतीय समाज के गरीब वर्गों की सहायता करने के लिए है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की महिलाओं को रसोई गैस (पीएलजी) उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

क) महिलाओं की हैसियत बढ़ाना और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना।

ख) जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में मदद।

ग) जीवाश्म ईंधन पर आधारित कुकिंग से संबंधित गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना।

घ) खाना पकाने के अस्वच्छ ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना, जो कि भारत में हर साल लगभग 5 लाख है।

ड.) जीवाश्म ईंधन को जलाने से घर के अंदर वायु प्रदूषण के कारण होने वाली गंभीर श्वसन बीमारी से छोटे बच्चों को बचाना।

यह योजना मूल रूप से गरीब महिलाओं की मदद के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना है।

आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण का प्रमुख घटक है और इसके लिए वित्तीय समावेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ साल पहले तक, बैंक खाता खोलना एक कठिन काम माना जाता था। लेकिन **सुकन्या समृद्धि योजना** और **प्रधानमंत्री जन धन योजना** के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं सुलभ हो गई हैं। जन धन योजना के तहत 16.42 करोड़ महिलाओं के खाते खोले गए हैं।

उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना: प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत, सरकार ने छोटे उद्यमियों को गारंटर की आवश्यकता के बिना ऋण प्रदान किया है। इनमें से 75 प्रतिशत ऋण महिलाओं को दिया गया है, जिसमें 9.81 करोड़ महिला उद्यमी पहले से ही इस योजना के तहत लाभान्वित हो रही हैं। 47 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों

(एसएचजी) को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत बढ़ावा दिया गया है, उन्हें 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। वास्तव में, सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों को दी जाने वाली ऋण राशि में पिछले वित्त वर्ष में 37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।

कौशल विकास : महिला कार्यबल की क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** के तहत बड़ी संख्या में युवाओं ने उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लिया है। अब तक इस योजना के तहत प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों में से आधे महिला उम्मीदवारों को दिये गये हैं।

मातृत्व सशक्तीकरण : कार्यबल में महिलाओं को बनाए रखने के लिए, मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि कामकाजी महिलाओं के लिए अनिवार्य भुगतान मातृत्व अवकाश की अवधि को 26 सप्ताह तक बढ़ाया जा सके। यह कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाता है क्योंकि इससे उन्हें प्रसव के कारण वेतन या नौकरी खोने का डर नहीं सताता और उन्हें अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा उसे स्तनपान कराने का भी समय मिलता है।

अंतरिम बजट - 2019

अंतरिम बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 29,165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस तरह इसमें 2018-19 (4,856 करोड़ रुपये) के मुंकाबले लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ और गर्भवती महिलाओं के लिए **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

छोटे और अति लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले **प्रधानमंत्री मुद्रा कार्यक्रम** के तहत लाभ पाने वालों में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। जन धन योजना भी महिलाओं की मदद करती है।

'ब्लू इकोनॉमी' विशेष रूप से मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित घोषणाओं से महिलाओं को लाभ हो सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी है।

अंतरिम बजट में महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए 174 करोड़ रुपये बढ़ाए गए हैं।

आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।

अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को काफी लाभ पहुंचाने का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष

देश की लगभग 50 प्रतिशत महिला आबादी के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तीकरण के बिना विकास की यात्रा पूरी नहीं की जा सकती है। महिला विकास के प्रति एक बहु दिशात्मक व्यवस्थित दृष्टिकोण निश्चित रूप से देश को इस मार्ग पर काफी आगे ले जाएगा। ❑

संदर्भ

1. नीलिमा श्रीवास्तव, लिंडा लिने, सुमिता ढल: मीटिंग द चैलेंजिस ऑफ जेंडर एम्पावरमेंट
2. शाहीन रज़ी : वूमैन - ड्राइविंग फोर्स ऑफ डेवेलप्मेंट
3. विभिन्न समाचार पत्र।

SIHANTA IAS

कोर्स निर्धारण एवं संचालनः- रजनीश राज एवं डॉ. अभिषेक (Evolution IAS)

सामान्य अध्ययन

अर्थव्यवस्था (बजट)

10 March
1:00PM

Score Booster Programme Preparation through Test

विशेषज्ञः-

- इतिहास और कला एवं संस्कृति : रजनीश राज
- भूगोल : वी. के. त्रिवेदी
- राजव्यवस्था/लोकनीति : रजनीश राज
- अर्थव्यवस्था : ऋषि जैन
- विज्ञान और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी : डॉ. अभिषेक
- समसामयिक : डॉ. अभिषेक

इतिहास

वैकल्पिक विषय

द्वाराः रजनीश राज

SHISHIR GEMAWAT
AIR-35
(CSE-2017)

निःशुल्क कार्यशाला

8 March
9:00AM

Online Classes Also Available with Live Discussion

Plot No. B-14, First Floor, Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Ph:011-42875012 8743045487 web: www.sihantaias.com

YH-1037/2018

विश्व में तेज़ी से उभरता 'ज्ञानयोगी भारत'

जगदीश उपासने

वैसे तो शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है अर्थात् इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नीतियां बनाती हैं और बजट में प्रावधान करती हैं। शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने और स्कूली शिक्षा अधबीच छोड़ने के सर्वव्यापी चलन के खात्मे का लक्ष्य हासिल करने के लिए चलाए गए विभिन्न अभियानों तथा सभी स्तरों पर परिवारों, व्यक्तियों की आय में क्रमशः वृद्धि होते जाने से प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने को आतुर और विश्व विद्यालयीन शिक्षा समेत उच्चस्तरीय, अनुसंधानपरक अध्ययन के लिए प्रेरित विद्यार्थियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अधिकार ने सरकारों के लिए शिक्षा के क्षेत्र को वरीयता देना एक तरह से अनिवार्य कर दिया है, लेकिन विद्यार्थियों की जरूरत और आकांक्षाओं के अनुसार शिक्षा पर निवेश करने, स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में भवन, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी जैसी अनेक आधारभूत सुविधाएं, अद्यतन अध्ययन सामग्री और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन प्रणाली मुहैया कराने में पिछली कई सरकारें अपूरी पड़ती रही है, दूसरी ओर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, इसमें सर्वांगीण और आमूलचूल सुधार करने तथा इसे भारत के लोगों की जरूरत के हिसाब से तैयार करते हुए गुणवत्ता के वैश्विक मानदंडों के बराबर लाने की मांग भी हमेशा से उठती रही है।

बदलावों से मजबूत होता शिक्षा का क्षेत्र

पिछले चाल साल के दौरान में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए की गई पहलों से शिक्षा क्षेत्र में आमूल बदलाव हुए हैं जिससे शिक्षा क्षेत्र में समानता, सर्वसुलभता,

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के पूर्व कुलपति हैं। ईमेलः jupasane@gmail.com

सर्वव्यापकता, खर्च के लिहाज से हर वर्ग के लिए अनुकूलता, गुणवत्ता और जवाबदेही लाने में मदद मिली है। इन पहलों से अनुसंधान और नवाचार को भी खासा बल मिला है। इसमें भी स्कूली स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को हर कक्षा में पढ़ाए गए हरेक विषय की समक्ष के स्तर की हर वर्ष होने वाली जांच (लर्निंग आउटकम बेंचमार्क) से बुनियादी स्तर पर शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे न केवल स्कूलों और अध्यापकों की जवाबदेही बढ़ेगी बल्कि माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक स्तर भी निखरेगा और अंतत: इससे हमारे विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर नए मानदंड करने में सफल होंगे। शलैय स्तर पर कक्षा 3, 5 और कक्षा 8 के 22 लाख तथा कक्षा 10 के 15 लाख विद्यार्थियों की प्रत्येक विषय की समझ आंकने के लिए जो अभियान शुरू किया गया है, वह अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने देश के हरेक जिले का शैक्षणिक विवरण (प्रोफाइल) भी तैयार किया है जिससे राज्यों को अपने यहां शिक्षा में बुनियादी सुधार करने में मदद मिलेगी। एक बड़ा बदलाव स्कूली विद्यार्थी को कक्षा 8 तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण न करने की पिछली सरकार की नीति को उलटने का भी किया गया है जिससे छात्रों को अपने योग्यता साबित करने का पर्याप्त समय मिलता है। अब कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी दो बार एक ही कक्षा की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन दोनों ही बार अनुत्तीर्ण होने पर ही उन्हें अगली कक्षा में नहीं भेजा जा सकेगा। इससे जहां विद्यार्थियों में अपनी पढ़ाई के लिए गंभीरता आ रही है, वहीं शिक्षकों और पालकों की भी जवाबदेही निश्चित होती है।

ड्रॉपआउट दर घटी

मध्याह्न भोजन की बात की जाए तो आज सालाना 17,000 करोड़ रुपये के खर्च से 11.4 लाख स्कूलों के 95 लाख विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन मिल रहा है। 14 वर्ष तक की आयु के स्कूली बच्चों की ड्रापआउट दर (बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले) पहले बहुत अधिक (2011 की जनगणना में 8.40 करोड़ विद्यार्थी) हुआ करती थी जो अब 6.10 करोड़ रह गई है। यद्यपि इसमें शिक्षा के अधिकार का लागू होना, अनेक राज्यों में निम्न आय वर्ग के

तालिका 1 : बालिकाओं के लिए टॉयलेट सुविधा वाले स्कूलों की संख्या प्रतिशत में

क्र.	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	सभी विद्यालय		
		2013-14	2014-15	2015-16
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	93.45	100	100
2	आंध्र प्रदेश	81.17	98.07	99.72
3	अरुणाचल प्रदेश	77.01	96.89	96.56
4	असम	74.61	74.86	83.94
5	बिहार	75.5	76.3	90.05
6	चंडीगढ़	100	100	100
7	छत्तीसगढ़	93.63	92	99.16
8	दादरा एवं नागर हवेली	94.75	99.13	100
9	दमण और दीव	100	100	100
10	दिल्ली	100	100	100
11	गोवा	98.39	99.42	100
12	गुजरात	99.58	99.79	99.95
13	हरियाणा	98.06	98.05	99.6
14	हिमाचल प्रदेश	97.32	97.67	99.82
15	जम्मू एवं कश्मीर	76.99	77.93	95
16	झारखंड	87.62	87.32	96.75
17	कर्नाटक	99.2	99.6	99.59
18	केरल	97.39	97.78	99.15
19	लक्षद्वीप	100	100	100
20	मध्य प्रदेश	93	89.59	96.65
21	महाराष्ट्र	98.49	99.29	99.41
22	मणिपुर	98.17	95.51	98.74
23	मेघालय	51.04	63.92	84.29
24	मिजोरम	99.61	99.82	99.27
25	नगालैंड	96.84	99.37	99.89
26	ओडिशा	86.01	88.34	97.06
27	पुदूच्चेरी	100	100	100
28	पंजाब	97.81	99.08	99.83
29	राजस्थान	97.85	98.03	99.67
30	सिक्किम	99.25	98.91	99.83
31	तमिलनाडु	96.91	99.71	99.9
32	तेलंगाना	–	92.1	100
33	त्रिपुरा	89.13	99.88	99.86
34	उत्तर प्रदेश	98.56	98.72	99.8
35	उत्तराखण्ड	96	95.97	97.18
36	पश्चिम बंगाल	82.08	92.42	98.29
	अखिल भारतीय	**91.23**	**93.08**	**97.52**

स्रोत : राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना व प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सकारात्मक बदलावों से भारत सही अर्थ में ज्ञान की एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और आरंभिक से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा तक अधिकांश आबादी की पहुंच हो गई है।

स्कूली बच्चों को साइकिल, गणवेश, अध्ययन सामग्री मुहैया कराने जैसे उपाय भी शामिल हैं।

लड़कों की तुलना में लड़कियों का 14 वर्ष की आयु के बाद स्कूली पढ़ाई छोड़ देने की दर भी पहले बहुत अधिक थी लेकिन 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान तथा लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की संख्या में इजाफा करने से इसमें भी पर्याप्त कमी आई है। बालिकाओं के लिए स्कूलों में टॉयलेट निर्माण के अभूतपूर्व अभियान से बालिकाओं के स्कूल जाने के प्रतिशत में इजाफा हुआ है। तालिका-1 में बालिकाओं के लिए टॉयलेट सुविधा वाले स्कूलों को दर्शाया गया है।

शिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

केवल स्कूली विद्यार्थियों पर ही नहीं केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न रखने वाले 14 लाख स्कूली शिक्षकों को यह योग्यता प्राप्त करने के लिए **'स्वयम्'** डिजिटल प्लेटफार्म भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है जिसके तहत 1,032 पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाए जाते हैं। पाठ्यक्रम को सुसंगत बनाने का भी अभियान शुरू किया गया है तो नई शिक्षा नीति का दस्तावेज आम लोगों तथा विशेषज्ञों के सुझावों के बाद केंद्र सरकार के सम्मुख रख दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इसके परीक्षण के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। 1986 के बाद यह शिक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके अलावा पिछले चार वर्ष में देश भर में 103 केंद्रीय विद्यालय और 62 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। इन उपायों से स्कूली शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य हासिल करने में बड़ी मदद मिली है।

स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तथा परा-विश्वविद्यालयीन शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। प्रशासन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल प्रशासन की गुणवत्ता बढ़ाने, उसमें जवाबदेही और पारदर्शिता लाने तथा लक्षित समूहों तक लाभ पहुंचाने के प्रौद्योगिकी और तकनीकी को व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन उपायों पर खासा बल दिया जा रहा है जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सर्वत्र और सबको उपलब्ध कराने के महती लक्ष्य को पूरा करने में तेजी आई है।

बजट में अधिक राशि

शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट में अधिक राशि का प्रावधान करने की मांग परंपरागत रूप से उठती रही है। 2019-20 के अंतरिम बजट में ही पिछले साल के पूर्ण बजट से 10 प्रतिशत अधिक रकम शिक्षा क्षेत्र के लिए रखी गई है। आईआईटी, आईआईएम, एनआइटी, ट्रिपल आईआईटी, आईआईएससी और आईआईएससीआर जैसे उच्चतर शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए बजटरी प्रावधान लगभग दोगुने कर दिए गए हैं। इसी तरह अनुसंधान के 'इंप्रेस' जैसे अनेक कार्यक्रमों के लिए 37 फीसदी अधिक राशि रखी गई, वहीं उच्च शिक्षा संस्थानों में मौलिक अनुसंधान और आधारभूत ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी 'राइज़' योजना भी घोषित हुई जिसके तहत अगले चार वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की सरकार की योजना है। 'इंप्रिंट-1 और 2 योजना के अंतर्गत अनुसंधान तथा नवाचार के लिए नए दरवाजे खुले हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक महत्व की शोध-नवाचार परियोजना के लिए सार्वजनिक फंडिंग मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत फिलहाल 323 शोध परियोजनाएं चल रही हैं। 'स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन' एक और अनोखी योजना है जो विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में चलाई जा रही है और जिसमें सामान्य, दैनंदिन

स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तथा परा- विश्वविद्यालयीन शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। प्रशासन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल प्रशासन की गुणवत्ता बढ़ाने, उसमें जवाबदेही और पारदर्शिता लाने तथा लक्षित समूहों तक लाभ पहुंचाने के प्रौद्योगिकी और तकनीकी को व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है।

समस्याओं के निदान खोजने की चुनौती विद्यार्थियों के सम्मुख होती है। 2018 में ही देश भर इसके तहत 1,00,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भागीदारी की और 40 से ज्यादा सामान्य समस्याओं का निदान किया। इसी तर्ज पर 'हार्डवेयर हैकाथॉन' भी शुरू की गई है ताकि भारत के युवा देश के संसाधनों से सस्ता हार्डवेयर तैयार कर सकें।

अनुसंधान और नवाचार के लिए बजट राशि में 50 फीसदी बढ़ोतरी कर दी गई है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तकनीक और प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है और सभी स्कूलों में 'डिजिटल ब्लैकबोर्ड' सफलतापूर्वक लगाने की दिशा में तेजी से कदम उठाने गए हैं। 'समग्र शिक्षा' अभियान पर प्रत्येक बजट में कुल मिलाकर 20 प्रतिशत राशि का प्रावधान शिक्षा क्षेत्र के लिए एक वरदान ही साबित हुआ है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में ऊंची छलांग

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से बड़ी छलांग ही लगाई गई है। पिछले चार वर्षों में देश में 141 विश्वविद्यालय, 14 आईआईआईटी, 7 आईआईटी, 7 आईआईएम और 1 एनआईटी की शुरुआत की गई है। उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी (हेफा) अगले चार वर्ष में उच्च शिक्षा संस्थानों को 1,00,000 करोड़ रुपये की सहायता देने जा रही है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बजट तीन गुना बढ़ा दिया गया है। भारतीय शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर अकादमिक नेटवर्क बनाने के लिए शुरू की ज्ञान-ग्लोबल पहल के अंतर्गत 58 देशों के 700 प्रोफेसरों ने भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में 1,117 विषयों का अध्यापन किया है।

रैंकिंग फ्रेमवर्क से स्पर्धा को बढ़ावा

तीन वर्ष पहले आरंभ किए गए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनईआरएफ) में अब तक 4,500 उच्च शिक्षा संस्थानों ने भागीदारी की है और इससे उनमें गुणवत्ता तथा स्पर्धा बढ़ाने में खासी मदद मिली है।

'नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी' में 1.70 करोड़ डिजिटल पुस्तकें और जर्नल हैं और 32 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता इनका लाभ उठा रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अपनी डिग्रियां और सर्टिफिकेट डिजिटल रूप में जमा रखने के लिए एक राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी मुहैया कराई गई है जिसे खोलने के लिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय को वाई-फाई सुविधा प्रदान की गई है। आज देश भर के 400 विवि परिसर और करीब 10,000 कॉलेज वाई-फाई सुविधा से लैस हैं जिससे विद्यार्थियों को अकादमिक तथा लाइब्रेरी के इस्तेमाल में आसानी हुई है।

यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के स्वरूप के संबंध में भी बदलाव हुआ है। प्रस्ताव है कि इसका स्वरूप बदलकर इसे उच्च शिक्षा आयोग में तब्दील कर दिया जाए और मेडिकल तथा कृषि शिक्षा के अतिरिक्त सभी तरह से पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षा संस्थान इसके अंतर्गत लाए जाएं। यह विधेयक सभी शिक्षा जगत और सामान्य लोगों की राय जानने के लिए रखा गया है लेकिन यह संसद में पारित होने के बाद देश में उच्च शिक्षा के ढांचे में आधारभूत परिवर्तन को बल मिलेगा और आयोग महज अनुदान देने वाली संस्था न रहकर उच्च शिक्षा संस्थानों की मार्गदर्शक संस्था के रूप में उभरेगी। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सकारात्मक बदलावों से भारत सही अर्थ में ज्ञान की एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और आरंभिक से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा तक अधिकांश आबादी की पहुंच हो गई है। ❑

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

LIVE / ONLINE
Classes also available

Download VISION IAS app

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स 2020

- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए

DELHI 18th Feb

LUCKNOW 9th April

Batches also @ JAIPUR | AHMEDABAD

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- मुख्य परीक्षा, निबंध, PT, सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन शैली की कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं शामिल
- PT 365, MAINS 365 कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

मासिक समसामयिकी रिवीजन

- सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)
- प्रत्येक पखवाड़े में दो से तीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

English Medium | हिन्दी माध्यम — ADMISSION OPEN

PT 365 • One Year Current Affairs for Prelims

English Medium | 19th Mar — (हिन्दी माध्यम) | 13th Apr

ALL INDIA TEST SERIES

Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program

PRELIMS

- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ CSAT (हिन्दी माध्यम में भी)

Starting: 3rd Feb

MAINS

- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Essay (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Sociology
- ✓ Geography
- ✓ Anthropology

Starting: 3rd Feb

550+ Selections in CSE 2016

8 in Top 10

38 Selections in Top 50 in CSE 2017

ANMOL SHER SINGH BEDI — AIR-2

SACHIN GUPTA — AIR-3

ATUL PRAKASH — AIR-4

PRATHAM KAUSHIK — AIR-5

SAUMYA PANDEY — AIR-4

KOYA SREE HARSHA — AIR-6

AYUSH SINHA — AIR-7

ANUBHAV SINGH — AIR-8

ABHILASH MISHRA — AIR-5

SAUMYA SHARMA — AIR-9

ABHISHEK SURANA — AIR-10

YOU CAN BE NEXT

/visionias.upsc /Vision_IAS /c/VisionIASdelhi
www.visionias.in

JAIPUR	PUNE	HYDERABAD	AHMEDABAD	LUCKNOW
9001949244	8007500096	9000104133	9909447040	8468022022
9799974032	020-40040015	9494374078	7575007040	7042413943

DELHI
- 635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
- 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6,1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
- Contact : 8468022022, 9019066066, 9650617807

YH-1038/2018

बच्चों का समग्र और समान विकास

किरण अग्रवाल

देश में सबके बीच समृद्धि बढ़ाने, समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, समान अवसर के दायरे का विस्तार करने और गरीबी दूर करने का एक बेहतर तरीका क्या है? इसका जवाब काफी सीधा है: बच्चों में उनकी शुरुआती अवस्था में निवेश कीजिए- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)। हर बच्चे का अस्तित्व कायम रहने और उसके आगे बढ़ने, फलने-फूलने के अधिकार को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। सभी बच्चों को अपनी पूर्ण संभावनाओं को विकसित करने के लिए पोषण संबंधी देखभाल की जरूरत होती है- सेहतमंद विकास के लिए यह बेहद अहम है। यह न सिर्फ शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और अन्य तरह के विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि उन्हें प्रतिकूल चीजों के बुरे असर से बचाता है। यह स्वास्थ्य, उत्पादकता और सामाजिक सुसंगति के अंतर-पीढ़ीगत फायदे उपलब्ध कराता है।

महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए वैश्विक रणनीति (2016-30) सतत विकास के लक्ष्यों के केंद्र में है। इसका दृष्टिकोण ऐसी दुनिया तैयार करने से है, जहां महिलाएं, बच्चे और किशोर शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अपने स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के अपने अधिकार के बारे में समझें। इसके अलावा, इसके तहत सामाजिक और आर्थिक अवसर मुहैया कराने और समृद्धि और टिकाऊ समाज के निर्माण में पूर्ण भागीदारी, विशेष रूप से युवाओं, बच्चों के मानवाधिकार की गारंटी का भी लक्ष्य है, जो उनके पूरे वजूद और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। उनका एक साझा लक्ष्य सभी लड़कों और लड़कियों के लिए बचपन में गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करना है।

निष्क्रियता की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है

जहां बेहद गरीबी और युद्ध, आपदा या विस्थापन जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जोखिम होता है, वहीं दुनियाभर के बच्चे प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार हो सकते हैं, जिससे उनका सर्वोत्तम विकास बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। बचपन में इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों से बच्चों को नहीं उबारे जाने की स्थिति में ऐसे हालात के शिकार बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी कमाई औसत से एक तिहाई कम होती है। ऐसे में संपत्ति के निर्माण और राष्ट्रीय कमाई पर भी चोट पहुंचती है। बचपन के शुरुआती दौर में निवेश की कमी और लंबी अवधि की चुनौतियों से नहीं निपटे जाने के कारण विभिन्न देशों को होने वाला अनुमानित नुकसान उस रकम से ज्यादा होता है, जो वे मौजूदा स्थिति में स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं (डब्ल्यूएचओ)।

संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में बाल अधिकारों का घोषणापत्र 20 नवंबर 1959 को अपनाया गया। 30 वर्षों के बाद विश्व के नेताओं ने महसूस किया कि बच्चों के लिए खास तरह का मानवाधिकार होना चाहिए और इसके लिए उन्हें चार्टर (अधिकार पत्र) की जरूरत है।

बच्चों के अधिकारों से संबंधित समझौता (यूएनसीआरसी, 1989) बाल अधिकारों के अंदर मानवाधिकार-नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के पूरे दायरे को शामिल करने का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है। यह समझौता इन अधिकारों को 14 अनुच्छेदों और दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल में बांटता है। इसमें सभी बच्चों के लिए आवश्यक बुनियादी मानवाधिकारों के बारे में बताया गया है, चाहे बच्चा/बच्ची कहीं भी रहे: जीने का अधिकार, पूरी तरह से विकास करने का अधिकार, हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा का अधिकार, अभद्रता और शोषण से बचाव और पारिवारिक, सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन में पूरी तरह से भागीदारी।

1. यूएनसीआरसी (1992) पर हस्ताक्षरकर्ता देश होने के नाते भारत ने वैश्विक

लेखिका वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.) की कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे बच्चों की सामाजिक संकेतांक की सह अध्यक्षा हैं। ईमेल: aggarwalkiran1@gmail.com

स्तर पर बाल अधिकारों को जरूरी नियंत्रण के रूप में मान्यता दी है।

2. 1992 में यूएनसीआरसी को स्वीकार किए जाने के बाद भारत ने किशोर न्याय (जुवेनाइल जस्टिस) (किशोर और न्याय (बालकों की देखरेख) और संरक्षण अधिनियम, 2000) पर अपना कानून बदला, ताकि संरक्षण संबंधी देखभाल की जरूरत वाले 18 साल की उम्र से कम हर शख्स को व्यवस्था की तरफ से इसे हासिल करने का अधिकार मिल सके।

3. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीआर) की स्थापना की गई। इसके तहत बाल अधिकार के दृष्टिकोण के अनुकूल सभी कानून, नीतियों, कार्यक्रमों को लागू करने और प्रशासनिक तंत्रों का काम सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोग की हो गई।

4. बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

5. स्कूलों में कड़ी सजा को खत्म करने के लिए एनसीपीसीआर दिशा-निर्देश 2010।

6. यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा संबंधी (पोस्को) कानून 2012

भारत का संविधान फिलहाल सभी बच्चों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, इनमें शामिल हैं:

i. 6-14 साल के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21ए)

ii. 14 साल की उम्र तक किसी भी खतरनाक काम से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 24)

iii. अभद्रता का शिकार होने से सुरक्षा और आर्थिक आवश्यकताओं की मजबूरी के कारण अपनी उम्र और ताकत के हिसाब से अनुपयुक्त कार्यों से सुरक्षा का अधिकार [अनुच्छेद 39 (ई)]

iv. समान अवसरों और सेहममंद तरीके से विकसित होने से संबंधित सुविधाओं का अधिकार और बचपन व किशोरावस्था के दौर में स्वतंत्रता और सम्मान और शोषण से सुरक्षा का अधिकार [अनुच्छेद 39 (एफ)]

भारत में नीति निर्माताओं के लिए बाल दुर्व्यवहार संबंधी अध्ययन, 2007 के सुझावों पर गौर करना बेहतर कवायद और सीखने का अच्छा अनुभव हो सकता है। पोस्को कानून 2012 के रूप में बाल यौन दुर्व्यवहार पर कानून में इस अध्ययन के सुझावों को शामिल किया गया है।

भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है और बच्चों के पास इंटरनेट के जरिये सभी तरह की सूचनाओं की आसानी से पहुंच है। यहां तक कि सेक्स के बारे में भी, बिना इस बारे में जाने कि आपातकालीन गर्भनिरोधक में कौन-सा सुरक्षित है और कौन-सा असुरक्षित। बच्चों और किशोरों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों का पक्के तौर पर मानना है कि अब सभी बच्चों और किशोरों को घर और स्कूलों में जरूरी तौर पर उचित सेक्स शिक्षा दी जानी चाहिए।

सरकारी और निजी स्कूलों में शारीरिक दंड व दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध हेतु दिशानिर्देश जारी हुए हैं। एनसीपीआर ने दुर्व्यवहार की शिकायत करने के लिए अपनी वेबसाइट पर शिकायत कक्ष बनाया है।

भारत में कई परिवारों को अपनी आय की क्षतिपूर्ति करने और गरीबी से बाहर निकलने के लिए बाल श्रम पर निर्भर होना पड़ता है। लिहाजा, बच्चों को श्रम के बाजार से बाहर निकालकर स्कूल तक ले जाने में कर्ज की उपलब्धता की भूमिका काफी अहम पाई गई है।

भारत में करोड़ों बच्चे हैं। दुनियाभर की बच्चों की कुल आबादी में भारत के बच्चों का हिस्सा 19 फीसदी है। वैश्वीकरण और उदारीकरण ने विकास की रफ्तार को तेज कर दिया है। हालांकि, साथ ही यह तबका तकरीबन उपेक्षित समूह के दायरे में है।

औद्योगीकरण और अन्य आर्थिक गतिविधियों के कारण हमारी अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चिंता का विषय बनी हुई हैं और औद्योगीकरण और अन्य तरह के आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण की हालत खराब हो रही है। प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य को और खराब करता है। ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं, जहां बच्चों को कुपोषण या भुखमरी या वैसी बीमारियों का प्रकोप झेलना पड़ता है, जिसका आसान इलाज मुमकिन है। बीमारियों से बचाव एक ऐसी चीज है, जो शुरुआती दौर में ही बीमारी को रोकने पर अमल के जरिये बच्चों के जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है।

स्वास्थ्य सूचकांकों में बढ़ोतरी का रुझान क्षेत्रीय असंगति और असंतुलित विकास को दर्शाता है। हमारा संविधान स्वास्थ्य की देखभाल के सिलसिले में राज्य के कर्तव्यों पर पर्याप्त बल देता है। मसलन केरल ने बाल विकास शिक्षा (सीडीई) सूचकांक पेश किया है और राज्य ने दोनों क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और वहां बाल श्रम काफी कम यानी 15 फीसदी है। इस मामले में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अन्य राज्यों में पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं।

आगे की राह

'महिला की अगुवाई' में विकास सूत्र को ध्यान में रखते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए हालिया बजट में पिछले साल यानी 2018-19 के मुकाबले 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। साल 2019-20 के लिए आवंटन 29,165 करोड़ रुपये है।

अधिकार क्रियान्वयन एजेंसियों की तरह ही अधिकार संरक्षण एजेंसियों की आवश्यकता है ताकि अधिकारों का संरक्षण व क्रियान्वयन दोनों साथ-साथ संभव हो।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में बच्चों पर अलग से फोकस होना चाहिए। उनकी दिक्कतों को बच्चों की मां की परेशानियों के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए।

भारतीय क्षेत्रीय विविधताओं वाला देश है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हर राज्य की अपनी योजना और दृष्टिकोण होना चाहिए। इस दिशा में सभी राज्यों के लिए एक समान नीति कारगर नहीं होगी, क्योंकि क्षेत्रीय विविधता भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। बाल अधिकारों में हमेशा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिलती है और जो राज्य इस वर्ग में पिछड़ रहे हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें विशेष मदद मिलनी चाहिए।

बाल शिक्षा के मामले में अक्सर एक सामाजिक अभिशाप- बाल श्रम आड़े आता है। गरीब परिवारों को अनुदान की दर पर कर्ज मुहैया कराने इस सामाजिक अभिशाप से निपटा जाता है। न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों बल्कि पंचायत स्तर पर स्थानीय सरकार को भी दोनों अधिकारों (बाल श्रम निषेधात्मक अधिकार, शिक्षा का अधिकार) का खयाल रखा जाना चाहिए। दुर्व्यवहार बाल अधिकार के उल्लंघन का एक और गंभीर मामला है, जो बच्चों के मानसिक विकास को बाधित करता

है। पोस्को कानून 2012 बच्चों के मामले में न्याय प्रणाली को संवेदनशील बनाने की दिशा में अहम कदम है, लेकिन किशोरों को सेक्स शिक्षा मुहैया कराना एक और अहम पहलू है, जिस पर काफी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बालकों को भी बालिकाओं की भांति संरक्षण कवच की आवश्यकता है क्योंकि लड़के भी लड़कियों के समान यौन शोषण का शिकार होते हैं। उन्हें अपने आप बचाव की शिक्षा दी जानी चाहिए।

सरकारी शिक्षण संस्थानों में बच्चों के व्यवहार और विकास से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि ऐसे बच्चों के माता-पिता को इस तरह की सेवाओं के लिए ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़े। स्कूली बच्चों में सीखने संबंधी किसी अक्षमता का जल्दी पता लगाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए चेक लिस्ट बनाई जा सकती है और भारतीय पुनर्वास परिषद को इसे शिक्षकों के अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इससे सीखने संबंधी अक्षमता से पीड़ित बच्चों की मदद की जा सकती है। पीडब्ल्यूडी कानून ने सीखने संबंधी विशेष अक्षमता को शामिल किया है और इस कानून में मुश्किल परिस्थितियों में ऐसे बच्चों की मदद के लिए प्रावधान है। इसके अलावा, गैर-डॉक्टरों की नुकसानदेह परंपराओं पर भी गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यौनकर्मियों के बच्चों की शिक्षा और अन्य विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है।

कुछ राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के छिटपुट इलाकों में तकरीबन 2 लाख आबादी परंपरागत तौर पर यौन व्यापार (बेदिया समुदाय) में है, जो सदियों पुरानी सामुदायिक परंपरा है। बोहरा समुदाय की युवा लड़कियों का खतना किए जाने संबंधी मामले सामने पाए गए हैं और ऐसे में सरकार को गंभीरतापूर्वक हस्तक्षेप करने की जरूरत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों से निपटने के लिए एक कानून लाने की जरूरत है।

गर्भावस्था से पहले देखभाल महिला और पुरुष की शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाता है। यह गर्भावस्था की पूरी अवधि से पहले बच्चों के जन्म लेने या कमजोर बच्चों के जन्म, बच्चों के जन्म से संबंधित अन्य दिक्कतों से जुड़ी आशंकाओं को भी कम करता है।

अगर महिला सशक्तीकरण के लिए गुंजाइश बनाई जाए तो ज्यादातर चीजों का समाधान खुद-ब-खुद हो जाएगा। मानसिकता बदलनी होगी। आरकेएसके (राष्ट्रीय कन्या स्वास्थ्य कार्यक्रम) कई तरह से किशोर लड़कियों का सशक्तीकरण कर सकता है। किशोरवय लड़के-लड़कियों के बीच आत्महत्या के बढ़ते मामले गंभीर चिंता की बात हैं और ऐसे में माता-पिता, शिक्षकों, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़े डॉक्टरों व अन्य पेशेवरों और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे नीति निर्माताओं की भूमिका अहम हो जाती है।

गर्भावस्था से पहले जागरूकता और जानकारी मुहैया कराने के लिए किशोरावस्था अहम पड़ाव है। बेहतर जागरूकता अभियान के जरिये कम उम्र में गर्भधारण से बचने के साथ-साथ इसके लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित की जा सकती है। ये उपाय माताओं के लिए मददगार हो सकते हैं और उन्हें स्कूल पूरा करने और बच्चों की देखभाल के लिए सक्षम बना सकते हैं। ऐसे में कम वजन वाले या अन्य तरह की बीमारी वाले बच्चे के जन्म की आशंका कम से कम हो सकेगी। ❑

भारत को बुजुर्गों के जीवन के लिए सबसे अनुकूल बनाना

शीलू श्रीनिवासन

अभूतपूर्व जनांकिक बदलाव हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल रहे हैं। साल 2050 तक हर 5 में से एक 1 शख्स 60 साल की उम्र से ज्यादा का होगा, जबकि फिलहाल यह आंकड़ा हर 10 शख्स में 1 का है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 10 करोड़ है, जो ब्रिटेन की कुल आबादी से ज्यादा है। साल 2050 तक भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्य 32.4 करोड़ तक हो जाने की अनुमान है। दिमाग को चकरा देने वाले इन आंकड़ों का असर न सिर्फ नीति निर्माताओं और अकादमिक जगत पर पड़ेगा, बल्कि हम सभी की जिंदगी कहीं न कहीं इससे प्रभावित होगी।

हालात का विश्लेषण

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग एक अध्ययन के अनुमानों के मुताबिक, 2016 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या देश की कुल आबादी का 9.3 फीसदी है। साथ ही, इसके 2021 तक 10.7 फीसदी और 2026 तक 12.40 फीसदी हो जाने की संभावना है। जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी, मृत्यु दर में कमी और संपूर्ण जीवन स्तर में बेहतरी के कारण लोगों की आयु बढ़ रही है। साल 2002-06 के दौरान महिलाओं की औसत आयु 64.2 साल थी, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 62.6 साल था। 60 साल की उम्र में जीवन का औसत बचा हुआ काल तकरीबन 18 साल था (पुरुषों के लिए 16.7 साल, महिलाओं के लिए 18.9 साल) और 70 साल की उम्र में यह 12 साल से कम था (पुरुषों के लिए 10.9 साल और महिलाओं के लिए 12.4 साल)। तकरीबन 65 फीसदी बुजुर्गों को रोजाना के खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। 20 फीसदी से कम बुजुर्ग महिलाएं और ज्यादातर बुजुर्ग पुरुष आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। 60-64 साल के आयु वर्ग में शारीरिक रूप से सक्रिय बुजुर्ग

भारत में बुनियादी बदलाव के जरिये इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिहाज से सबसे अनुकूल देश बनाया जाना संभव है। मिसाल के तौर पर केरल में वरिष्ठ नागरिकों के लिहाज से अनुकूल कहे जाने वाले गांव हैं और कर्नाटक में निमंहस भी कुछ ऐसा ही है

लेखिका डिगनिटी फाउंडेशन व डिगनिटी लाइफस्टाइल रिटायरमेंट टाउनशिप की संस्थापक अध्यक्षा हैं। ईमेल: sheilu.sreenivasan@dignityfoundation.com

पुरुषों और महिलाओं का अनुपात करीब 94 फीसदी से घटकर पुरुषों के लिए 72 फीसदी हो गया है, जबकि 80 साल या इससे ज्यादा की महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा 63-65 फीसदी है। शहरी इलाकों में प्रति हजार बुजुर्गों में करीब 55 एक या ज्यादा तरह की अक्षमताओं के शिकार थे। बुजुर्ग लोगों में अक्षमता का सबसे प्रचलित मामला लोको मोटर से संबंधित था। बुजुर्ग आबादी में दिल की बीमारी के मामले ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों में काफी ज्यादा थे। संयुक्त राष्ट्र आबादी फंड की तरफ से जारी अनुमानों के मुताबिक, साल 2050 तक भारत में हर 6 में से एक शख्स बुजुर्ग होगा और भारत को छोड़कर सिर्फ चीन में ही इतनी बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग होंगे।

गुणात्मक

तेजी से बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य, तेजी से होते शहरीकरण, युवाओं के बीच बढ़ती आकांक्षाओं और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी के साथ ही संयुक्त परिवार प्रणाली की जड़ें तेजी से कमजोर हो रही हैं। देश के शहरी इलाकों में संयुक्त परिवार की परंपरा लगभग खत्म हो रही है। औसत आयु में बढ़ोतरी से जीर्ण संबधी अक्षमताएं की दिक्कतें भी पैदा होती हैं और ऐसे में रोज-ब-रोज की सामान्य गतिविधियों में बुजुर्गों को मदद की जरूरत होती है, जबकि छोटे परिवार का मतलब देखभाल करने वालों में कमी भी है। इसके अलावा, खानपान को लेकर विशेष ध्यान की कमी, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं जिसे बुजुर्ग नहीं समझ पाते हैं और उनसे बात करने और देखभाल की चुनौतियां भी होती हैं। लिहाजा, एकल परिवारों के उभार के कारण बुजुर्ग भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय असुरक्षा जैसी मुश्किलों से जूझने की स्थिति में हैं। साथ ही, छोटी-मोटी दिक्कतों में रहने के लिए उचित जगह का अभाव (विशेष तौर पर पारिवारिक फ्लैट में बच्चे और उनके परिवार के पास अपनी निजता का दावा होता है), स्वास्थ्य बीमा और इलाज का खर्च आदि शामिल हैं। इसके अलावा, रोजगार के अवसरों के लिए बड़ी संख्या में युवा आबादी के विदेशी मुल्कों में पलायन के कारण अच्छीखासी संख्या में बुजुर्ग खुद से जिंदगी की देखभाल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

संबंधित पक्ष से जुड़ा विश्लेषण

पिछले कुछ दशकों में बुजुर्ग लोगों (60 साल या उससे ऊपर) की आबादी की हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कुल आबादी में बुजुर्गों के अनुपात के मामले में राज्यों का आंकड़ा अलग-अलग है। 2001 की जनगणना के मुताबिक, दादरा नागर हवेली, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय

आबादी के हिसाब से सबसे बड़े शहरी ठिकाने
(2011 की जनगणना के मुताबिक)

क्र.	शहर का नाम	राज्य/क्षेत्र	आबादी
1	मुंबई	महाराष्ट्र	1,84,14,288
2	दिल्ली	दिल्ली	1,63,14,838
3	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	1,41,12,536
4	चेन्नई	तमिलनाडु	86,96,010
5	बेंगलुरु	कर्नाटक	84,99,399
6	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	77,49,334
7	अहमदाबाद	गुजरात	62,40,201
8	पुणे	महाराष्ट्र	50,49,968
9	सूरत	गुजरात	45,85,367
10	जयपुर	राजस्थान	30,73,350
11	कानपुर	उत्तर प्रदेश	29,20,067
12	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	29,01,474
13	नागपुर	महाराष्ट्र	24,97,777
14	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	23,58,525
15	इंदौर	मध्य प्रदेश	21,67,447
16	कोयंबटूर	तमिलनाडु	21,51,466
17	कोच्चि	केरल	21,17,990
18	पटना	बिहार	20,46,652
19	कोझीकोड	केरल	20,30,519
20	भोपाल	मध्य प्रदेश	18,83,381

जैसे छोटे राज्यों में यह आंकड़ा करीब 4 फीसदी था, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में 8 फीसदी से ज्यादा और केरल में यह आंकड़ा 10.5 फीसदी से ज्यादा था।

भारत में परिवार पारंपरिक तौर पर सहारा का मुख्य साधन रहा है। बुजुर्ग आर्थिक और भौतिक सहयोग के लिए मुख्य तौर पर अपने परिवारों पर निर्भर होते हैं। आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर पुरुषों में 6-7 फीसदी को उनके दंपति से वित्तीय सहायता मिलती है, 85 फीसदी को अपने बच्चों से, 2 फीसदी को पोते-पोतियों आदि और 6 फीसदी को अन्य साधने से वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। जहां तक बुजुर्ग महिलाओं की बात है, तो 20 फीसदी से भी कम की निर्भरता अपने दंपति पर थी, जबकि 70 फीसदी से ज्यादा अपने बच्चे पर, 3 फीसदी अपने बच्चों के बच्चों (पोते-पोतियां, नाती-नातिन आदि) और 6 फीसदी गैर-रिश्तेदारों समेत अन्य लोगों पर निर्भर थीं।

फिलहाल काम कर रहे बुजुर्गों के पेशा संबंधी ढांचा बताता है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग अकुशल और कम मेहनताने वाले काम से जुड़े हैं। बहुसंख्यक बुजुर्गों (90 फीसदी) को पेंशन या रिटायरमेंट का लाभ उपलब्ध नहीं है। दंपति या अन्य के साथ रहने वाली महिलाओं के मुकाबले अकेली रहने वाली महिलाओं द्वारा काम करने के ज्यादातर मामले दिखते हैं। इसके अलावा, नहीं के बराबर महिलाओं (3 फीसदी) को सेवानिवृत्ति का फायदा मिला, जबकि पुरुषों के मामले में यह आकंड़ा 15 फीसदी था। यहां यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं विधवा हैं।

अन्य तरह के लाभ के अलावा सरकार और विभिन्न एनजीओ बुजुर्गों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने में जुटे हैं। इसके तहत बुजुर्गों के लिए जीवन स्तर सूचकांक तैयार करने की बात भी है।

बुजुर्गों के लिए जीवन स्तर सूचकांक

जब हम विशेष तौर पर बुजुर्गों के लिए सूचकांक विकसित करते हैं तो हम बुजुर्गों के जीवन के चार अहम क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं: भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक संपर्क और आध्यात्मिक। बुजुर्गों के लिए रहन-सहन की सहूलियत का मामला 60 साल की उम्र के बाद 4 क्षेत्रों के विकास के लिए उपलब्ध ठिकाने से संबंधित होगा।

संकेतकों को नगर निकाय के वॉर्ड के आधार पर इकट्ठा किया जा सकता है। ये संकेतक वरिष्ठ नागरिकों और उनकी जिंदगी के लिहाज से काफी प्रासंगिक होंगे- मसलन अपराध की दर, पैदल चलने के लिए फुटपाथ की उपलब्धता, इलाज की सुविधाओं की उपलब्धता, बस स्टॉप में बैठने के लिए बेंच, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों में रैंप, सार्वजनिक परिवहन की आसान पहुंच, बैंकिंग में ऑटोमेटेड एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) की बजाय बुजुर्गों के लिए खास तौर पर रिलेशनशिप मैनेजर, हवाई अड्डों के टर्मिनल पर लंबी दूरी तय करने के लिए गाड़ी जैसी सुविधा, हवाई अड्डों और हवाई जहाजों में व्हीलचेयर की सुविधा आदि। इन चीजों को मिलाकर इनका विश्लेषण किया जा सकता है और शहरों के नगर निकाय संबंधी वॉर्डों को सबसे अच्छे से सबसे खराब तक रैंकिंग की जा सकती है। यह सूचकांक वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमारा स्तर तैयार करेगा।

इस तरह के सूचकांक का अल्पकालिक लक्ष्य इस तरह है:

1. श्वेत पत्र जारी कर वैसे इलाकों को दर्ज किया जाए जहां बुजुर्गों के लिए रहना और बेहतर स्तर के साथ रहना ज्यादा सुविधानजक है। इस श्वेत पत्र में वरिष्ठ नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित दिक्कतों के बारे में विवरण होगा।

2. हम वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी पर चर्चा शुरू करने के लिए इस तरह की जानकारी का उपयोग कर सकते हैं।

3. वरिष्ठ नागरिकों की जनांकिक के बारे में बेहतर नजरिया हासिल करना, जिसका इस्तेमाल मंत्रालयों, उनके विभागों और बुजुर्गों में दिलचस्पी रखने वाली संस्थाएं द्वारा इस बाबत योजनाएं तैयार करने में किया जा सकता है।

ऐसे सूचकांक का दीर्घकालिक लक्ष्य इस तरह है:

1. एक बारीक सूचकांक की दिशा में आगे बढ़ना- इस तरह का सूचकांक पहले से मौजूद है, लेकिन यह उस तरह से सूक्ष्म स्तर पर नहीं है, जिस तरह से हम खास तौर पर बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए प्रयास कर रहे हैं।

2. सभी 20 शहरों के लिए इसी तरह का विश्लेषण करना और वरिष्ठ नागरिकों को जीवन व रहन-सहन को आसान बनाने के लिए व्यापक रिपोर्ट तैयार करना।

3. जिस तरह से रेटिंग एजेंसी क्रिसिल कंपनियों की साख संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करती है, हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए पास-पड़ोस की गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं। इसके बाद हम पास-पड़ोस को 'अनुकूल' से 'प्रतिकूल' तक की रेटिंग दे सकते हैं और इसे शायद सेवाओं के लिए राजस्व स्रोत में बदल सकते हैं, जो मुहैया कराई जा सकती हैं। चूंकि हम फिलहाल पास-पड़ोस में व्यक्तिगत स्तर की बजाय पूरे वॉर्ड को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लिहाजा यह एक बेहद मुश्किल और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जिसमें बारीक शोध की जरूरत होगी।

भारत में बुनियादी बदलाव के जरिये इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिहाज से सबसे अनुकूल देश बनाया जाना संभव है। मिसाल के तौर पर केरल में वरिष्ठ नागरिकों के लिहाज से अनुकूल कहे जाने वाले गांव हैं और कर्नाटक में निमंहस भी कुछ ऐसा ही है। चूंकि जमीनी स्तर पर पहले से इस तरह के काम की शुरुआत हो चुकी है, लिहाजा भारत में बुजुर्गों/वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुगम बनाना संभव है। ❑

Employment News

Career weekly that provides all information relating to Jobs, Admissions and Career guidance

How to Subscribe

Employment News is available in e-Version as well as Print version. You can subscribe to any of them or both.

Subscription Plan	Print version Price	e-version Price
1 year (52 Issues)	Rs. 530/-	Rs. 400/-
2 years (104 Issues)	Rs.1000/-	Rs. 750/-
3 years (156 Issues)	Rs.1400/-	Rs. 1050/-

For subscription to both Print and e-Version, please visit our website

https:// www.employmentnews.gov.in and click on e- Version tab or click on the link: https://en.eversion.in and follow the steps thereafter.

For any information/ enquiry, contact

Business Wing at +91-11-24367453,24369567

email:businesswng@gmail.com, enewscirculation@gmail.com

हमारे नए प्रकाशन

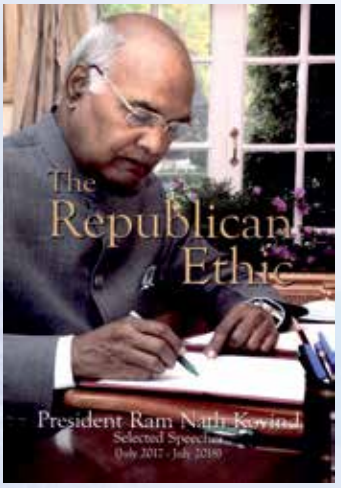

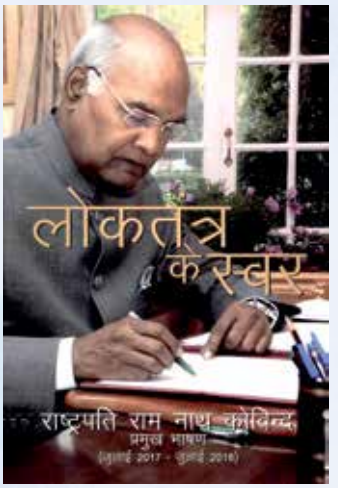

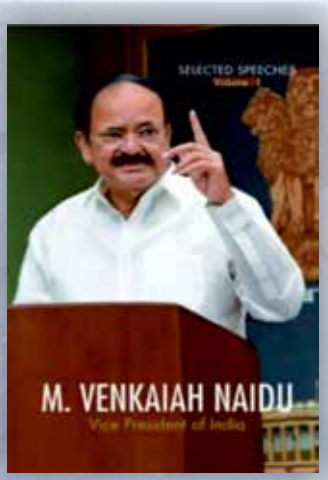

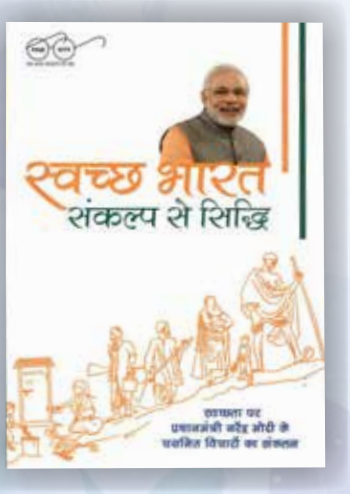

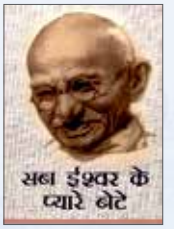

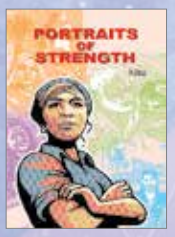

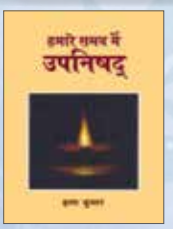

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260, 24365610
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए
कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
चुनिंदा ई-बुक एमेज़ॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध।

Follow us on twitter @ DPD_India

पुस्तक चर्चा

सिलेक्टेड स्पीचिज़

वॉल्यूम-1

एम. वेंकैया नायडू

वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया

कुल पृष्ठ : 444
हार्ड वाउंड पुस्तक का मूल्य : 780 रुपये
पेपर बैक पुस्तक का मूल्य : 670 रुपये
प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

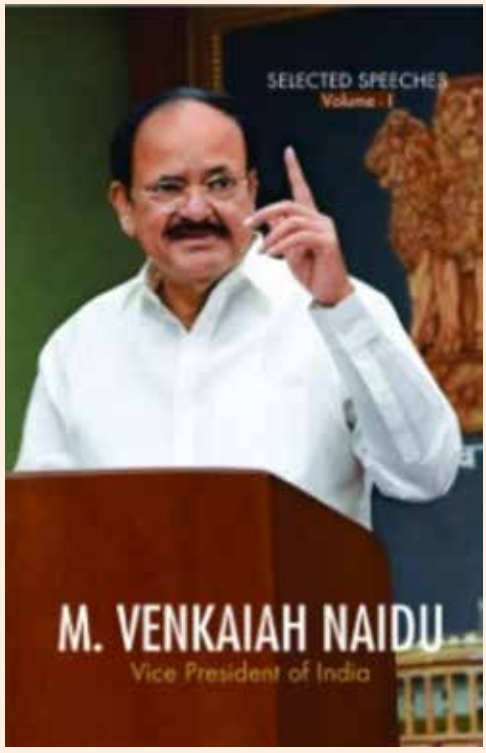

इस पुस्तक में श्री एम. वेंकैया नायडू के 11 अगस्त 2017 को भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होने के बाद उनके द्वारा दिए भाषणों का संकलन है। माननीय उपराष्ट्रपति ने पिछले एक वर्ष के दौरान कई सम्मेलनों/बैठकों को संबोधित किया है। इनमें शिक्षा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, संस्कृति, विज्ञान व टेक्नोलॉजी सहित विविध विषयों पर भाषण सम्मिलित हैं। माननीय उपराष्ट्रपति ने देश के सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में कई दीक्षांत समारोहों को संबोधन किया, प्रमुख भाषण तथा स्मारक व्याख्यान दिए हैं।

इस किताब में 92 भाषण हैं, जिसे 6 श्रेणियों में बांटा गया है, विधायिका का काम, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राजनीति और शासन व्यवस्था, आर्थिक विकास, मीडिया और भारत व विश्व।

इन सभी संबोधनों में देश के सामने उपस्थित व्यापक ज्वलंत मुद्दों पर माननीय उपराष्ट्रपति के विचार और दृष्टिकोण निहित है। भाषणों का चयन एवं संपादन शैलीगत निरंतरता और पढ़ने में सरलता को ध्यान में रखकर किया गया है। ये भाषण पाठकों को श्री एम. वेंकैया नायडू के विद्वत्ता से अवगत कराते हैं।

यह किताब बुक गैलरी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली से खरीदी जा सकती है। पुस्तक को ऑनलाइन www.bharatkosh.gov.in पर खरीदा जा सकता है। इस किताब का ई-संस्करण एमेजॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध है।

अपनी प्रति मंगाने के लिए इमेल करें -
businesswng@gmail.com

या लॉग इन करें -
publicationsdivision@nic.in

माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू के चुनिंदा भाषणों के संकलन की किताब का लोकार्पण

माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू के भाषणों के संकलन की किताब 'सिलेक्टेड स्पीचिज़-वॉल्यूम-1' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत, माननीय युवा कार्य और खेल व सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू की गरिमामयी उपस्थिति में मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित उनके चुनिंदा भाषणों पर आधारित किताब- सिलेक्टेड स्पीचिज़ (वॉल्यूम-1) का भारत रत्न तथा पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में लोकार्पण किया। इस मौके पर माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत, माननीय युवा कार्य और खेल व सूचना और प्रसारण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, उपराष्ट्रपति के सचिव डॉ. आई. वी. राव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की याद में मौन भी रखा।

इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति ने किताब का लोकार्पण सुनिश्चित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रकाशन विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा, ''मैं इस किताब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता है, जो मेरी मौजूदा भूमिका के पहले साल के दौरान मेरे मिशन से जुड़ी है। संक्षेप में कहें तो यह सभी हितधारकों की अंतरात्मा को जगाने का एक गंभीर प्रयास है, ताकि वे आत्मनिरीक्षण कर देश के लिए नई ऊंचाई हासिल करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर सकें। युवा भारत अपने भविष्य को पारिभाषित और हासिल करने का प्रयास कर रहा है और ऐसे में हमारे अतीत का स्मरण कर और वर्तमान पर विचार-विमर्श कर मैंने इस दिशा में ईमानदार प्रयास किया है।'' श्री नायडू ने देश और विभिन्न संस्थाओं से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। साथ ही, उन्होंने अतीत के आधार लोगों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए एकजुट कोशिश की जरूरत और वर्तमान समस्याओं से असरदार ढंग से निपटने पर भी बल दिया।

माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने श्री एम. वेंकैया नायडू के साथ अपने लंबी अवधि के संबंधों को याद किया और किताब के लोकार्पण के लिए माननीय उपराष्ट्रपति को बधाई दी। उन्होंने कहा, ''श्री नायडू द्वारा दिए गए भाषण सार्वजनिक जीवन में उनके समृद्ध अनुभव, भारत के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण और आकांक्षाओं व अपेक्षाओं और उम्मीद को दिखाते हैं।'' बेहतरीन डिजाइन और साज-सज्जा के साथ किताब को पेश करने के लिए उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बधाई दी। साथ ही, श्री मुखर्जी ने कहा कि उनके राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रपति भवन के विभिन्न पहलुओं पर 13 से भी ज्यादा विश्व स्तरीय पुस्तकें प्रकाशित की। उन्होंने प्रकाशन विभाग को उनके विशेषज्ञतापूर्ण एवं अग्रगामी कार्य के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, ''मैंने उपराष्ट्रपति जी के साथ काम किया है और यह बेहद सम्मान की बात है। उनका विवेक, बुद्धि और नज़रिया सब कुछ उन भाषणों में जाहिर होता है, जिन्हें अब किताब की शक्ल में पेश किया गया है।'' उनका यह भी कहना था कि आज की युवा पीढ़ी के पढ़ने के लिए पुस्तकें आसान प्रारूप में उपलब्ध हो सके इस वजह से इन सभी किताबों को ऑनलाइन रिटेल और ई-संस्करण में भी उपलब्ध कराया जा रहा है और इस तरह से चीजों को आसान बनाया जा रहा है।

इस किताब में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू के 92 भाषण हैं, जिसे 6 श्रेणियों में बांटा गया है- विधायिका का काम, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राजनीति और शासन व्यवस्था, आर्थिक विकास, मीडिया, और भारत व विश्व। यह बुक गैलरी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में उपलब्ध है। यह www.bharatkosh.gov.in पर भी ऑनलाइन उपलब्ध है। इस किताब का ई-संस्करण एमेजॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध है। ❑

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2018-20
Reg.No. D.L. (s)-05/3231/2018-20 at RMS, Delhi
28 फरवरी, 2019 को प्रकाशित
• 2-3 मार्च, 2019 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2018-20
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

प्रतियोगिता दर्पण

के अतिरिक्तांक

टॉपर्स की नज़र में

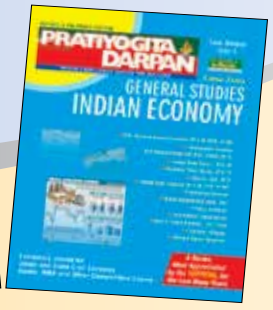

➡ .....प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक बेहद महत्वपूर्ण रहा है.
—अनिरुद्ध कुमार
सिविल सेवा परीक्षा, *2017* (हिन्दी माध्यम से सर्वोच्च स्थान)

➡ .....प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांकों से काफी मदद मिली. विषयवस्तु को गइराई से समझने में उपयोगी रहे और इनसे नोट्स बनाए. अर्थव्यवस्था और इतिहास वाले अतिरिक्तांक विशेष रूप से काम आए.
—गौरव कुमार
सिविल सेवा परीक्षा, *2016* (हिन्दी माध्यम से सर्वोच्च स्थान)

➡ .....प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक अच्छा है.
—गंगा सिंह
सिविल सेवा परीक्षा, *2016* में हिन्दी माध्यम से द्वितीय स्थान

➡ .....प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था का अंक बहुत उपयोगी है.
—शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया
सिविल सेवा परीक्षा, *2016* में हिन्दी माध्यम से तृतीय स्थान

➡ मैंने प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांकों का उपयोग किया. विशेष रूप से अर्थव्यवस्था पर.
—अनुज मलिक
सिविल सेवा परीक्षा, 2016 (16वाँ स्थान)

➡ मैंने अतिरिक्तांकों का प्रयोग किया मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था पर.
—साहिल गुप्ता
सिविल सेवा परीक्षा, 2016 (19वाँ स्थान)

➡ .....प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक विद्यार्थियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है. कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि इसमें अर्थव्यवस्था जैसे कठिन विषय को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है.
—मंगलेश दुबे
उ.प्र. सिविल सेवा परीक्षा, 2015 में द्वितीय स्थान

➡ प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक प्रतियोगियों के लिए बहुत ही उत्कृष्ट साबित होते हैं, विशेषकर अर्थव्यवस्था व समसामयिक वार्षिकी का अध्ययन मेरे लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ.
—सचिन यादव
राजस्थान प्रशासनिक सेवा, 2016 (द्वितीय स्थान)

Scan the QR Code with your mobile and open the link to see the range of extra issues.

ORPD002S

Download FREE QR Scanner app from the app store

To purchase online log on to www.pdgroup.in

New Revised & Enlarged Editions

Series-1	Indian Economy-2018-19	790	299.00
Concise Issue	Economy At a Glance	799	155.00
Series-2	Geography (India & World)	793	270.00
Series-3	Indian History	798	150.00
Series-4	Indian Polity & Governance	797	210.00
Series-6	General Science Vol. 1	814	130.00
Series-6	General Science Vol. 2	818	90.00
Series-7	Current Events Round-up Vol. 1	819	110.00
Series-12	Indian National Movement & Constitutional Development	812	115.00
Series-15	Indian History-Ancient India	804	140.00
Series-16	Indian History-Medieval India	806	155.00
Series-17	Indian History-Modern India	802	150.00
Series-19	New Reasoning Test	826	260.00
Series-21	Quantitative Aptitude Test	820	295.00
Series-22	Political Science	821	240.00
Series-23	Public Administration	824	215.00
Series-24	Commerce	805	290.00
प. सीरीज–1	भारतीय अर्थव्यवस्था 2018-19	791	270.00
लघु अतिरिक्तांक	अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में	811	125.00
प. सीरीज–2	भूगोल (भारत एवं विश्व)	792	210.00
प. सीरीज–3	भारतीय इतिहास	795	140.00
प. सीरीज–4	भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन	794	215.00
प. सीरीज–5	भारतीय कला एवं संस्कृति	796	140.00
प. सीरीज–6	सामान्य विज्ञान Vol. 1	829	130.00
प. सीरीज–6	सामान्य विज्ञान Vol. 2	830	115.00
प. सीरीज–7	समसामयिक घटनाचक्र Vol. 1	809	130.00
प. सीरीज–9	वस्तुनिष्ठ सामान्य हिन्दी	822	130.00
प. सीरीज–10	बौद्धिक एवं तर्कशक्ति परीक्षा	825	165.00
प. सीरीज–11	समाजशास्त्र	810	150.00
प. सीरीज–12	भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास	823	130.00
प. सीरीज–13	खेलकूद	828	190.00
प. सीरीज–14	कृषि विज्ञान	836	165.00
प. सीरीज–15	प्राचीन इतिहास	837	140.00
प. सीरीज–16	मध्यकालीन इतिहास	838	175.00
प. सीरीज–17	आधुनिक इतिहास	839	210.00
प. सीरीज–18	दर्शनशास्त्र	842	110.00
प. सीरीज–19	न्यू रीजनिंग टेस्ट	843	160.00
प. सीरीज–20	हिन्दी भाषा	860	135.00
प. सीरीज–21	संख्यात्मक अभियोग्यता	861	270.00
प. सीरीज–22	राजनीति विज्ञान	866	220.00
प. सीरीज–23	लोक प्रशासन	813	240.00
प. सीरीज–24	वाणिज्य	816	280.00

प्रतियोगिता दर्पण 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844, 43259035 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2303340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर मो. 09370877776 • इन्दौर 9203908088

YH-811/11/2018

प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक: कुलश्रेष्ठ कमल